रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-13102025-266903
CG-DL-E-13102025-266903

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 662] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अक्तूबर 9, 2025/आश्विन 17, 1947
No. 662] NEW DELHI, THURSDAY, OCTOBER 9, 2025/ASVINA 17, 1947

संचार मंत्रालय

(दूरसंचार विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 अक्तूबर, 2025

सा.का.नि. 746(अ).—निम्नलिखित मसौदा नियम, जिन्हें केन्द्रीय सरकार दूरसंचार अधिनियम, 2023 (2023 का 44) की धारा 56 की उपधारा (2) के खंड (क) के साथ पठित धारा 3 की उपधारा (1) के खंड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बनाने का प्रस्ताव करती है, इसके द्वारा प्रभावित होने की संभावना वाले सभी व्यक्तियों की सूचना के लिए प्रकाशित किए जाते हैं और इसके द्वारा नोटिस दिया जाता है कि उक्त मसौदा नियमों पर उस तारीख से तीस दिन की अवधि की समाप्ति के पश्चात विचार किया जाएगा जिस तारीख से सरकारी राजपत्र में यथाप्रकाशित इस अधिसूचना की प्रतियां सर्वसाधारण को उपलब्ध कराई जाती हैं;

यदि कोई आपत्ति या सुझाव हो तो उसे संयुक्त सचिव (दूरसंचार), दूरसंचार विभाग, संचार मंत्रालय, भारत सरकार, संचार भवन, 20, अशोक रोड, नई दिल्ली- 110001 को भेजा जा सकता है,

केन्द्रीय सरकार द्वारा उपर्युक्त अवधि की समाप्ति से पूर्व उक्त मसौदा नियमों के संबंध में किसी व्यक्ति से प्राप्त आपत्तियों या सुझावों पर विचार किया जाएगा।

अध्याय 1: प्रारंभिक

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ

(1) इन नियमों को दूरसंचार (दूरसंचार नेटवर्क के लिए प्राधिकरण) नियम, 2025 कहा जाएगा।

(2) ये सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होंगे।

(3) ये नियम भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 (1885 का 13) या भारतीय वायरलेस टेलीग्राफी अधिनियम, 1933 (1933 का 17) के अधीन की गई कार्रवाइयों के निबंधनों और शर्तों को अधिभूत नहीं करेंगे, जिनमें भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 (1885 का 13) या भारतीय वायरलेस टेलीग्राफी अधिनियम, 1933 (1933 का 17) के अनुसरण में किए गए लाइसेंस, पंजीकरण या अनुमति, चाहे किसी भी नाम से ज्ञात हों, जारी करना शामिल है, जो अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (6) के अनुसार जारी रहेगा।

2. परिभाषाएं

(1) इन नियमों में जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,

(क) "एक्सेस नेटवर्क" का अभिप्रेत दूरसंचार नेटवर्क से है जो प्राधिकृत इकाई के कोर दूरसंचार नेटवर्क को उपयोगकर्ता के उपकरणों या उसके परिसर से जोड़ता है;

(ख) "एक्सेस सेवा" का अभिप्रेत, वायरलाइन या वायरलेस दूरसंचार नेटवर्क के माध्यम से ध्वनि या गैर-ध्वनि संदेशों के संप्रेषण के लिए उपयोगकर्ताओं को प्राधिकृत इकाई द्वारा प्रदान की गई दूरसंचार सेवा, और "वायरलाइन एक्सेस सेवा" और "वायरलेस एक्सेस सेवा" शब्दों को तदनुसार समझा जाएगा ;

(ग) "एक्सेस स्पेक्ट्रम " से अभिप्रेत है उपयोगकर्ता टर्मिनल (यूटी) और बेस स्टेशन के बीच ध्वनि या गैर-ध्वनि संदेशों के संप्रेषण के लिए प्राधिकृत इकाई को सौंपा गया स्पेक्ट्रम;

(घ) "अधिनियम" से दूरसंचार अधिनियम, 2023 (2023 का 44) अभिप्रेत है;

(ङ) " प्राधिकरण का क्षेत्र " का अभिप्राय उस भौगोलिक क्षेत्र से है जिसके लिए दूरसंचार नेटवर्क स्थापित करने, बनाए रखने, संचालित करने या विस्तार करने का प्राधिकरण प्रदान किया जाता है, जो दो प्रकार का हो सकता है:

(i) राष्ट्रीय क्षेत्र जो अधिनियम की धारा 55 के अनुसार भारत के क्षेत्र, भारत के प्रादेशिक जल और भारत के महाद्वीपीय शेल्फ और अनन्य आर्थिक क्षेत्र को संदर्भित करता है; और

(ii) आंचलिक क्षेत्र जो इन नियमों की अनुसूची सी में सूचीबद्ध प्राधिकृत क्षेत्रों को संदर्भित करता है;

(च) " प्राधिकरण शुल्क " से इन नियमों में निर्दिष्ट प्राधिकरण की अवधि के लिए दरों और अंतरालों पर प्राधिकृत इकाई द्वारा देय शुल्क से अभिप्रेत है;

(छ) "प्राधिकृत एजेंसी" का अर्थ है: (i) संदेशों के अपरोधन के लिए, दूरसंचार (संदेशों के विधिपूर्ण अपरोधन के लिए प्रक्रिया और रक्षोपाय) नियम, 2024 के तहत परिभाषित प्राधिकृत एजेंसी; और (ii) किसी अन्य उद्देश्य के लिए, केंद्रीय सरकार द्वारा नामित एजेंसी;

(ज) "बेस स्टेशन" का अर्थ है एक निश्चित रेडियो ट्रांसमीटर और रिसीवर स्टेशन, जो उपयोगकर्ता टर्मिनल और कोर दूरसंचार नेटवर्क के बीच लिंक प्रदान करता है;

(झ) "कॉल" से अभिप्राय दूरसंचार के माध्यम से स्थापित कनेक्शन से है जो ध्वनि संचार को सक्षम बनाता है;

(ञ) "मुख्य दूरसंचार सुरक्षा अधिकारी" से अभिप्राय है दूरसंचार (दूरसंचार साइबर सुरक्षा) नियम, 2024 के नियम 6 के तहत नियुक्त मुख्य दूरसंचार सुरक्षा अधिकारी;

(ट) "कंपनी अधिनियम" का अभिप्राय कंपनी अधिनियम, 1956 या कंपनी अधिनियम, 2013 से है, जैसा भी मामला हो;

(ठ) "नियंत्रण" में निदेशकों के बहुमत को नियुक्त करने या किसी व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा व्यक्तिगत रूप से या सामूहिक रूप से, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, उनके शेयरधारिता या प्रबंधन अधिकारों या शेयरधारकों के समझौतों या मतदान समझौतों या किसी अन्य तरीके से कार्य करने वाले प्रबंधन या नीति निर्णयों को नियंत्रित करने का अधिकार शामिल है:

बशर्ते कि किसी प्राधिकृत इकाई के निदेशक या अधिकारी को केवल ऐसे पद पर आसीन होने के आधार पर प्राधिकृत इकाई पर नियंत्रण रखने वाला नहीं माना जाएगा;

(ड) "कोर दूरसंचार नेटवर्क" का अभिप्राय है दूरसंचार उपकरणों की एक प्रणाली या प्रणालियों की श्रृंखला से है जो दूरसंचार नेटवर्क के विभिन्न भागों के बीच दूरसंचार यातायात के प्रवाह को नियंत्रित करने और नियंत्रित करने के लिए जिम्मेदार है और कनेक्टिविटी, रूटिंग, गतिशीलता प्रबंधन, प्रमाणीकरण, प्राधिकरण, उपयोगकर्ता प्रबंधन, नीति प्रबंधन, दूरसंचार नेटवर्क के एक्सपोजर का प्रबंधन और एप्लिकेशन प्रोग्राम इंटरफेस (एपीआई) की सर्विसिंग सहित कई आवश्यक कार्यों को संभालता है;

(ढ) "प्रभावी तिथि" से अभिप्रेत है प्राधिकरण में निर्दिष्ट तिथि जो प्राधिकरण की प्रभावी तिथि हो;

(ण) "प्रवेश शुल्क" का अभिप्राय किसी प्राधिकरण के क्षेत्र में दूरसंचार नेटवर्क की स्थापना, संचालन, रखरखाव या विस्तार के लिए प्राधिकरण प्रदान करने के लिए भुगतान की जाने वाली अप्रतिदेय शुल्क की गैर-वापसी योग्य राशि से है;

(त) "अनन्य आर्थिक क्षेत्र " का अभिप्राय प्रादेशिक जल, महाद्वीपीय शेल्फ, अनन्य आर्थिक क्षेत्र और अन्य समुद्री क्षेत्र अधिनियम, 1976 की धारा 7 के तहत पहचाने गए क्षेत्र से है;

(थ) "अप्रत्याशित घटना" से अभिप्रेत है निधियों की अनुपलब्धता के अलावा किसी भी कारण या घटना से है, जो ऐसी घटना से प्रभावित होने का दावा करने वाली प्राधिकृत इकाई द्वारा गैर-निष्पादन या प्रदर्शन में देरी का कारण बनता है, जो हैं:

(i) ऐसी इकाई के उचित नियंत्रण से परे, तथा ऐसी इकाई द्वारा प्रत्याशित या पूर्वानुमानित नहीं किया जा सकता था, तथा ऐसी इकाई के कहने पर नहीं लाया गया था, या

(ii) जो, यदि प्रत्याशित या पूर्वानुमानित होता, तो ऐसी इकाई द्वारा टाला नहीं जा सकता था।

"अप्रत्याशित घटनाओं" की उदाहरणात्मक सूची में प्राकृतिक घटनाएं या आपदाएं या ईश्वर का कोई कृत्य, भूकंप, तूफान, बाढ़, आग, विस्फोट, घोषित या अघोषित युद्ध, शत्रुता, आक्रमण, नाकाबंदी, सार्वजनिक दुश्मन के कृत्य, तोड़फोड़, दंगे, हड़ताल, विद्रोह, नागरिक गड़बड़ी, राज्य का कार्य या वैधानिक प्राधिकरण का निर्देश, संगरोध प्रतिबंध, हड़ताल और तालाबंदी (जो प्राधिकृत इकाई के प्रतिष्ठानों और सुविधाओं तक सीमित नहीं हैं) शामिल हैं।

(द) " प्रत्यक्ष विदेशी निवेश " या "एफडीआई" से अभिप्रेत है विदेशी मुद्रा प्रबंधन (गैर-लिखत ऋण) नियम, 2019 के नियम 2 के पैराग्राफ (आर) के तहत परिभाषित प्रत्यक्ष विदेशी निवेश;

(ध) "फार्म" से अभिप्रेत है केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर निर्दिष्ट प्रपत्र से है;

(न) "इन-बिल्डिंग सॉल्यूशन" या "आईबीएस" का अभिप्राय है एक ऐसा दूरसंचार नेटवर्क जिसका उपयोग किसी विशिष्ट क्षेत्र के भीतर वायर्ड या वायरलेस कनेक्टिविटी को विस्तारित और वितरित करने के लिए किया जाता है, जिसमें बड़ी इमारतें, स्टेडियम, हवाई अड्डे या परिसर शामिल हैं, लेकिन यह किसी सार्वजनिक सड़क के नीचे या ऊपर से नहीं गुजरता है ;

(प) "आईबीएस अवसंरचना" का अभिप्राय है आईबीएस के लिए उपयोग की जाने वाली दूरसंचार अवसंरचना और इसमें बेस स्टेशन शामिल नहीं है;

(फ) "इन- स्पेस " का अभिप्राय है भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र से है, जो अंतरिक्ष विभाग के भीतर स्वायत्त एजेंसी है जो गैर-सरकारी इकाईओं की अंतरिक्ष क्षेत्र की गतिविधियों को विनियमित करती है;

(ब) "अंतरसंयोजन" का अभिप्राय है वाणिज्यिक और तकनीकी व्यवस्था जिसके तहत प्राधिकृत इकाइयां या लाइसेंसधारी, जैसा भी मामला हो, अपने दूरसंचार उपकरण, दूरसंचार नेटवर्क और दूरसंचार सेवाओं को जोड़ते हैं ताकि उनके उपयोगकर्ताओं को अन्य प्राधिकृत इकाईओं या लाइसेंसधारियों के उपयोगकर्ताओं, दूरसंचार सेवाओं और दूरसंचार नेटवर्क तक पहुंच प्राप्त हो सके;

(भ) "इंटरनेट" एक वैश्विक प्रणाली है जो:

(क) इंटरनेट प्रोटोकॉल (आईपी) या इसके बाद के संवर्द्धनों या अपग्रेडशनों के आधार पर, वैश्विक रूप से युनिक एड्रेस द्वारा तार्किक रूप से एक साथ जुड़ा हुआ है ; और

(ख) ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल/इंटरनेट प्रोटोकॉल (टीसीपी/आईपी) सूट या इसके बाद के संवर्द्धनों/अपग्रेडशनों और अन्य सभी आईपी संगत प्रोटोकॉल का उपयोग करके संचार का समर्थन करने में सक्षम है;

(म) "आशय पत्र" या "एलओआई" का अभिप्राय है इन नियमों के नियम 9 के उपनियम(2) के अंतर्गत जारी पत्र;

(य) "लाइसेंस" का अभिप्राय भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 के अंर्तगत दूरसंचार सेवाओं या दूरसंचार नेटवर्क के प्रावधान के लिए लाइसेंस, पंजीकरण या अनुज्ञा से है चाहे किसी भी नाम से दिया गया हो, और "लाइसेंसधारक" शब्द का अर्थ तदनुसार लिया जाएगा;

(कक) "मुख्य दूरसंचार सेवाएं" का अभिप्राय दूरसंचार (मुख्य दूरसंचार सेवाओं के प्रावधान हेतु प्राधिकरण) नियम, 2025 के द्वारा नियमित के अंतर्गत अभिज्ञात दूरसंचार सेवा और उसके लिए प्राधिकरण प्रदान करना है;

(खख) "विलय नियम" का अभिप्रेत दूरसंचार (प्राधिकृत इकाईयों के पुनर्गठन या अधिग्रहण का विनियमन) नियम, 2025 है;

(गग) "माइग्रेशन नियम" का अभिप्रेत दूरसंचार (माइग्रेशन) नियम, 2025 है;

(घघ) "पोल" का वही अभिप्रेत होगा जो दूरसंचार (मार्ग के अधिकार) नियम, 2024 के अंतर्गत दिया गया है;

(ङङ) "पोर्टल" से अभिप्रेत है इन नियमों के नियम 2 के उप-नियम (3) के अंतर्गत केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित पोर्टल;

(चच) "निषिद्ध निवेशक" से अभिप्रेत है ऐसा व्यक्ति जो निम्नलिखित श्रेणियों में से किसी एक में आता है:

(i) सेबी द्वारा पूंजी बाजार के एक्सेस से विवर्जित व्यक्ति;

(ii) ऐसा व्यक्ति जिसे केंद्रीय सरकार द्वारा तब निर्धारित किया जा सकता है जब वह राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझे;

(iii) ऐसा व्यक्ति जिसका प्राधिकरण या लाइसेंस, जैसा भी मामला हो, उसके द्वारा प्राधिकरण या लाइसेंस के निबंधन और शर्तों के अनुपालन में चूक के कारण रद्द कर दिया गया हो;

(iv) ऐसा व्यक्ति जो चूक या रद्दीकरण के समय खंड (iii) के अधीन विनिर्दिष्ट व्यक्ति के नियंत्रण में था; और

(v) कोई व्यक्ति या व्यक्तियों का वर्ग जिसे समय-समय पर केन्द्रीय सरकार द्वारा चिन्हित किया जा सकता है, जिसे कोई इक्विटी शेयर रखने से या प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी प्राधिकृत इकाई या लाइसेंसधारक को नियंत्रित करने प्रतिबंधित किया गया है, जैसा भी मामला हो;

(छछ) "सैटेलाइट अर्थ स्टेशन गेटवे" या "एसईएसजी" से अभिप्रेत है एंटेना और संबद्ध दूरसंचार उपकरणों के साथ एक भू-आधारित दूरसंचार सुविधा है जो एक इंटरफेस के रूप में कार्य करता है, जो उच्च ऊंचाई वाले प्लेटफार्मों (एचएपी) या सैटेलाइटों सहित मानवरहित विमान प्रणालियों (यूएएस) को स्थलीय दूरसंचार नेटवर्क से जोड़ता है;

(जज) "सैटेलाइट प्रणाली" या "सैटेलाइट नेटवर्क" से तात्पर्य एक दूरसंचार नेटवर्क से है जिसमें सैटेलाइट, सिस्टम कंट्रोल सेन्टर, गेटवे, साथ ही संबद्ध दूरसंचार नेटवर्क और टर्मिनल शामिल हैं जो सैटेलाइटों और टर्मिनलों के बीच सीधे संचार चैनलों के साथ-साथ फीडर लिंक के माध्यम से स्थलीय दूरसंचार नेटवर्क से कनेक्शन को सक्षम करते हैं;

(झझ) "ट्राई" से अभिप्रेत है ट्राई अधिनियम के अंतर्गत गठित भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण;

(णण) "ट्राई अधिनियम" से अभिप्रेत है भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 (1997 का 24);

(टट) "उपयोगकर्ता टर्मिनल (यूटी)" या "उपयोगकर्ता उपकरण (यूई)" से अभिप्रेत है एक प्रकार का दूरसंचार उपकरण जिसका उपयोग उपयोगकर्ता द्वारा किसी प्राधिकृत इकाई द्वारा प्रदान की गई दूरसंचार सेवा का उपयोग करने के लिए किया जाता है;

(ठठ) "वायरलेस एक्सेस नेटवर्क" या "रेडियो एक्सेस नेटवर्क" का अभिप्रेत है एक प्रकार का एक्सेस नेटवर्क जो वायरलेस तकनीकों या वायरलाइन और बेतार (वायरलेस) तकनीकों के संयोजन का उपयोग करता है; और

(डड) "वायरलाइन एक्सेस नेटवर्क" का अभिप्रेत है एक प्रकार का एक्सेस नेटवर्क जो वायरलाइन तकनीकों का उपयोग करता है।

(2) इन नियमों में प्रयुक्त शब्द और अभिव्यक्तियाँ, जो इसमें परिभाषित नहीं हैं, किन्तु अधिनियम में, या मुख्य दूरसंचार सेवा के नियमों में परिभाषित हैं, उनके वही अभिप्रेत होंगे जो अधिनियम में या ऐसे नियमों में दिए गए हैं।

(3) केंद्रीय सरकार अधिनियम के अंतर्गत नियमों के कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ एक या एक से अधिक पोर्टल स्थापित और अधिसूचित कर सकती है।

3. प्रयोज्यता

ये नियम किसी भी ऐसे व्यक्ति पर लागू होंगे, जो प्राधिकरण के क्षेत्र में नियम 4 में विनिर्दिष्ट दूरसंचार नेटवर्क की स्थापना, संचालन, रखरखाव या विस्तार करने की मंशा रखता है।

अध्याय 2: दूरसंचार नेटवर्क के लिए प्राधिकरण

4. प्राधिकरणों की श्रेणियाँ

दूरसंचार नेटवर्क के लिए प्राधिकरणों में निम्नलिखित श्रेणियाँ शामिल होंगी:

(क) अवसंरचना प्रदाता (आईपी) प्राधिकरण, जिसमें इन नियमों के अध्याय 6 के भाग क (आईपी प्राधिकरण) में वर्णित दूरसंचार नेटवर्क शामिल होगा;

(ख) डिजिटल कनेक्टिविटी अवसंरचना प्रदाता (डीसीआईपी) प्राधिकरण, जिसमें इन नियमों के अध्याय 6 के भाग ख (डीसीआईपी प्राधिकरण) में वर्णित दूरसंचार नेटवर्क शामिल होगा;

(ग) इंटरनेट एक्सचेंज पॉइंट (आईएक्सपी) प्रदाता प्राधिकरण, जिसमें इन नियमों के अध्याय 6 के भाग ग (आईएक्सपी प्रदाता प्राधिकरण) में वर्णित दूरसंचार नेटवर्क शामिल होगा;

(घ) सैटेलाइट अर्थ स्टेशन गेटवे (एसईएसजी) प्रदाता प्राधिकरण, जिसमें इन नियमों के अध्याय 6 के भाग घ (एसईएसजी प्रदाता प्राधिकरण) में वर्णित दूरसंचार नेटवर्क शामिल होगा;

(ङ) क्लाउड-होस्टेड दूरसंचार नेटवर्क (सीटीएन) प्रदाता प्राधिकरण, जिसमें इन नियमों के अध्याय 6 के भाग ङ (सीटीएन प्रदाता प्राधिकरण) में वर्णित दूरसंचार नेटवर्क शामिल होगा; और

(च) मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी (एमएनपी) प्रदाता प्राधिकरण, जिसमें इन नियमों के अध्याय 6 के भाग च (एमएनपी प्रदाता प्राधिकरण) में वर्णित दूरसंचार नेटवर्क शामिल होगा।

5. **प्राधिकरण क्षेत्र**

दूरसंचार नेटवर्क के लिए एमएनपी प्रदाता प्राधिकरण को छोड़कर, जहाँ प्राधिकरण का क्षेत्र क्षेत्रीय क्षेत्र होगा प्रत्येक श्रेणी के प्राधिकरण के लिए प्राधिकरण का क्षेत्र राष्ट्रीय क्षेत्र होगा।

6. **प्राधिकरण की अवधि**

(1) दूरसंचार नेटवर्क के लिए प्राधिकरण की प्रत्येक श्रेणी के प्रारंभिक वैधता अवधि प्रभावी तिथि से बीस वर्ष होगी, जब तक कि इन नियमों में विनिर्दिष्ट कारणों से इसे पहले ही कम या रद्द न कर दिया जाए:

बशर्ते कि एमएनपी प्रदाता प्राधिकरण की प्रारंभिक वैधता अवधि प्रभावी तिथि से दस वर्ष होगी, जब तक कि इन नियमों में विनिर्दिष्ट कारणों से इसे पहले ही कम या रद्द नहीं कर दिया जाता है।

(2) प्राधिकरण की अवधि को नियम 16 के तहत प्रावधान के अनुसार नवीकृत किया जा सकता है।

7. प्राधिकरण प्रदान करने के लिए पात्रता मानदंड

(1) इन नियमों के तहत प्राधिकरण चाहने वाला आवेदक कंपनी अधिनियम के अधीन निगमित कंपनी होगी।

(2) इन नियमों के तहत एसईएसजी प्रदाता प्राधिकरण चाहने वाला आवेदक, उप-नियम (1) में विनिर्दिष्ट अपेक्षिता के अतिरिक्त, निम्नलिखित में से कोई एक भी होगा:

(क) अंतरिक्ष विभाग या इन-स्पेस द्वारा प्राधिकृत अंतरिक्ष खंड प्रदाता, या इस प्रयोजन के लिए केंद्रीय सरकार द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य कार्यालय;

(ख) खंड (क) में विनिर्दिष्ट अंतरिक्ष खंड प्रदाता की अनुषंगी कंपनी; या

(ग) भारत में अंतरिक्ष खंड प्रदाता की सैटेलाइट प्रणालियों के संबंध में एसईएसजी की स्थापना, रखरखाव, संचालन या विस्तार के लिए खंड (क) में विनिर्दिष्ट अंतरिक्ष खंड प्रदाता के साथ करार करने वाला व्यक्ति।

(3) इन नियमों के तहत एमएनपी प्रदाता प्राधिकरण चाहने वाले आवेदक को उप-नियम (1) में विनिर्दिष्ट अपेक्षिता के अतिरिक्त, निम्नलिखित का भी अनुपालन करना होगा:

(क) आवेदक या उसका भौतिक शेयरधारक, अधिनियम के अंतर्गत एकीकृत सेवा या एक्सेस सेवा या लंबी दूरी की सेवा प्रदान करने के लिए प्राधिकरण या भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 के तहत एक्सेस सेवा या राष्ट्रीय लंबी दूरी की सेवा या अंतर्राष्ट्रीय लंबी दूरी की सेवा प्रदान करने के लिए लाइसेंस रखने वाली किसी अन्य प्राधिकृत इकाई में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई इक्विटी नहीं रखेगा।

(ख) आवेदक या उसका भौतिक शेयरधारक, एमएनपी प्रदाता प्राधिकरण रखने वाली किसी अन्य प्राधिकृत इकाई में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई पर्याप्त इक्विटी शेयरधारिता (एसईएच) नहीं रखेगा:

बशर्ते कि केंद्रीय सरकार, अपवादी परिस्थितियों में और उसके लिए कारण दर्ज करके, खंड (ख) में विनिर्दिष्ट शर्त को शिथिल कर सकती है।

(4) किसी भी आवेदक में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, नियम 8 के तहत प्राधिकरण हेतु आवेदन करते समय लागू भारत के कानूनों और नीतियों के अनुरूप होगा:

बशर्ते कि आवेदक में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष निवेशक भी भारत के लागू कानूनों और नीतियों के अनुरूप होंगे।

(5) आवेदक के पास किसी निषिद्ध निवेशक से कोई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष निवेश या किसी निषिद्ध निवेशक का नियंत्रण नहीं होगा।

(6) यदि आवेदक ऐसी इकाई है जिसके पास भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 के तहत लाइसेंस था, जिसे समाप्त कर दिया गया है या अभ्यर्पित कर दिया गया है या उसकी अवधी समाप्त हो गई है, तो ऐसे आवेदक को सभी राशियों का भुगतान करना होगा, जैसा कि केंद्रीय सरकार द्वारा विनिर्धारित किया जा सकता है, जो पहले समाप्त, अभ्यर्पित या जिसकी अवधी समाप्त हो चुकी है के तहत देय है, जिसमें आवेदक द्वारा धारित प्रासंगिक लाइसेंस के तहत विलंबित भुगतान के लिए निर्धारित दर के आधार पर गणना की गई लागू ब्याज भी शामिल है।

(7) यदि आवेदक ऐसी इकाई है जिसे अधिनियम के तहत कोई प्राधिकरण प्रदान किया गया था और निम्नलिखित परिस्थितियाँ लागू होती हैं:

(क) उसने ऐसा प्राधिकरण अभ्यर्पित कर दिया था, किन्तु नियम 22 के तहत उसके संबंध में देय बकाया राशि लंबित है;

(ख) यह नियम 18 के तहत प्रतिसंहरण के अधीन था और उसके न्यायनिर्णयन के पश्चात् इन नियमों के तहत प्राधिकरण के लिए आवेदन प्रस्तुत कर रहा है, किन्तु ऐसी अवधि के दौरान जब वह प्राधिकरण के लिए आवेदन प्रस्तुत कर सकता है, किन्तु उसके संबंध में देय बकाया राशि लंबित है; या

(ग) समय बीत जाने के कारण उसका प्राधिकरण समाप्त हो गया है, तथा उस पर लंबित देयताएं बकाया हैं;

तो ऐसा आवेदक को इन नियमों के तहत प्राधिकरण के लिए आवेदन करने हेतु पात्र होने के लिए, केंद्रीय सरकार द्वारा निर्धारित सभी राशियों का भुगतान करना होगा।

(8) किसी सेवा क्षेत्र में दूरसंचार सेवाओं के लिए प्राधिकरण या लाइसेंस रखने वाली कोई प्राधिकृत इकाई या लाइसेंसधारक, किसी दूरसंचार नेटवर्क के लिए प्राधिकरण प्राप्त करने हेतु आवेदन करने के लिए पात्र नहीं होगी, जिसके प्राधिकरण का कार्य क्षेत्र और सेवा क्षेत्र, उसकी संपूर्णता में, उस कार्य क्षेत्र और सेवा क्षेत्र को शामिल करता है जिसके लिए उसके पास पहले से ही दूरसंचार सेवाओं के लिए प्राधिकरण या लाइसेंस है, जैसा भी मामला हो।

(9) इस नियम के प्रयोजन के लिए:

(क) " मटिरियल शेयरधारक" से केन्द्रीय सरकार, वित्तीय इकाईओं और अनुसूचित बैंकों के अलावा कोई व्यक्ति अभिप्रेत है, जो प्राधिकृत इकाई में दस प्रतिशत या उससे अधिक इक्विटी रखता है; और

(ख) "पर्याप्त इक्विटी शेयरधारिता (एसईएच)" का अभिप्रेत होगा दस प्रतिशत या उससे अधिक की इक्विटी शेयरधारिता।

8. प्राधिकरण प्राप्त करने के लिए आवेदन

(1) एमएनपी प्रदाता प्राधिकरण की श्रेणी को छोड़कर, नियम 4 में सूचीबद्ध किसी भी श्रेणी में प्राधिकरण प्राप्त करने का इच्छुक कोई भी व्यक्ति, पोर्टल पर इस प्रयोजन के लिए पोर्टल पर विनिर्दिष्ट प्रारूप और तरीके से आवेदन प्रस्तुत करेगा और उसके साथ ऐसे (पोर्टल पर विनिर्दिष्ट) दस्तावेज़ भी संलग्न करेगा।

(2) एमएनपी प्रदाता प्राधिकरण, केंद्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट प्रारूप और तरीके से आयोजित बोली प्रक्रिया के अनुसार प्रदान किए जाएँगे और ऐसा प्राधिकरण प्राप्त करने का इच्छुक कोई भी व्यक्ति, आवेदन आमंत्रण में विनिर्दिष्ट प्रासंगिक दस्तावेज़ों के साथ आवेदन प्रस्तुत करेगा।

(3) जहाँ इन नियमों के तहत प्राधिकरण चाहने वाला आवेदक एक वर्तमान लाइसेंसधारक है, तो उसे प्राधिकरण के लिए अपने आवेदन के साथ:

(क) माइग्रेशन नियमों के अनुसार, अपने सभी मौजूदा लाइसेंसों को संबंधित प्राधिकरण में माइग्रेशन करने के लिए आवेदन करना होगा और ऐसे आवेदन का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा; या

(ख) यदि माइग्रेशन के लिए आवेदन पहले ही किया जा चुका है, तो उसका प्रमाण प्रस्तुत करना होगा:

बशर्ते कि यह उप-नियम नियम 9 के उप-नियम (9) के तहत विनिर्दिष्ट स्थितियों के संबंध में लागू नहीं होगा।

(4) उप-नियम (1) या उप-नियम (2) के तहत प्रत्येक आवेदन, जैसा भी मामला हो, इन नियमों की अनुसूची 'क' में निर्धारित अप्रतिदेय प्रक्रमण शुल्क के साथ संलग्न होगा।

(5) इन नियमों के तहत कोई भी आवेदक प्राधिकरण के विभिन्न क्षेत्रों में एक या एक से अधिक प्राधिकरणों के लिए एक साथ आवेदन कर सकता है।

9. प्राधिकरण प्रदान करना

(1) नियम 8 के उप-नियम (1) के अधीन प्रस्तुत किसी भी आवेदन की जाँच करने पर, केंद्रीय सरकार अपेक्षिता के अनुसार स्पष्टीकरण या अतिरिक्त दस्तावेज़ मांग सकती है।

(2) यदि कोई आवेदक प्राधिकरण प्रदान करने के लिए पात्र पाया जाता है, तो आवेदक को पोर्टल के माध्यम से आशय पत्र जारी किया जाएगा:

बशर्ते कि आईपी या आईएक्सपी प्रदाता के लिए प्राधिकरण, उप-नियम (6) के अनुसार, पात्र आवेदकों को बिना किसी पूर्व निर्गमन के आशय पत्र जारी किए जाएँगे।

(3) वह आवेदक जिसे उप-नियम (2) के अनुसार आशय पत्र जारी किया गया है, आशय पत्र में विनिर्दिष्ट निबंधन और शर्तों का उसमें विनिर्दिष्ट समय अवधि के भीतर अनुपालन करेगा, जिसमें अनुसूची क में ऐसे प्राधिकरण के लिए विनिर्दिष्ट प्रवेश शुल्क का भुगतान भी शामिल है, और पोर्टल पर इसका साक्ष्य जमा करेगा।

(4) यदि आशय पत्र में निर्धारित अपेक्षिताएं आशय पत्र में निर्धारित समयावधि के भीतर पूरी नहीं की जाती हैं, तो ऐसा पत्र व्यापगत समझा जाएगा, और प्राधिकरण के लिए आवेदन अस्वीकार कर दिया जाएगा:

बशर्ते कि केंद्रीय सरकार, आशय पत्र में विनिर्दिष्ट समय की समाप्ति से पहले आवेदक द्वारा किए गए समय विस्तार के अनुरोध पर विचार करने के आधार पर, पोर्टल पर विनिर्दिष्ट प्रारूप और तरीके से, आशय पत्र में विनिर्दिष्ट तिथि से अधिकतम तीस दिनों की अवधि के लिए एक बार विस्तार प्रदान कर सकती है।

(5) आवेदक द्वारा आशय पत्र के निबंधन और शर्तों का अनुपालन करने पर, या उप-नियम (2) के परंतुक में विनिर्दिष्ट प्राधिकरण के संबंध में, पोर्टल पर एक विशिष्ट प्राधिकरण संख्या सृजित की जाएगी, और आवेदक को इन नियमों की अनुसूची ख में विनिर्दिष्ट प्रारूप में प्राधिकरण प्रदान किया जाएगा।

(6) नियम 8 के उप-नियम (2) के अनुसार एमएनपी प्रदाता प्राधिकरण के लिए बोलीदाता आवेदकों को आवेदन आमंत्रित करने के अंतर्गत विनिर्दिष्ट निबंधन और शर्तों का अनुपालन करना होगा, और सफल बोलीदाता, आवेदन आमंत्रित करने के अंतर्गत विनिर्दिष्ट समय-सीमा के अनुसार:

(क) अनुसूची क के तहत विनिर्दिष्ट प्रवेश शुल्क का भुगतान करेगा; और

(ख) अनुसूची के के तहत विनिर्दिष्ट राशि की प्रारंभिक गारंटी निम्नलिखित में से किसी भी रूप में प्रस्तुत करें:

(i) किसी भी अनुसूचित बैंक या सार्वजनिक वित्तीय इकाई से एक वर्ष की न्यूनतम वैधता अवधि के साथ बैंक गारंटी;

(ii) भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा जारी किए गए लागू नियमों और दिशानिर्देशों के अनुसार, एक बीमा कंपनी द्वारा जारी किया गया एक बीमा ज़मानत बांड, एक वर्ष की न्यूनतम वैधता अवधि के साथ, या

(iii) केन्द्रीय सरकार के पास ब्याज रहित प्रतिभूति जमा;

और पोर्टल पर इसका प्रमाण जमा करेगा।

(7) उप-नियम (6) की आवश्यकताओं के अनुपालन के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार प्रत्येक आंचलिक क्षेत्र में केवल एक सफल बोलीदाता को अनुसूची ख के तहत विनिर्दिष्ट प्रारूप में एमएनपी प्रदाता प्राधिकरण प्रदान करेगी और एक विशिष्ट प्राधिकरण संख्या प्रदान करेगी:

बशर्ते कि, केन्द्रीय सरकार अधिसूचना द्वारा, देश में आंचलिक क्षेत्रों की संख्या में परिवर्तन कर सकती है, प्रत्येक आंचलिक क्षेत्र के भीतर प्राधिकृत क्षेत्रों की संरचना में संशोधन कर सकती है, और बोली प्रक्रिया के माध्यम से प्रत्येक आंचलिक क्षेत्र में अतिरिक्त एमएनपी प्रदाता प्राधिकरण प्रदान कर सकती है।

(8) इन नियमों के तहत प्राधिकरण के लिए किसी भी आवेदन पर आवेदक द्वारा किए गए बयानों, कथनों, अभ्यावेदनों और प्रस्तुतियों के आधार पर और इस प्रकार प्रदान किए गए सहायक दस्तावेजों के आधार पर आगे बढ़ाया जाएगा और यदि किसी भी समय, ऐसी जानकारी गलत पाई जाती है, तो नियम 18 के प्रावधान लागू होंगे।

(9) केन्द्रीय सरकार, जहां तक यथोचित रूप से व्यावहारिक हो, नियम 8 के तहत प्राप्त आवेदन पर आवेदक द्वारा स्पष्टीकरण या अतिरिक्त दस्तावेज प्रदान करने के साठ दिनों की अवधि के भीतर निर्णय लेने का प्रयास करेगी, जैसा कि उप-नियम (1) के तहत अपेक्षित हो सकता है:

बशर्ते कि उप-नियम (4) के परिणामस्वरूप निर्णय के अलावा आवेदन को अस्वीकार करने वाला कोई भी निर्णय, लिखित रूप में विनिर्दिष्ट किए जाने वाले कारणों के साथ होगा।

(10) एक प्राधिकृत इकाई को एक प्राधिकरण क्षेत्र में विशिष्ट दूरसंचार नेटवर्क के लिए एक से अधिक प्राधिकरण रखने की अनुमति नहीं दी जाएगी:

बशर्ते कि यदि कोई प्राधिकृत इकाई या कोई लाइसेंसधारी, जैसा भी मामला हो, प्राधिकरण के क्षेत्र में, एक दूरसंचार नेटवर्क के लिए प्राधिकरण प्राप्त करने के लिए आवेदन करता है या विलय नियमों के अनुसार दूरसंचार नेटवर्क के लिए प्राधिकरण प्राप्त करता है, जिसके अधिकार का दायरा और क्षेत्र इसकी संपूर्णता में शामिल है, प्राधिकरण का दायरा और क्षेत्र, जिसके लिए उसके पास पहले से ही एक प्राधिकरण या लाइसेंस है, तो इस तरह के मौजूदा प्राधिकरण या लाइसेंस को विलय नियमों के अनुसार इसके अनुदान या अधिग्रहण या पुनर्गठन पर नए प्राधिकरण में शामिल माना जाएगा, और इस प्रकार शामिल किए गए प्राधिकरण या लाइसेंस को रद्द माना जाएगा;

बशर्ते कि, पूर्व प्राधिकरण या लाइसेंस के उपस्थापन और रद्द होने पर:

(क) इस तरह के पहले के प्राधिकरण या लाइसेंस के तहत किए गए किसी भी बकाया, दंड, देनदारियों या दायित्वों को हटाने या उनमे कोई छूट नहीं होगी, जैसा भी मामला हो;

(ख) खंड (क) के तहत विनिर्दिष्ट ऐसे बकाया, दंड, देनदारियां या दायित्व अंतरित किए जाएंगे और नए प्राधिकरण के तहत आगे बढ़ाया जाएगा, और ऐसी इकाई द्वारा देय रहेंगे और केन्द्रीय सरकार द्वारा वसूली योग्य रहेंगे; और

(ग) लाइसेंसधारी या प्राधिकृत इकाई द्वारा उसके आवेदन के समय आयोजित किसी भी अनुमति या अनुमोदन को संचालन के संबंधित क्षेत्र के लिए नियम 9 के तहत दिए गए प्रासंगिक प्राधिकरणों के तहत फिर से सौंपा गया माना जाएगा, जब तक कि केन्द्रीय सरकार किसी विशिष्ट स्थिति या परिस्थिति की समीक्षा की आवश्यकता का निर्धारण नहीं करती है।

(11) कोई भी आवेदक जिसे इन नियमों की अधिसूचना से पहले भारतीय तार अधिनियम 1885 के तहत लाइसेंस प्रदान करने के लिए आशय पत्र जारी किया गया है, को आवेदक द्वारा स्वीकृति के अधीन अधिनियम के तहत संबंधित प्राधिकरण प्रदान करने के लिए विचार किया जाएगा, और ऐसे मामलों में, प्रसंस्करण शुल्क और प्रवेश शुल्क का भुगतान यदि पहले ही किया जा चुका है, तो इस तरह के प्राधिकरण के अनुदान के लिए प्रसंस्करण शुल्क और प्रवेश शुल्क, जैसा कि विनिर्दिष्ट किया गया है, के लिए समायोजित किया जाएगा:

बशर्ते कि आवेदक को अधिनियम के तहत प्राधिकरण प्रदान करने के संबंध में, यदि आवश्यक हो, प्रवेश शुल्क के अंतर का भुगतान भी करना होगा।

10. गैर-अनन्य प्राधिकरण

इन नियमों के अनुसरण में प्रदान किया गया प्रत्येक प्राधिकरण गैर-अनन्य आधार पर होगा और केन्द्रीय सरकार द्वारा समान या भिन्न दूरसंचार नेटवर्क के लिए समान या भिन्न निबंधन और शर्तों के साथ अतिरिक्त प्राधिकरण प्राधिकृत इकाई की संख्या पर किसी भी प्रतिबंध के बिना प्राधिकरण के समान या अन्य क्षेत्रों के भीतर प्रदान किए जा सकते हैं:

परन्तु केन्द्रीय सरकार, स्वयं या किसी सार्वजनिक निकाय के माध्यम से, भारत में कहीं भी दूरसंचार नेटवर्क की स्थापना, संचालन, अनुरक्षण या विस्तार कर सकेगी।

अध्याय 3: सामान्य शर्तें

11. अधिनियम का अनुपालन

(1) एक प्राधिकृत इकाई अधिनियम के प्रावधानों और उसके तहत निर्धारित नियमों का पालन करेगी, जिसमें अधिनियम या नियमों के प्रावधानों के तहत केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी की गई सभी अधिसूचनाएं, आदेश, निर्देश या दिशानिर्देश शामिल हैं, जिन्हें अधिनियम के तहत जारी प्रत्येक प्राधिकरण में शामिल माना जाएगा।

(2) एक प्राधिकृत इकाई इन नियमों को प्रभावी करने के उद्देश्य से केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी अधिसूचनाओं, आदेशों, निर्देशों या दिशानिर्देशों का भी पालन करेगी, जो इन नियमों से असंगत नहीं हैं।

12. ट्राई अधिनियम का अनुपालन

एक प्राधिकृत इकाई ट्राई अधिनियम के प्रावधानों से बंधी होगी, और इसमें किसी भी गैर-अनुपालन के मामले का निपटान ट्राई अधिनियम के तहत किया जाएगा।

13. पात्रता शर्तों का निरंतर अनुपालन

(1) एक प्राधिकृत इकाई के साथ-साथ उसके निवेशक प्राधिकरण की अवधि के दौरान हर समय विदेशी निवेश से संबंधित कानूनों सहित भारत के सभी लागू कानूनों और नीतियों का पालन करना जारी रखेंगे।

(2) एक प्राधिकृत इकाई यह सुनिश्चित करेगी कि किसी भी निषिद्ध निवेशक का प्राधिकरण की अवधि के दौरान हर समय ऐसी इकाई में कोई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष निवेश या नियंत्रण नहीं है।

14. रिपोर्टिंग और प्रकटीकरण दायित्व

(1) एक प्राधिकृत इकाई:

(क) शेयरधारिता में इस तरह के परिवर्तन की तारीख से पंद्रह दिनों के भीतर पोर्टल पर विनिर्दिष्ट रूप और तरीके से अपनी शेयरधारिता में किसी भी बदलाव की रिपोर्ट करना और लागू कानूनों के तहत प्रासंगिक अनुमति प्राप्त करने सहित किसी भी वैधानिक आवश्यकताओं का अनुपालन भी सुनिश्चित करेगा;

(ख) कंपनी अधिनियम के तहत जिस नाम के तहत इसे शामिल किया गया है, उस रूप में और तरीके से इस तरह के प्रमाण पत्र के जारी होने की तारीख से तीस दिनों के भीतर कंपनी रजिस्ट्रार द्वारा जारी किए गए प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति के साथ, कंपनी अधिनियम के तहत किसी भी परिवर्तन की रिपोर्ट करेगी:

(ग) इस तरह के परिवर्तन के पंद्रह दिनों के भीतर पोर्टल पर विनिर्दिष्ट रूप और तरीके से स्वामित्व, नियंत्रण, पते और संपर्क विवरण, या किसी भी अन्य मटिरियल विवरण में कोई भी परिवर्तन केन्द्रीय सरकार को प्रस्तुत करें।

(घ) पोर्टल पर विनिर्दिष्ट समय सीमा के भीतर निर्देशित दस्तावेजों, खातों, अनुमानों, रिटर्न, रिपोर्ट या अन्य जानकारी की मांग करने पर केन्द्रीय सरकार को प्रस्तुत करना होगा।

(2) एक प्राधिकृत इकाई केन्द्रीय सरकार और संबंधित प्राधिकृत एजेंसी को इस उद्देश्य के लिए विनिर्दिष्ट रूप और तरीके से एक नोडल व्यक्ति के विवरण को नामित करेगी और सूचित करेगी, जो किसी भी रिपोर्ट या सूचना प्रदान करने या आवश्यक सहायता प्रदान करने के लिए जिम्मेदार होगा, जैसा कि इन नियमों के तहत आवश्यक हो सकता है।

15. प्राधिकरण के अंतरण पर प्रतिबंध

(1) एक प्राधिकृत इकाई यह नहीं करेगा:

(क) केन्द्रीय सरकार के पूर्व लिखित अनुमोदन के बिना, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, या किसी भी तरीके से, अपने प्राधिकरण को सौंपना या अंतरित करना;

(ख) उप-पट्टे या उप-प्राधिकरण के लिए किसी भी साझेदारी या समझौते को करना; और

(ग) इस तरह के प्राधिकरण में किसी तीसरे पक्ष के लिए कोई हित पैदा करना।

(2) विलय नियमों के अनुसार किसी प्राधिकृत इकाई के किसी भी पुनर्गठन या अधिग्रहण के अनुसरण में ही प्राधिकरण सौंपा या अंतरित किया जा सकता है।

16. प्राधिकरण का नवीनीकरण

(1) एक प्राधिकृत इकाई प्राधिकरण की समाप्ति से कम से कम बारह महीने पहले, पोर्टल पर, विनिर्दिष्ट रूप और तरीके से प्राधिकरण के नवीनीकरण के लिए इस तरह के नवीनीकरण हेतु प्रोसेसिंग शुल्क के साथ आवेदन प्रस्तुत कर सकती है, जैसा कि इन नियमों की अनुसूची क में विनिर्दिष्ट है:

बशर्ते कि नवीनीकरण के लिए आवेदन प्राधिकरण की समाप्ति से चार महीने पहले तक प्रस्तुत किया जा सकता है, जो इस उद्देश्य के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट विलंब शुल्क के भुगतान के अधीन है।

(2) केन्द्रीय सरकार, उप-नियम (1) के तहत आवेदन पर विचार करने पर, ऐसे निबंधन और शर्तों के अधीन प्राधिकरण का नवीनीकरण प्रदान कर सकती है, और यह विनिर्दिष्ट कर सकती है, जिसमें इस तरह के नवीनीकरण के समय लागू कानून और नीति का अनुपालन शामिल है:

(क) एमएनपी प्रदाता प्राधिकरण के मामले में दस साल; और

(ख) अन्य सभी प्राधिकरणों के मामले में बीस साल:

बशर्ते कि आवेदन को अस्वीकार करने वाला कोई भी निर्णय लिखित रूप में विनिर्दिष्ट किए जाने वाले कारणों के साथ होगा।

(3) जहां उप-नियम (2) के संदर्भ में कोई आवेदन अस्वीकार कर दिया गया है, या उप-नियम (1) के तहत विनिर्दिष्ट समय-सीमा के भीतर प्राधिकरण के नवीनीकरण के लिए कोई आवेदन प्राप्त नहीं होता है, तो इस तरह के प्राधिकरण मौजूदा प्राधिकरण की वैधता अवधि के अंत में समाप्त हो जाएगा।

17. **अप्रत्याशित घटना**

(1) यदि किसी प्राधिकृत इकाई द्वारा प्राधिकरण के अधीन किसी दायित्व के निष्पादन को किसी अप्रत्याशित घटना के कारण पूरी तरह या आंशिक रूप से रोका या विलंबित किया जाता है, और ऐसी इकाई ने उप-नियम (2) के तहत अपने अधिसूचना दायित्वों का अनुपालन किया है, तो इस तरह के गैर-निष्पादन या इस तरह घटना की अवधि के दौरान निष्पादन में देरी के संबंध में केन्द्रीय

सरकार न तो प्राधिकरण को रद्द करेगी, और न ही ऐसी प्राधिकृत इकाई के खिलाफ किसी भी नुकसान का दावा करेगी।

(2) एक प्राधिकृत इकाई केन्द्रीय सरकार को इस उद्देश्य के लिए विनिर्दिष्ट किए जाने वाले रूप और तरीके से, ऐसी घटना के घटित होने की तारीख से इक्कीस दिनों के भीतर अप्रत्याशित घटना के बारे में सूचित करेगी।

(3) एक प्राधिकृत इकाई प्राधिकरण की अवधि के विस्तार के लिए, या अप्रत्याशित घटना के लिए किसी भी मुआवजे का दावा करने के लिए, या अप्रत्याशित घटना के कारण केन्द्रीय सरकार के दायित्वों में गैर-प्रदर्शन या विलंब के लिए केन्द्रीय सरकार के खिलाफ किसी भी नुकसान का दावा करने की हकदार नहीं होगी।

18. **किसी प्राधिकृत इकाई द्वारा डिफ़ॉल्ट**

(1) प्राधिकरण के निबंधन और शर्तों के किसी भी उल्लंघन या ब्रीच का न्यायनिर्णयन और अपील दूरसंचार (न्यायनिर्णयन और अपील) नियम, 2025 द्वारा नियंत्रित होगी।

(2) केन्द्रीय सरकार अधिनियम की धारा 32 की उप-धारा (3) के अंतर्गत सूचीबद्ध कारकों को ध्यान में रखते हुए, प्राधिकरण के निबंधन और शर्तों के उल्लंघन के लिए लागू ऐसी न्यायिक प्रक्रिया के अनुसरण में लगाए गए दण्डों के श्रेणीकरण को विनिर्दिष्ट कर सकती है।

(3) जहां अधिनियम की धारा 32 की उपधारा (1) के खंड (ख) के तहत प्राधिकरण के निलंबन, निरसन या की अवधि कटौती के संबंध में सिफारिशें की गई हैं, केन्द्रीय सरकार एक प्राधिकृत इकाई को कारण बताओ नोटिस जारी करेगी, जिसमें इसका जवाब देने के लिए इक्कीस दिनों तक की अवधि विनिर्दिष्ट की जाएगी।

(4) केन्द्रीय सरकार, किसी प्राधिकृत इकाई द्वारा प्रस्तुत उत्तर पर उचित विचार करने के बाद, पूरी तरह या आंशिक रूप से निलंबित या कटौती कर सकती है, या ऐसी इकाई के प्राधिकरण को रद्द कर सकती है:

बशर्ते, यदि कोई प्राधिकृत इकाई कारण बताओ नोटिस में विनिर्दिष्ट समय अवधि के भीतर अपना उत्तर प्रस्तुत नहीं करती है, तो केन्द्रीय सरकार भौतिक रिकार्ड के आधार पर प्राधिकरण के निलंबन, निरसन या कटौती पर निर्णय लेने के लिए आगे बढ़ेगी।

(5) किसी प्राधिकरण के निलंबन या निरसन या कटौती का कोई भी आदेश केन्द्रीय सरकार द्वारा पोर्टल पर प्रकाशित किया जाएगा और इस तरह के आदेश की तारीख से इकसठवें दिन से प्रभावी होगा।

(6) एक प्राधिकृत इकाई पोर्टल पर उपलब्ध कराए जाने वाले इस तरह के आदेश के अड़तालीस घंटों के भीतर कटौती, निलंबन या निरसन के किसी भी आदेश को सार्वजनिक करेगी:

बशर्ते कि प्राधिकरण का निलंबन प्राधिकरण की अवधि के विस्तार के लिए एक कारण या आधार नहीं होगा।

(7) एक प्राधिकृत इकाई उप-नियम (5) के तहत विनिर्दिष्ट प्रभावी तिथि तक दूरसंचार नेटवर्क और दूरसंचार सेवा की गुणवत्ता बनाए रखेगा।

(8) एक प्राधिकृत इकाई किसी प्राधिकरण के संबंध में या उसके तहत भुगतान किए गए किसी भी शुल्क या शुल्क की वापसी की हकदार नहीं होगी, यदि ऐसा प्राधिकरण निलंबित, कम या रद्द कर दिया जाता है:

बशर्ते कि उस अवधि के लिए कोई प्राधिकरण शुल्क देय नहीं होगा जिसके लिए प्राधिकरण पूरी तरह से निलंबित रहता है।

(9) एक प्राधिकृत इकाई जिसका प्राधिकरण रद्द कर दिया गया है, साथ ही इसके प्रमोटर अधिनियम के तहत किसी भी दूरसंचार सेवा या दूरसंचार नेटवर्क के लिए उस अवधि के लिए प्राधिकरण के लिए आवेदन करने के लिए पात्र नहीं होंगे, जैसा कि केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित किया जा सकता है, जो तीन वर्ष से अधिक नहीं होगा।

19. **निलंबन, निरसन या कटौती को वापस लेना**

(1) एक प्राधिकृत इकाई जिसका प्राधिकरण नियम 18 के उप-नियम (4) के तहत निलंबित, कम या रद्द कर दिया गया है, निलंबन, कटौती या निरसन के आदेश की तारीख से पंद्रह दिनों के भीतर, केन्द्रीय सरकार को प्राधिकरण के निबंधन और शर्तों के अंतर्निहित उल्लंघन का समाधान करने के लिए किए गए उपचारात्मक उपायों को साक्ष्य के साथ प्रस्तुत कर सकता है।

(2) केन्द्रीय सरकार, इस तरह के प्रस्तुतीकरण पर उचित विचार करने के बाद, और यदि यह संतुष्ट हो जाती है कि पर्याप्त उल्लंघन का समाधान किया गया है, तो निलंबन, कटौती या निरसन के आदेश की तारीख से तीस दिनों के भीतर, प्राधिकरण को बहाल कर सकती है।

20. **सेट ऑफ**

(1) प्राधिकरण या समनुदेशन की शर्तों के तहत केन्द्रीय सरकार को किसी प्राधिकृत इकाई द्वारा देय धन या दावे की कोई भी राशि उस समय बकाया कुल राशि या किसी भी राशि के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा कटौती या समायोजित किया जा सकता है, या जो उसके बाद किसी भी समय प्राधिकरण या समनुदेशन के तहत एक प्राधिकृत इकाई के कारण हो सकता है, जिसमें कोई भी गारंटी शामिल है जिसे पैसे में बदला जा सकता है।

(2) केन्द्रीय सरकार उपनियम (1) के अधीन की गई किसी कार्रवाई के पश्चात्, ऐसे सेट-ऑफ के बारे में प्राधिकृत इकाई को सूचित करेगी।

21. **बकाया राशि की वसूली**

वसूली के अन्य तरीकों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, इन नियमों के अंतर्गत किसी प्राधिकृत इकाई द्वारा केन्द्रीय सरकार को देय कोई भी राशि, यदि भुगतान नहीं की जाती है, तो उसे भू-राजस्व के बकाया के रूप में वसूल किया जाएगा।

22. प्राधिकरण का अभ्यर्पण

(1) इन नियमों के अंतर्गत प्रदत्त प्राधिकरण का अभ्यर्पण (सरेंडर) करने की इच्छुक कोई प्राधिकृत इकाई, पोर्टल पर विनिर्दिष्ट प्रारूप और तरीके से, प्रस्तावित अभ्यर्पण तारीख से कम से कम साठ

दिन पूर्व, एक वचनबद्धता और पोर्टल पर केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्दिष्ट अन्य जानकारी के साथ आवेदन प्रस्तुत करेगी।

(2) केन्द्रीय सरकार उप-नियम (1) के अंतर्गत आवेदन प्राप्त होने के तीस दिनों के भीतर स्वीकार या अस्वीकार कर देगी, और यदि स्वीकार कर लिया जाता है, तो अभ्यर्पण की प्रभावी तारीख केन्द्रीय सरकार द्वारा ऐसे आवेदन की प्राप्ति की तारीख से इकसठवाँ दिन होगी:

बशर्ते कि आवेदन को अस्वीकार करने के किसी भी निर्णय के साथ लिखित रूप में निर्दिष्ट कारण उल्लेख किए जाएँगे।

(3) यदि उप-नियम (1) के अंतर्गत आवेदन केन्द्रीय सरकार द्वारा प्राप्त होने के तीस दिनों के भीतर न तो स्वीकार किया जाता है और न ही अस्वीकार किया जाता है, तो ऐसा आवेदन स्वीकार किया हुआ माना जाएगा।

(4) किसी प्राधिकृत इकाई द्वारा प्राधिकरण के अभ्यर्पण से संबंधित विवरण केन्द्रीय सरकार द्वारा पोर्टल पर उपलब्ध कराया जाएगा और पोर्टल पर उपलब्ध कराए जाने के अड़तालीस घंटों के भीतर प्राधिकृत इकाई द्वारा इसे सार्वजनिक किया जाएगा।

(5) प्राधिकृत इकाई उप-नियम (2) के अंतर्गत विनिर्दिष्ट प्रभावी तारीख तक दूरसंचार नेटवर्क और दूरसंचार सेवा की गुणवत्ता को बनाए रखेगी।

(6) इस नियम के अंतर्गत अपना प्राधिकरण अभ्यर्पण करने वाली प्राधिकृत इकाई, प्राधिकरण शुल्क सहित, केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित अभ्यर्पण की प्रभावी तारीख तक देय सभी देय राशियों के भुगतान के लिए उत्तरदायी होगी।

23. **राष्ट्रीय सुरक्षा या जनहित के आधार पर निलंबन या निरसन**

(1) इन नियमों के किसी अन्य प्रावधान के होते हुए भी, केन्द्रीय सरकार किसी भी समय, बिना किसी पूर्व सूचना अवधि के, प्राधिकरण के संचालन को पूर्णतः या आंशिक रूप से निलंबित या निरस्त कर सकती है, यदि केन्द्रीय सरकार की राय में जनहित या राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में या दूरसंचार के समुचित संचालन के लिए या राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति में या युद्ध या कम तीव्रता वाले संघर्ष या अन्य समान परिस्थितियों में ऐसा करना आवश्यक या समीचीन हो:

बशर्ते कि केन्द्रीय सरकार ऐसी कार्रवाइयों से होने वाली या उत्पन्न होने वाली किसी भी क्षति या हानि के लिए उत्तरदायी नहीं होगी।

(2) कोई प्राधिकृत इकाई निलंबन या निरसन के लिए ऐसे निर्देशों के अंतर्गत केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्दिष्ट किसी भी उपाय (मापदंड) का पालन करेगी।

(3) इस नियम के अंतर्गत प्राधिकरण का कोई भी निलंबन प्राधिकरण की अवधि के विस्तार का कारण या आधार नहीं होगा।

(4) कोई प्राधिकृत इकाई भुगतान किए गए शुल्क या किसी अन्य प्रभार की वापसी के लिए हकदार नहीं होगी:

बशर्ते कि उस अवधि के लिए कोई प्राधिकरण शुल्क देय नहीं होगा जिसके लिए प्राधिकरण पूरी तरह से निलंबित रहता है।

24. प्राधिकरण के निरसन, अभ्यर्पण या समाप्ति के परिणामस्वरूप की जाने वाली कार्रवाइयाँ

(1) जहाँ किसी प्राधिकृत इकाई या लाइसेंसधारी के दूरसंचार नेटवर्क का किसी अन्य प्राधिकृत इकाई या लाइसेंसधारी के दूरसंचार नेटवर्क के साथ अंतर्संबंध या पियरिंग है, जिसका प्राधिकरण या लाइसेंस निरस्तीकरण या अभ्यर्पण के अधीन है या समाप्त हो गया है, या जहाँ किसी प्राधिकृत इकाई या लाइसेंसधारी ने किसी अन्य प्राधिकृत इकाई या लाइसेंसधारी को दूरसंचार संसाधन प्रदान किए हैं, जिसका प्राधिकरण या लाइसेंस निरस्तीकरण या अभ्यर्पण या समाप्त हो गया है, तो ऐसी प्राधिकृत इकाई या लाइसेंसधारी, ऐसे प्राधिकरण या लाइसेंस के निरसन या अभ्यर्पण या समाप्ति की प्रभावी तारीख पर, ऐसे अंतर्संबंध या पियरिंग को डिस्कनेक्ट कर देगा, और ऐसे दूरसंचार संसाधनों को वापस ले लेगा।

(2) किसी प्राधिकृत इकाई द्वारा धारित प्राधिकरण के निरसन, अभ्यर्पण या समाप्ति पर, ऐसी इकाई को आवंटित स्पेक्ट्रम, यदि कोई हो, ऐसे निरसन, अभ्यर्पण या समाप्ति की प्रभावी तारीख से वापस ले लिया जाएगा।

(3) प्राधिकरण के निरस्तीकरण, अभ्यर्पण या समाप्ति पर, संबंधित प्राधिकृत इकाई अपने रेडियो उपकरणों का प्रबंधन दूरसंचार (रेडियो उपकरण कब्ज़ा प्राधिकरण) नियम, 2025 के तहत निर्धारित तरीके से करेगी।

अध्याय 4: तकनीकी और प्रचालन शर्तें

25. **दूरसंचार नेटवर्क**

(1) दूरसंचार नेटवर्क स्थापित करने, संचालित करने, अनुरक्षण करने या विस्तार करने हेतु प्राधिकृत कोई प्राधिकृत इकाई, अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के खंड (ग) के अंतर्गत किसी पृथक प्राधिकरण की आवश्यकता के बिना, प्राधिकरण के दायरे के अनुरूप रेडियो उपकरण रख सकती है:

(2) कोई प्राधिकृत इकाई अधिनियम और उसके अंतर्गत नियमों के अनुसार अपने प्राधिकरण के अनुसार किसी भी प्रौद्योगिकी का उपयोग करके दूरसंचार नेटवर्क का डिज़ाइन, इंजीनियरिंग, स्थापना, संचालन, अनुरक्षण या विस्तार करेगी, और यह सुनिश्चित करेगी कि ऐसे दूरसंचार उपकरण, दूरसंचार पहचानकर्ता और दूरसंचार नेटवर्क लागू मानकों और अनुरूपता मूल्यांकन उपायों, जिनमें अधिनियम की धारा 19 और ट्राई अधिनियम के अंतर्गत अधिसूचित मानक भी शामिल हैं, के अनुरूप हों:

बशर्ते कि, केन्द्रीय सरकार या संबंधित प्राधिकृत इकाई प्राधिकृत इकाई के दूरसंचार नेटवर्क या प्रणालियों पर निष्पादन परीक्षण कर यह सुनिश्चित कर सके कि ऐसा दूरसंचार नेटवर्क या प्रणालियाँ निर्दिष्ट सेवा गुणवत्ता (क्यूओएस) मानकों को पूरा करती हैं।

(3) एक प्राधिकृत इकाई अपने दूरसंचार नेटवर्क की सिस्टम क्लॉक को नेशनल सिस्टम क्लॉक के साथ समकालिक करेगी, जैसा कि केन्द्रीय सरकार द्वारा और इस संबंध में केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित किसी भी मानक के अनुसार निर्दिष्ट किया जा सकता है।

(4) इन नियमों के किसी अन्य प्रावधान के बावजूद, प्राधिकृत इकाई किसी भी समय, विनिर्दिष्ट भौगोलिक क्षेत्र में दूरसंचार नेटवर्क को डिजाइन, इंजीनियर, स्थापित, संचालित, अनुरक्षित या विस्तारित कर सकती है, यदि केन्द्रीय सरकार की राय में, ऐसा करना सार्वजनिक हित में, या राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में, या दूरसंचार के उचित संचालन के लिए, या राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति में, या युद्ध या कम तीव्रता वाले संघर्ष की स्थिति में आवश्यक या समीचीन है, जैसा कि केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्देशित किया जा सकता है।

(5) एक प्राधिकृत इकाई दूरसंचार नेटवर्क के सभी तकनीकी विवरण, जिसमें प्रौद्योगिकी का विवरण भी शामिल है, केन्द्रीय सरकार या संबंधित प्राधिकृत इकाई को, इस संबंध में केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किसी भी निर्देश के अनुसरण में आवश्यक तरीके से और ऐसे समय पर प्रस्तुत करेगी।

(6) एक प्राधिकृत इकाई, प्राधिकरण की अवधि के भीतर किसी भी समय, दूरसंचार नेटवर्क पर परीक्षण करने के लिए केन्द्रीय सरकार या संबंधित प्राधिकृत ऐजेंसी को सभी उपकरण, परीक्षण उपकरण और अन्य सहायक उपकरण प्रदान करेगी और आवश्यक सहायता प्रदान करेगी।

(7) एक प्राधिकृत इकाई, दूरसंचार नेटवर्क स्थापित करने के लिए, मार्गाधिकार (आरओडब्ल्यू) सहित, अपनी स्वयं की व्यवस्था करेगी और आवश्यक अवसंरचना, दूरसंचार उपकरण और प्रणालियों तथा अपने दूरसंचार नेटवर्क के सभी पहलुओं की स्थापना, रखरखाव, संचालन, विस्तार और कमीशनिंग के लिए पूरी तरह उत्तरदायी होगी:

बशर्ते कि मार्गाधिकार की अनुपलब्धता या प्राधिकृत इकाई द्वारा मार्गाधिकार की अनुमति प्राप्त करने में विलंब, इन नियमों के अंतर्गत अन्य दायित्वों के गैर-अनुपालन का कारण या आधार नहीं होगा।

(8) जहाँ किसी प्राधिकृत इकाई को अपने दूरसंचार नेटवर्क की स्थापना के लिए मार्गाधिकार की आवश्यकता होती है, वहाँ वह सीधे या अपने सुविधा प्रदाता के माध्यम से, ऐसे मार्गाधिकार प्रदान करने के अधिकार वाले व्यक्ति के साथ मार्गाधिकार के अनन्य अनुदान के लिए कोई समझौता नहीं करेगी।

(9) दूरसंचार नेटवर्क अवसंरचना के प्रावधान से संबंधित कोई भी विवाद केवल पीड़ित पक्ष और प्राधिकृत इकाई के बीच का मामला होगा और केन्द्रीय सरकार इस मामले में कोई दायित्व या जिम्मेदारी वहन नहीं करेगी।

(10) कोई भी प्राधिकृत इकाई उप-नियम (8) के अंतर्गत पीड़ित पक्ष द्वारा किसी भी कारण से किए गए किसी भी दावे से उत्पन्न होने वाले सभी दावों, लागतों, शुल्कों या क्षतियों के विरुद्ध केन्द्रीय सरकार को क्षतिपूर्ति प्रदान करेगी।

(11) कोई भी प्राधिकृत इकाई आपदा प्रबंधन, सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित करने या आपातकालीन प्रतिक्रिया सेवाएँ प्रदान करने के प्रयोजनों के लिए, केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्दिष्ट अधिसूचनाओं, आदेशों, निर्देशों या दिशानिर्देशों का पालन करेगी।

(12) केन्द्रीय सरकार, प्राधिकृत इकाईओं को ऐसी अधिसूचनाएँ, आदेश, निर्देश या दिशानिर्देश जारी कर सकती है जो आपदा प्रतिरोधी दूरसंचार नेटवर्क स्थापित करने और दूरसंचार नेटवर्क के लचीलेपन पर अध्ययन को सुगम बनाने के लिए आवश्यक हों, जिसमें ऐसे दूरसंचार नेटवर्क के लचीलेपन से संबंधित जानकारी भी शामिल है।

(13) एक प्राधिकृत इकाई निम्नलिखित के संबंध में केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी लागू अधिसूचनाओं, आदेशों, निर्देशों या दिशानिर्देशों का पालन करेगी:

(क) दूरसंचार नेटवर्क को पावर प्रदान करने के लिए नवीकरणीय ऊर्जा प्रौद्योगिकियों (आरईटी) को अपनाना;

(ख) ऊर्जा कुशल दूरसंचार उपकरणों की तैनाती;

(ग) कार्बन फुटप्रिंट में कमी;

(घ) स्वदेशी रूप से निर्मित दूरसंचार उपकरणों की खरीद के लिए अधिमान्य बाजार पहुँच (पीएमए);

(ङ) आईपीवी6 कार्यान्वयन;

(च) दूरसंचार नेटवर्क सुरक्षा को सुदृढ़ करना; और

(छ) रेडियो उपकरणों का निपटान।

26. दूरसंचार नेटवर्क तत्वों का स्थान

(1) एक प्राधिकृत इकाई, सभी दूरसंचार नेटवर्क एलिमेंट्स का स्थान विवरण, पोर्टल पर निर्दिष्ट प्रारूप और तरीके से भौगोलिक सूचना प्रणाली (जीआईएस) पर उनके मानचित्रण सहित, केन्द्रीय सरकार को उपलब्ध कराएगी।

(2) केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्दिष्ट सुरक्षा-संवेदनशील क्षेत्रों में दूरसंचार उपकरणों की स्थापना या दूरसंचार नेटवर्क की स्थापना, केवल केन्द्रीय सरकार की पूर्व लिखित स्वीकृति से ही की जाएगी, जो प्राधिकृत इकाई द्वारा पोर्टल पर निर्दिष्ट प्रारूप और तरीके से किए गए आवेदन के अनुसरण में प्राप्त की जाएगी।

(3) एक प्राधिकृत इकाई यह सुनिश्चित करेगी कि उसके दूरसंचार नेटवर्क की सभी प्रणालियाँ और दूरसंचार नेटवर्क से संबधित डेटा और सूचना भारत में ही संग्रहीत की जाएँ।

(4) अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर प्राधिकरण क्षेत्र को परिभाषित करने के उद्देश्य से किसी प्राधिकृत इकाई द्वारा भौगोलिक सीमाओं का सटीक चित्रण, यदि कोई हो, भारतीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा उपलब्ध कराए गए मानचित्रों में दर्शाई गई सीमाओं के अनुरूप होगा और उसमें कोई भी संशोधन केन्द्रीय सरकार की विशिष्ट पूर्व लिखित स्वीकृति के अधीन होगा।

27. निरीक्षण और मूल्यांकन करने का अधिकार

(1) केन्द्रीय सरकार, इन नियमों के अनुपालन की निगरानी के प्रयोजनों के लिए, इस संबंध में किसी प्राधिकृत इकाई को उचित सूचना जारी करने के पश्चात्:

(क) उन साइटों तक एक्सेस और निरीक्षण कर सकती है जहाँ दूरसंचार उपकरण और दूरसंचार नेटवर्क स्थापित हैं;

(ख) इन नियमों के अनुपालन हेतु प्राधिकृत इकाई द्वारा स्थापित लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं या प्रणालियों का:

बशर्ते कि यदि केन्द्रीय सरकार यह समझती है कि जनहित में तत्काल कार्रवाई आवश्यक या समीचीन है, तो प्राधिकृत इकाई को कोई सूचना प्रदान करने की आवश्यकता नहीं होगी;

इसके अतिरिक्त, केन्द्रीय सरकार, इन नियमों के अनुपालन हेतु प्राधिकृत इकाई द्वारा स्थापित प्रक्रियाओं या प्रणालियों का लेखापरीक्षा करने के लिए एक प्राधिकृत एजेंसी नियुक्त कर सकती है।

(2) प्राधिकृत इकाई उप-नियम (1) के अंतर्गत अपेक्षित लेखापरीक्षा और निरीक्षण को सुगम बनाने के लिए आवश्यक सुविधाएँ और सहायता प्रदान करेगी।

अध्याय 5: सुरक्षा शर्तें

28. **प्राधिकृत इकाई का प्रबंधन**

(1) प्राधिकृत इकाई निम्नलिखित सुनिश्चित करेगी:

(क) ऐसी प्राधिकृत इकाई के बोर्ड में अधिकांश निदेशक भारतीय नागरिक होंगे;

(ख) दूरसंचार नेटवर्क के प्रभारी मुख्य अधिकारी, कोर दूरसंचार नेटवर्क के प्रभारी अधिकारी और सिस्टम प्रशासक निवासी भारतीय नागरिक होंगे;

(ग) दूरसंचार (दूरसंचार साइबर सुरक्षा) नियम, 2024 के अनुरूप, मुख्य दूरसंचार सुरक्षा अधिकारी एक निवासी भारतीय नागरिक होगा।

(2) प्राधिकृत इकाई अध्यक्ष, प्रबंध निदेशक, मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) या मुख्य वित्तीय अधिकारी (सीएफओ) के पदों पर किसी भी विदेशी नागरिक की नियुक्ति से पहले गृह मंत्रालय द्वारा सुरक्षा जाँच सुनिश्चित करेगी, और ऐसी नियुक्ति की अवधि के लिए ऐसी सुरक्षा जाँच वार्षिक आधार पर जारी रहेगी।

(3) कोई प्राधिकृत इकाई अपने दूरसंचार नेटवर्क की स्थापना, संचालन, रखरखाव या विस्तार के लिए विदेशी नागरिकों की तैनाती से पहले गृह मंत्रालय द्वारा उनकी सुरक्षा जाँच सुनिश्चित करेगी।

(4) कोई प्राधिकृत इकाई उप-नियम (2) और उप-नियम (3) में प्रदान की गई सुरक्षा जाँच के लिए पोर्टल पर विनिर्दिष्ट प्रारूप और तरीके से आवेदन करेगी और गृह मंत्रालय का निर्णय ऐसी प्राधिकृत इकाई पर बाध्यकारी होगा।

29. **अभिलेखों का रखरखाव**

(1) कोई प्राधिकृत इकाई:

(क) यह सुनिश्चित करेगी कि सॉफ्टवेयर विवरण सहित सभी दस्तावेज, दूरसंचार उपकरणों और प्रणालियों के निर्माता, विक्रेता या आपूर्तिकर्ता से अंग्रेजी भाषा में प्राप्त किए जाएँ और ऐसे दस्तावेजों को संरक्षित रखें;

(ख) सभी सॉफ्टवेयर अद्यतनों और परिवर्तनों का रिकॉर्ड बनाए रखेगी, और केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित प्रमुख सॉफ्टवेयर अद्यतनों और परिवर्तनों का विवरण, ऐसे अद्यतनों और परिवर्तनों के पूरा होने के पंद्रह दिनों के भीतर, इस प्रयोजन के लिए पोर्टल पर निर्दिष्ट तरीके से केन्द्रीय सरकार को प्रदान किया जाएगा:

बशर्ते कि खंड (ख) दूरसंचार (महत्वपूर्ण दूरसंचार अवसंरचना) नियम, 2024 के तहत महत्वपूर्ण दूरसंचार अवसंरचना के संबंध में प्राधिकृत इकाई के दायित्वों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना हो।

(ग) खरीद के समय दूरसंचार उपकरण और प्रणालियों के निर्माता, विक्रेता या आपूर्तिकर्ता से दूरसंचार उपकरण और प्रणालियों की आपूर्ति श्रृंखला का विवरण प्राप्त करना और उसका रिकॉर्ड रखना;

(घ) एक मैनुअल के रूप में संचालन और रखरखाव प्रक्रिया का रिकॉर्ड रखना;

(ङ) सभी प्रचालनों और कमांड लॉग के अभिलेखों को बनाए रखना और संग्रहीत करना, जिसमें निष्पादन प्राधिकारी, तारीख, समय और स्थान के विवरण के साथ दिए गए कमांड का विवरण शामिल होगा, ताकि केंद्रीय सरकार या प्राधिकृत इकाईओं तक पहुंच संभव हो सके: (i) वास्तविक समय के आधार पर, न्यूनतम बारह महीने की अवधि के लिए; और (ii) अगले चौबीस महीनों के लिए डिजिटल मोड में गैर-वास्तविक समय के आधार पर।

30. **दूरसंचार नेटवर्क के माध्यम से प्राप्त जानकारी को सुरक्षित करना**

(1) किसी प्राधिकृत इकाई को यह सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त और समय पर उपाय करने होंगे कि दूरसंचार नेटवर्क के माध्यम से संप्रेषित सूचना और संदेश सुरक्षित और संरक्षित हैं।

(2) किसी प्राधिकृत इकाई को अपने दूरसंचार नेटवर्क के माध्यम से संप्रेषित संदेशों की गोपनीयता सुनिश्चित करनी होगी तथा संदेशों का अनधिकृत इंटरसेप्शन नहीं होना चाहिए।

(3) कोई प्राधिकृत इकाई, जब ऐसा अपेक्षित हो, केन्द्रीय सरकार या संबंधित प्राधिकृत एजेंसी, दूरसंचार संसाधनों के दुरुपयोग या किसी अवैध दूरसंचार नेटवर्क की स्थापना का पता लगाने के लिए किसी भी जांच के संबंध में आवश्यक जानकारी और सहायता प्रदान करेगी।

31. **अनधिकृत या विधिविरुद्ध गतिविधियों के लिए दूरसंचार नेटवर्क के उपयोग की रोकथाम**

कोई प्राधिकृत इकाई यह सुनिश्चित करेगी कि उसके दूरसंचार नेटवर्क का उपयोग केवल वैध उद्देश्यों के लिए किया जाए तथा इसका उपयोग किसी भी ऐसी गतिविधि या कार्रवाई के लिए नहीं किया जाए जो इस

अधिनियम, भारतीय न्याय संहिता, 2023 या राष्ट्र-विरुद्ध अपराधों पर रोक लगाने वाले कानूनों सहित वर्तमान में प्रवृत किसी अन्य कानून के अंतर्गत अपराध हो।

32. **विश्वसनीय स्रोत और विश्वसनीय उत्पाद**

(1) इस नियम के प्रयोजन के लिए, नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी केंद्रीय सरकार का राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा समन्वयक होगा, जो दूरसंचार उपकरणों की श्रेणियों का निर्धारण करेगा, जिनके लिए विश्वसनीय स्रोतों और विश्वसनीय उत्पादों से संबंधित सुरक्षा आवश्यकताएं लागू होती हैं, और इस प्रयोजन के लिए अपनी वेबसाइट पर उन्हें निर्दिष्ट करेगा।

(2) नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी उप-नियम (1) के तहत यथा निर्दिष्ट दूरसंचार उपकरणों की श्रेणियों के लिए संबद्ध विश्वसनीय उत्पादों के साथ-साथ विश्वसनीय स्रोतों को निर्दिष्ट करेगा।

(3) नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी विश्वसनीय स्रोतों और विश्वसनीय उत्पादों की सूची में दूरसंचार उपकरणों को शामिल करने की प्रक्रिया निर्दिष्ट कर सकता है।

(4) नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी उन व्यक्तियों की सूची भी निर्दिष्ट कर सकता है जिनसे दूरसंचार उपकरण या संबद्ध उत्पादों की खरीद नहीं की जा सकती।

(5) कोई प्राधिकृत इकाई, उप-नियम (2) के तहत नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा यथा निर्धारित विश्वसनीय स्रोतों से विश्वसनीय उत्पादों की खरीद करेगी, और अपने दूरसंचार नेटवर्क में केवल ऐसे उत्पादों का प्रयोग या कनेक्शन करेगी।

(6) कोई प्राधिकृत इकाई, अपने दूरसंचार नेटवर्क को शुरू करने से पहले, इस प्रयोजन के लिए नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा निर्दिष्ट वेबसाइट पर खुद को पंजीकृत करेगी, और दूरसंचार नेटवर्क या दूरसंचार उपकरण से संबंधित प्रासंगिक विवरण प्रदान करेगी, जैसा कि ऐसे प्राधिकरण द्वारा अपेक्षित हो।

(7) दूरसंचार नेटवर्क में इकाईपना से पहले, प्राधिकृत इकाई को दूरसंचार उपकरण और संबद्ध उत्पादों, या नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा यथा निर्दिष्ट उनकी श्रेणियों की खरीद के लिए शर्तों का अनुपालन करना होगा।

(8) किसी प्राधिकृत इकाई को अपने दूरसंचार नेटवर्क या उसके किसी उन्नयन या विस्तार के लिए दूरसंचार उपकरण और संबंधित उत्पादों, या उसकी श्रेणियों की खरीद से पहले निम्नलिखित प्रक्रिया का पालन करना होगा:

(क) यदि नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी ने उप-नियम (2) के अंतर्गत दूरसंचार उपकरण और संबंधित उत्पादों को विश्वसनीय उत्पाद और उनके संगत विश्वसनीय स्रोत के रूप में पहले ही निर्धारित कर लिया है, तो प्राधिकृत इकाई इसका अनुपालन सुनिश्चित करेगी और नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी तथा केंद्रीय सरकार को इस प्रयोजन के लिए यथा निर्दिष्ट रूप और तरीके से प्रस्तुत करेगी: (i) दूरसंचार उपकरण और उन स्रोतों की सूची जिनसे वह खरीद करने की योजना बना रही है; और (ii) दूरसंचार उपकरण, संबंधित उत्पादों और उनके स्रोतों की खरीद की आवधिक रिपोर्ट, तथा उनकी इकाईपना के स्थान;

(ख) यदि खंड (क) लागू नहीं होता है, तो प्राधिकृत इकाई, उप-नियम (3) के तहत इस प्रयोजन के लिए नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा निर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार, दूरसंचार उपकरण और संबंधित उत्पादों और उनके स्रोतों का विवरण, जहां से वह उन्हें प्राप्त करने का इरादा रखती है, नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगी;

(ग) यदि नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी उपर्युक्त खंड (ख) के अंतर्गत प्रस्तुत दूरसंचार उपकरण और संबंधित उत्पादों तथा उनके स्रोतों को अनुमोदित कर देता है, तो प्राधिकृत इकाई उन्हें खरीदने और स्थापित करने के लिए आगे बढ़ेगी; और

(घ) किसी प्राधिकृत इकाई को अधिसूचनाओं, आदेशों, निर्देशों या दिशा-निर्देशों का अनुपालन करना होगा, जिसमें दूरसंचार नेटवर्क के संवर्धित पर्यवेक्षण और प्रभावी नियंत्रण के लिए मार्गदर्शन शामिल है, जैसा कि नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी या केंद्रीय सरकार द्वारा जारी किया जाए।

(9) कोई प्राधिकृत इकाई अपने दूरसंचार नेटवर्क में लगाए गए या लगाए जा रहे दूरसंचार उपकरणों से संबंधित कोई भी जानकारी, जब भी केन्द्रीय सरकार या निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा मांगी जाए, उपलब्ध कराएगी।

(10) कोई प्राधिकृत इकाई प्रत्येक वर्ष 1 जनवरी और 1 जुलाई को इस नियम के अनुपालन से संबंधित अनुपालन रिपोर्ट, पोर्टल के माध्यम से, इस प्रयोजन के लिए निर्दिष्ट प्रारूप और तरीके से, अर्ध-वार्षिक आधार पर, केंद्रीय सरकार या संबंधित प्राधिकृत एजेंसी को प्रस्तुत करेगी।

(11) ये नियम केन्द्रीय सरकार द्वारा उठाए गए किसी अन्य उपाय पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेंगे, जिसे वह अधिनियम की धारा 21 के अंतर्गत राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रयोजन के लिए आवश्यक या समीचीन समझे, जो प्राधिकृत इकाइयों पर बाध्यकारी होगा।

(12) लाइसेंसधारक के संबंध में, यह नियम उसके लाइसेंस के अंतर्गत विश्वसनीय स्रोतों से विश्वसनीय उत्पादों की खरीद से संबंधित दायित्व पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा और न ही उसे रद्द करेगा, जो तब तक लागू रहेगा जब तक लाइसेंस अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (6) के तहत नियमों के अंतर्गत प्राधिकरण में माइग्रेट नहीं हो जाता है:

परंतु यह कि, प्राधिकृत इकाई बनने के लिए इस तरह का माइग्रेशन उन चालू वार्षिक रखरखाव अनुबंधों (एएमसी) या दूरसंचार उपकरणों के उनके अपडेट्स को प्रभावित नहीं करेगा, जो दिनांक 15 जून 2021 से पहले ही इसके दूरसंचार नेटवर्क में शामिल हो चुके हैं;

परंतु यह और कि लाइसेंसधारी, प्राधिकृत इकाई बनने के लिए अपने लाइसेंस के माइग्रेशन पर, दिनांक 15 जून 2021 से पहले तैनात दूरसंचार नेटवर्क के अपग्रेडेशन या विस्तार के लिए नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी से अनुमति लेगा, जिसमें विश्वसनीय उत्पाद के रूप में निर्दिष्ट नहीं किए गए दूरसंचार उपकरण का उपयोग किया जाएगा।

33. **सुरक्षा प्रावधानों का उल्लंघन**

(1) इन नियमों के अंतर्गत किसी प्राधिकृत इकाई पर सुरक्षा प्रावधानों के उल्लंघन के लिए लगाया गया कोई भी सिविल दंड, लागू कानून के अंतर्गत किसी अन्य दायित्व और दांडिक कार्यवाही पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना होगा।

(2) केन्द्रीय सरकार ऐसे विक्रेता या आपूर्तिकर्ता को भारत में व्यापार करने से रोकने हेतु काली सूची में डाल सकती है, जिसने हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर सहित दूरसंचार उपकरण की आपूर्ति की हो, जिससे सुरक्षा भंग हुई हो।

(3) कोई प्राधिकृत इकाई विक्रेताओं या आपूर्तिकर्ताओं के साथ हस्ताक्षरित समझौते में उप-नियम (2) को प्रभावी करने के लिए प्रावधान शामिल करेगी।

34. **कुछ गतिविधियों पर प्रतिबंध**

कोई प्राधिकृत इकाई यह सुनिश्चित करेगी कि उसका दूरसंचार नेटवर्क या उसकी स्थापना सुरक्षा या स्वास्थ्य के लिए खतरा नहीं बनेगी तथा किसी कानून और नीति का उल्लंघन नहीं करेगी।

35. **दूरसंचार नेटवर्क तक रिमोट एक्सेस प्रदान करना**

(1) कोई प्राधिकृत इकाई जो भारत के बाहर किसी स्थान से अपने दूरसंचार नेटवर्क तक रिमोट एक्सेस प्रदान करने की इच्छुक हो, को इस प्रयोजन के लिए निर्दिष्ट रूप और तरीके से केंद्रीय सरकार की अनुमति लेनी होगी, जिसमें निम्नलिखित के संबंध में विवरण प्रदान करना होगा:

(क) ऐसी रिमोट एक्सेस का प्रयोजन और अवधि तथा उस व्यक्ति का ब्यौरा जो इसके दूरसंचार नेटवर्क तक एक्सेस बनाएगा; और

(ख) भारत के भीतर दूरसंचार नेटवर्क के विशिष्ट स्थान का विवरण, जिस तक भारत के बाहर विशिष्ट स्थान से रिमोट एक्सेस की मांग की जाती है।

(2) केन्द्रीय सरकार उपनियम (1) के अधीन आवेदन के अनुसरण में निम्नलिखित शर्तों के अधीन लिखित अनुमोदन प्रदान कर सकती है:

(क) रिमोट एक्सेस भारत के बाहर अनुमोदित स्थानों से भारत के भीतर अनुमोदित स्थानों तक ही प्रदान की जाएगी, और यह ऐसे अनुमोदन के तहत निर्दिष्ट प्रयोजन तक ही सीमित होगी;

(ख) रिमोट एक्सेस से विधिसम्मत इंटरसेप्शन प्रणाली और विधिसम्मत इंटरसेप्शन एवं निगरानी सुविधाओं, कॉल डेटा रिकॉर्ड, संदेशों की विषय-वस्तु और किसी अन्य ऐसे संवेदनशील डेटा तक एक्सेस संभव नहीं होगी, जिसे इस प्रयोजन के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्दिष्ट किया जाए।

(ग) कोई प्राधिकृत इकाई भारत में अनुमोदित स्थान पर, केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्दिष्ट उपयुक्त तकनीकी प्रणालियां उपलब्ध कराएगी, जो भारत के बाहर अनुमोदित स्थान से जुड़ी होंगी, ताकि केन्द्रीय सरकार या संबंधित प्राधिकृत एजेंसी, केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी निर्देशों के

अनुसार, भारत के बाहर अनुमोदित स्थान पर उपलब्ध सूचना की मिरर इमेज तक एक्सेस और निगरानी कर सके।

(घ) कोई प्राधिकृत इकाई भारत में अनुमोदित स्थान पर छह माह की अवधि के लिए दूरसंचार नेटवर्क से संबंधित रिमोट एक्सेस गतिविधियों का पूर्ण लेखा परीक्षण बनाए रखेगी, और केंद्रीय सरकार द्वारा जारी अधिसूचनाओं, आदेशों, निर्देशों या दिशानिर्देशों के अनुसार, केंद्रीय सरकार या संबंधित प्राधिकृत एजेंसी को ऐसी जानकारी प्रदान करेगी।

(3) यह नियम दूरसंचार (महत्वपूर्ण दूरसंचार अवसंरचना) नियम, 2024 के तहत यथा निर्दिष्ट महत्वपूर्ण दूरसंचार अवसंरचना के संबंध में किसी प्राधिकृत इकाई के दायित्वों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना होगा।

36. **सामान्य सुरक्षा शर्तें**

(1) कोई प्राधिकृत इकाई अपने दूरसंचार नेटवर्क की सुरक्षा के लिए उत्तरदायी होगी तथा इस संबंध में केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी अधिसूचनाओं, आदेशों, निर्देशों या दिशा-निर्देशों का अनुपालन करेगी।

(2) कोई प्राधिकृत इकाई, जासूसी, विध्वंसक कृत्यों, तोड़फोड़ या किसी अन्य विधिविरुद्ध क्रियाकलाप की किसी भी स्थिति का उत्तर देने के लिए केंद्रीय सरकार द्वारा आवश्यक सुविधाएं प्रदान करेगी, और इस संबंध में केंद्रीय सरकार द्वारा जारी अधिसूचनाओं, आदेशों, निर्देशों या दिशानिर्देशों का पालन करेगी।

(3) कोई प्राधिकृत इकाई उन पात्र प्राधिकृत इकाइयों के बारे में किसी भी जानकारी की गोपनीयता और निजता की सुरक्षा के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएगी, जिन्हें वह दूरसंचार नेटवर्क अवसंरचना प्रदान करती है।

(4) किसी प्राधिकृत इकाई को प्राधिकरण की प्रभावी तिथि से बारह माह के भीतर अपनी तकनीकी सुविधाओं पर सभी घुसपैठों, हमलों और धोखाधड़ी की निगरानी के लिए सुविधाएं बनानी होंगी और पोर्टल पर निर्दिष्ट रूप और तरीके से उस पर रिपोर्ट प्रदान करनी होगी।

अध्याय 6: दूरसंचार नेटवर्क के प्रकारों के लिए विशिष्ट शर्तें

37. **अध्याय 6 की प्रयोज्यता**

(1) अध्याय 1 से अध्याय 5 में उल्लिखित नियमों के अतिरिक्त, इस अध्याय के विभिन्न भागों में उल्लिखित नियम भी इस अध्याय के संबंधित भाग में निर्दिष्ट दायरे के अनुसार दूरसंचार नेटवर्क स्थापित करने वाली प्राधिकृत इकाई पर लागू होंगे।

(2) अध्याय 1 से अध्याय 5 और अध्याय 6 के प्रावधानों के बीच किसी भी टकराव की स्थिति में, अध्याय 6 के प्रावधान प्रबल होंगे।

भाग क: अवसंरचना प्रदाता (आईपी) प्राधिकरण

38. **अवसंरचना प्रदाता (आईपी) प्राधिकरण का दायरा**

(1) इस भाग क के प्रावधान अवसंरचना प्रदाता (आईपी) प्राधिकरण रखने वाली प्राधिकृत इकाइयों पर लागू होंगे।

(2) अवसंरचना प्रदाता (आईपी) प्राधिकरण रखने वाली कोई प्राधिकृत इकाई डार्क फाइबर, मार्गाधिकार (आरओडब्ल्यू), डक्ट स्पेस, टावर, पोल और इन-बिल्डिंग सॉल्यूशन (आईबीएस) अवसंरचना की स्थापना, प्रचालन, रखरखाव या विस्तार कर सकती है।

(3) अवसंरचना प्रदाता (आईपी) प्राधिकरण रखने वाली कोई प्राधिकृत इकाई, केवल अपने प्राधिकरण के दायरे के तहत यथा प्राधिकृत दूरसंचार नेटवर्क स्थापित करेगी, और वह दूरसंचार नेटवर्क की कोई अन्य श्रेणी स्थापित नहीं करेगी जिसके लिए केंद्रीय सरकार से अलग प्राधिकरण की आवश्यकता हो।

39. **शुल्क और प्रभार**

इस भाग क के अंतर्गत प्रदत्त अवसंरचना प्रदाता (आईपी) प्राधिकरण के संबंध में प्राधिकृत इकाई द्वारा कोई प्राधिकरण शुल्क देय नहीं होगा।

40. **तकनीकी और प्रचालन शर्तें**

(1) कोई प्राधिकृत इकाई अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के तहत प्राधिकृत इकाइयों को उनके आपसी समझौते के अनुसार, निष्पक्ष और गैर-भेदभावपूर्ण आधार पर डार्क फाइबर, मार्गाधिकार (आरओडब्ल्यू), डक्ट स्पेस, टावर, पोल और इन-बिल्डिंग सॉल्यूशन (आईबीएस) अवसंरचना प्रदान कर सकती है।

(2) कोई प्राधिकृत इकाई अपने पैसिव अवसंरचना जिसमें भवन, टावर, खंभे, बैटरी और बिजली संयंत्र, डार्क फाइबर, डक्ट स्पेस, राइट ऑफ वे सहित विद्युत उपकरण शामिल हैं, को अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के तहत प्राधिकृत इकाइयों के साथ उनके आपसी समझौते के अनुसार, निष्पक्ष और गैर-भेदभावपूर्ण आधार पर साझा कर सकती है।

(3) कोई प्राधिकृत इकाई अपने आईबीएस अवसंरचना को अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के खंड (ख) के तहत, उनके प्राधिकरण के दायरे और उनके आपसी समझौते के अनुसार, निष्पक्ष और गैर-भेदभावपूर्ण आधार पर प्राधिकृत इकाइयों के साथ साझा कर सकती है।

(4) केन्द्रीय सरकार, आईपी प्राधिकरण प्राप्त प्राधिकृत इकाई को, समय-समय पर उसके द्वारा अधिसूचित ऐसी इकाइयों के साथ अपनी दूरसंचार अवसंरचना साझा करने की अनुमति दे सकती है।

(5) उप-नियम (1), उप-नियम (2) या उप-नियम (3) के तहत निर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए किया गया कोई भी समझौता, केंद्रीय सरकार या ट्राई, जैसा भी मामला हो, द्वारा यथा निर्दिष्ट नियमों और शर्तों का पालन करेगा।

(6) कोई भी प्राधिकृत इकाई किसी अन्य प्राधिकृत इकाई के साथ अनुबंधात्मक समझौता नहीं करेगी, जिससे उस प्राधिकृत इकाई को अपनी दूरसंचार अवसंरचना के इंडिफिजिबल राईट ऑफ यूज (आई.आर.यू.) प्राप्त हो।

भाग ख: डिजिटल कनेक्टिविटी अवसंरचना प्रदाता (डीसीआईपी) प्राधिकरण

41. डिजिटल कनेक्टिविटी अवसंरचना प्रदाता (डीसीआईपी) प्राधिकरण का दायरा

(1) इस भाग ख के प्रावधान डिजिटल कनेक्टिविटी अवसंरचना प्रदाता (डीसीआईपी) प्राधिकरण रखने वाली प्राधिकृत इकाइयों पर लागू होंगे।

(2) अध्याय 6 के भाग ख के प्रयोजन के लिए:

(क) "ट्रांसमिशन लिंक" का अर्थ वायरलाइन एक्सेस नेटवर्क, रेडियो एक्सेस नेटवर्क (आरएएन), वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क (डब्ल्यूएलएएन), या इन-बिल्डिंग सॉल्यूशंस (आईबीएस) की प्रणालियों को उस प्राधिकृत इकाई के कोर दूरसंचार नेटवर्क के साथ जोड़ने के लिए आवश्यक ट्रांसमिशन नेटवर्क से है, जिसे वह वायरलाइन एक्सेस नेटवर्क, रेडियो एक्सेस नेटवर्क (आरएएन), वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क (डब्ल्यूएलएएन), या इन-बिल्डिंग सॉल्यूशंस (आईबीएस) प्रदान कर रहा है; और

(ख) "वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क" का अर्थ वायरलेस दूरसंचार नेटवर्क है जिसके माध्यम से कोई प्रयोक्ता वायर्ड लोकल एरिया नेटवर्क के विकल्प के रूप में वायरलेस (रेडियो) कनेक्शन के माध्यम से लोकल एरिया नेटवर्क (एलएएन) से जुड़ सकता है।

(3) डीसीआईपी प्राधिकरण के कार्यक्षेत्र में निम्नलिखित शामिल हैं:

(क) वायरलाइन एक्सेस नेटवर्क, रेडियो एक्सेस नेटवर्क (आरएएन), वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क (डब्ल्यूएलएएन), ट्रांसमिशन लिंक, या इन-बिल्डिंग सॉल्यूशंस (आईबीएस) इकाईपित करने के लिए आवश्यक दूरसंचार उपकरणों और प्रणालियों की इकाईपना, प्रचालन, अनुरक्षण या विस्तार करना; और

(ख) डार्क फाइबर, राइट ऑफ वे (आरओडब्ल्यू), डक्ट स्पेस, टावर, पोल या इन-बिल्डिंग सॉल्यूशन (आईबीएस) अवसंरचना की इकाईपना, प्रचालन, अनुरक्षण या विस्तार करना।

(4) डीसीआईपी प्राधिकरण रखने वाली प्राधिकृत इकाई केवल अपने प्राधिकरण के कार्यक्षेत्र के तहत प्राधिकृत दूरसंचार नेटवर्क इकाईपित करेगी, और वह दूरसंचार नेटवर्क की कोई अन्य श्रेणी इकाईपित नहीं करेगी जिसके लिए केंद्रीय सरकार से अलग प्राधिकरण की आवश्यकता हो।

42. शुल्क एवं प्रभार

इस भाग ख के अंतर्गत प्रदत्त डिजिटल कनेक्टिविटी इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रदाता (डीसीआईपी) प्राधिकरण के संबंध में प्राधिकृत इकाई द्वारा कोई प्राधिकरण शुल्क देय नहीं होगा।

43. तकनीकी और प्रचालन शर्तें

(1) कोई प्राधिकृत इकाई कोर दूरसंचार नेटवर्क की इकाईपना, प्रचालन, अनुरक्षण या विस्तार नहीं करेगी।

(2) कोई प्राधिकृत इकाई किसी भी प्राधिकृत इकाई, या किसी प्रयोक्ता को, या उसके कैप्टिव उपयोग के लिए एंड-टू-एंड बैंडविड्थ या लीज़्ड सर्किट प्रदान नहीं करेगी।

(3) कोई प्राधिकृत इकाई किसी अन्य प्राधिकृत इकाई के साथ ऐसे संविदात्मक करार नहीं करेगी जो उसके दूरसंचार नेटवर्क या दूरसंचार अवसंरचना के उपयोग का इंडिफिजिबल अधिकार (आईआरयू) उस प्राधिकृत इकाई को प्रदान करता हो।

(4) डीसीआईपी प्राधिकरण रखने वाली प्राधिकृत इकाई, अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अंतर्गत प्राधिकृत इकाईओं (जिन्हें इस नियम के प्रयोजन के लिए आगे "साझेदार इकाई" कहा जाएगा) को उनके आपसी करार के अनुसार, निष्पक्ष और गैर-भेदभावपूर्ण आधार पर वायरलाइन एक्सेस नेटवर्क, रेडियो एक्सेस नेटवर्क (आरएएन), ट्रांसमिशन लिंक, वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क, इन-बिल्डिंग सॉल्यूशन (आईबीएस), डार्क फाइबर, राइट ऑफ वे (आरओडब्ल्यू), डक्ट स्पेस, टावर और पोल प्रदान कर सकती है।

(5) डीसीआईपी प्राधिकरण रखने वाली प्राधिकृत इकाई को कोई स्पेक्ट्रम आवंटित नहीं किया जाएगा:

बशर्ते कि ऐसी प्राधिकृत इकाई, कॉन्फ़िगरेशन के सीमित उद्देश्य के लिए, साझेदार इकाई के स्पेक्ट्रम का उपयोग कर सके, जबकि स्पेक्ट्रम के उपयोग का अधिकार साझेदार इकाई के पास ही रहेगा।

(6) डीसीआईपी प्राधिकरण रखने वाली प्राधिकृत इकाई द्वारा स्थापित रेडियो एक्सेस नेटवर्क पर, किसी अन्य साझेदार इकाई द्वारा साझेदार इकाई के एक्सेस स्पेक्ट्रम का उपयोग करने की अनुमति इस शर्त के अधीन होगी कि ऐसी साझेदार इकाईओं ने एक्सेस स्पेक्ट्रम साझाकरण व्यवस्था में प्रवेश किया हो।

(7) प्राधिकृत इकाई, अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (1) के अंतर्गत प्राधिकरण प्राप्त इकाईओं के साथ, उनके आपसी करार के अनुसार, निष्पक्ष और गैर-भेदभावपूर्ण आधार पर, ऐसे प्राधिकरण के अंतर्गत अपने स्वामित्व वाली, स्थापित और संचालित भवन, टावर, खंभे, विद्युत उपकरण, बैटरी और पावर प्लांट, डार्क फाइबर, डक्ट स्पेस, राइट ऑफ वे सहित निष्क्रिय अवसंरचना को साझा कर सकती है।

(8) प्राधिकृत इकाई, अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (1) के अंतर्गत प्राधिकरण प्राप्त इकाईओं के साथ, उनके प्राधिकरण के कार्यक्षेत्र और उनके आपसी करार के अनुसार, निष्पक्ष और गैर-भेदभावपूर्ण आधार पर, ऐसे प्राधिकरण के अंतर्गत अपने स्वामित्व वाली, इकाईपित और प्रचालित सभी प्रकार की सक्रिय अवसंरचना को साझा कर सकती है।

(9) उप-नियम (6), उप-नियम (7) या उप-नियम (8) के अंतर्गत विनिर्दिष्ट उद्देश्यों के लिए किया गया कोई भी करार, केंद्रीय सरकार या ट्राई द्वारा, जैसा भी मामला हो, विनिर्दिष्ट नियमों और शर्तों का पालन करेगा।

(10) डीसीआईपी प्राधिकरण रखने वाली कोई प्राधिकृत इकाई, अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अंतर्गत प्राधिकरण रखने वाली प्राधिकृत इकाई के उपस्थिति बिंदु (पीओपी) तक अपने दूरसंचार

नेटवर्क का विस्तार कर सकेगी, किन्तु ऐसी इकाई को संपूर्ण बैंडविड्थ या पट्टे पर दिए गए सर्किट उपलब्ध नहीं कराएगी।

(11) केंद्रीय सरकार, डीसीआईपी प्राधिकरण रखने वाली प्राधिकृत इकाई को, समय-समय पर उसके द्वारा अधिसूचित ऐसी इकाईओं के साथ अपनी दूरसंचार अवसंरचना साझा करने की अनुमति दे सकेगी।

भाग ग: इंटरनेट एक्सचेंज पॉइंट (आईएक्सपी) प्रदाता प्राधिकरण

44. इंटरनेट एक्सचेंज पॉइंट (आईएक्सपी) प्रदाता प्राधिकरण का कार्यक्षेत्र

(1) इस भाग ग के प्रावधान इंटरनेट एक्सचेंज पॉइंट (आईएक्सपी) प्रदाता प्राधिकरण रखने वाली प्राधिकृत इकाईओं पर लागू होंगे।

(2) आईएक्सपी प्रदाता प्राधिकरण के कार्यक्षेत्र में निम्नलिखित शामिल हैं:

(क) भारत में इंटरनेट एक्सचेंज पॉइंट (आईएक्सपी) इकाईपित करना, प्रचालित करना, अनुरक्षण करना या विस्तार करना;

(ख) अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (1) के अंतर्गत इंटरनेट सेवा प्रदान करने के लिए प्राधिकृत इकाईओं या भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम 1885 के अंतर्गत इंटरनेट सेवा प्रदान करने वाले लाइसेंसधारियों, और भारत में स्थित कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क (सीडीएन) के बीच भारत में उत्पन्न और नियत इंटरनेट ट्रैफ़िक का पीयरिंग और आदान-प्रदान; और

(ग) अपने आईएक्सपी को भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 के तहत अन्य प्राधिकृत इकाईओं या लाइसेंसधारियों द्वारा इकाईपित, प्रचालित या अनुरक्षित आईएक्सपी के साथ इंटरकनेक्ट करेगा।

(3) आईएक्सपी प्रदाता प्राधिकरण रखने वाली प्राधिकृत इकाई केवल अपने प्राधिकरण के कार्यक्षेत्र के तहत प्राधिकृत दूरसंचार नेटवर्क इकाईपित करेगी, और वह दूरसंचार नेटवर्क की कोई अन्य श्रेणी स्थापित नहीं करेगी जिसके लिए केंद्रीय सरकार से अलग प्राधिकरण की आवश्यकता हो।

45. शुल्क एवं प्रभार

इस भाग ग के अंतर्गत आईएक्सपी प्रदाता प्राधिकरण के संबंध में प्राधिकृत इकाई द्वारा कोई प्राधिकरण शुल्क देय नहीं होगा।

46. तकनीकी और प्रचालन शर्तें

(1) आईएक्सपी प्रदाता प्राधिकरण रखने वाली कोई प्राधिकृत इकाई, भारत में उत्पन्न और गंतव्यित, इंटरनेट सेवा या सीडीएन प्रदान करने के लिए प्राधिकृत इकाईओं के साथ, ऐसी इकाईओं के साथ आपसी करार के अनुसार, निष्पक्ष और गैर-भेदभावपूर्ण आधार पर, इंटरकनेक्ट, पीयर और ट्रैफ़िक का आदान-प्रदान कर सकती है:

बशर्ते कि उप-नियम (1) में विनिर्दिष्ट उद्देश्य के लिए किया गया कोई भी करार, केंद्रीय सरकार या ट्राई द्वारा, जैसा भी मामला हो, विनिर्दिष्ट नियमों और शर्तों का पालन करेगा।

(2) कोई प्राधिकृत इकाई इंटरनेट प्रोटोकॉल (आईपी) का उपयोग करेगी और अन्य प्राधिकृत इकाई के दूरसंचार नेटवर्क से जुड़ने के लिए केंद्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट इंटरफ़ेस आवश्यकताओं को पूरा करेगी।

भाग घ: सैटेलाइट अर्थ स्टेशन गेटवे (एसईएसजी) प्रदाता प्राधिकरण

47. सैटेलाइट अर्थ स्टेशन गेटवे (एसईएसजी) प्रदाता प्राधिकरण का कार्यक्षेत्र

(1) इस भाग घ के प्रावधान सैटेलाइट अर्थ स्टेशन गेटवे (एसईएसजी) प्रदाता प्राधिकरण रखने वाली प्राधिकृत इकाईओं पर लागू होंगे।

(2) एसईएसजी प्रदाता प्राधिकरण के कार्यक्षेत्र में ऐसे उपग्रह प्रणालियों के लिए एसईएसजी की इकाईपना, प्रचालन, अनुरक्षण या विस्तार शामिल है जो अंतरिक्ष विभाग या इन-स्पेस, या इस प्रयोजन के लिए केंद्रीय सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य कार्यालय द्वारा प्राधिकृत हैं।

(3) एसईएसजी प्रदाता प्राधिकरण रखने वाली कोई प्राधिकृत इकाई उप-नियम (2) में विनिर्दिष्ट ऐसे उपग्रह प्रणालियों के लिए एसईएसजी के साथ-साथ बेसबैंड प्रणालियों की इकाईपना, प्रचालन, अनुरक्षण या विस्तार कर सकती है।

(4) सैटेलाइट अर्थ स्टेशन गेटवे (एसईएसजी) प्रदाता प्राधिकरण रखने वाली कोई प्राधिकृत इकाई, केवल अपने प्राधिकरण के कार्यक्षेत्र के तहत प्राधिकृत दूरसंचार नेटवर्क इकाईपित करेगी, और वह दूरसंचार नेटवर्क की कोई अन्य श्रेणी इकाईपित नहीं करेगी जिसके लिए केंद्रीय सरकार से अलग प्राधिकरण की आवश्यकता हो।

48. शुल्क एवं प्रभार

इस भाग-घ के अंतर्गत एसईएसजी प्रदाता प्राधिकरण के संबंध में प्राधिकृत इकाई द्वारा कोई प्राधिकरण शुल्क देय नहीं होगा।

49. तकनीकी और प्रचालन शर्तें

(1) प्राधिकृत इकाई, किसी भी एसईएसजी की इकाईपना से पहले, पोर्टल पर विनिर्दिष्ट प्रारूप और तरीके से, ऐसे एसईएसजी के तकनीकी विवरण सहित, विवरण केंद्रीय सरकार को प्रस्तुत करेगी।

(2) केंद्रीय सरकार या कोई संबंधित प्राधिकृत एजेंसी, उप-नियम (1) के तहत प्रदान किए गए विवरणों की जांच करने के बाद, प्राधिकृत इकाई को ऐसे एसईएसजी की इकाईपना के संबंध में कोई विशिष्ट कार्रवाई, यदि कोई हो, करने का निर्देश दे सकती है।

(3) प्राधिकृत इकाई, अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (1) के तहत प्राधिकृत इकाईओं (जिन्हें इस नियम के प्रयोजन के लिए आगे "साझेदार इकाईएँ" कहा गया है) को अपना एसईएसजी अवसंरचना प्रदान कर सकती है, ताकि ऐसी साझेदार इकाई के प्राधिकरण के प्रयोजनों के लिए उपग्रह प्रणालियों का उपयोग, ऐसी इकाईओं के साथ आपसी करार के अनुसार, निष्पक्ष और गैर-भेदभावपूर्ण आधार पर किया जा सके।

(4) एसईएसजी प्रदाता प्राधिकरण रखने वाली प्राधिकृत इकाई, साझेदारी इकाई के स्पेक्ट्रम का उपयोग कॉन्फ़िगरेशन के सीमित उद्देश्य के लिए कर सकती है, जबकि स्पेक्ट्रम के उपयोग का अधिकार साझेदारी इकाई के पास ही रहेगा।

(5) नियम 47 के उप-नियम (3) के अंतर्गत बेसबैंड प्रणालियों की इकाईपना, प्रचालन, अनुरक्षण या विस्तार करने वाली एसईएसजी प्रदाता प्राधिकरण रखने वाली प्राधिकृत इकाई, उपग्रह प्रणाली का उपयोग करके प्रयोक्ताओं को प्रदान की जा रही दूरसंचार सेवाओं का नियंत्रण, दृश्यता, संसाधन आवंटन और प्रबंधन, पारस्परिक रूप से सहमत नियमों और शर्तों पर, साझेदारी इकाई को प्रदान करेगी।

(6) एसईएसजी प्रदाता प्राधिकरण रखने वाली प्राधिकृत इकाई, भवन, विद्युत उपकरण, बैटरी और पावर प्लांट, डार्क फाइबर, डक्ट स्पेस, राइट ऑफ वे सहित अपनी निष्क्रिय अवसंरचना, जो उसके स्वामित्व में है, इकाईपित और प्रचालित है, को अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (1) के अंतर्गत प्राधिकृत इकाईओं के साथ, उनकी पारस्परिक सहमति के अनुसार, निष्पक्ष और गैर-भेदभावपूर्ण आधार पर साझा कर सकती है।

(7) उप-नियम (3) और उप-नियम (6) के अंतर्गत प्राधिकृत इकाई द्वारा किया गया करार, केन्द्रीय सरकार या ट्राई द्वारा विनिर्दिष्ट नियमों और शर्तों का पालन करेगा।

भाग ङ: क्लाउड-होस्टेड दूरसंचार नेटवर्क (सीटीएन) प्रदाता प्राधिकरण

50. **क्लाउड-होस्टेड दूरसंचार नेटवर्क (सीटीएन) प्रदाता प्राधिकरण का कार्यक्षेत्र**

(1) इस भाग ङ के प्रावधान क्लाउड-होस्टेड दूरसंचार नेटवर्क (सीटीएन) प्रदाता प्राधिकरण रखने वाली प्राधिकृत इकाईओं पर लागू होंगे।

(2) अध्याय 6 के भाग ङ के प्रयोजन के लिए, निम्नलिखित शब्दों का अर्थ नीचे दिए गए अनुसार होगा:

(क) "क्लाउड-होस्टेड दूरसंचार नेटवर्क" या "सीटीएन" का अर्थ है वर्चुअल नेटवर्क कम्पोनेन्ट, टोपोलॉजी और कॉन्फ़िगरेशन से युक्त दूरसंचार नेटवर्क जो सीटीएन प्रदाता के भौतिक नेटवर्किंग अवसंरचना पर चलता है;

(ख) "सीटीएन प्रदाता" का अर्थ है सीटीएन प्रदान करने के लिए प्राधिकरण रखने वाला व्यक्ति;

(ग) 'सीटीएनएएएस' में निम्नलिखित शामिल होंगे:

(i) अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (1) के तहत प्राधिकृत किसी अन्य इकाई को उसके दूरसंचार उपकरणों को रखने के लिए भौतिक अवसंरचना का प्रावधान;

(ii) अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (1) के अंतर्गत प्राधिकृत किसी अन्य इकाई को उसके दूरसंचार नेटवर्क में उपयोग के लिए डेडीकेटेड दूरसंचार उपकरण प्रदान करना;

(iii) अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (1) के अंतर्गत प्राधिकृत किसी अन्य इकाई को उसके दूरसंचार नेटवर्क में उपयोग के लिए वर्चुअल मशीन (मशीनों) का प्रावधान करना; या

(iv) अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (1) के अंतर्गत प्राधिकृत किसी इकाई को दूरसंचार सेवाएँ प्रदान करने के लिए दूरसंचार नेटवर्क कार्यक्षमता प्रदान करना।

(3) सीटीएन प्रदाता प्राधिकरण के कार्यक्षेत्र में निम्नलिखित शामिल हैं:

(क) सीटीएन की इकाईपना, प्रचालन, अनुरक्षण या विस्तार करना,

(ख) दूरसंचार सेवाओं के प्रावधान या दूरसंचार नेटवर्क इकाईपित करने के लिए ऐसे दूरसंचार नेटवर्क का उपयोग करने हेतु प्राधिकृत इकाईओं को सीटीएन को एक सेवा (सीटीएनएएएस) के रूप में प्रदान करना।

(4) सीटीएन प्रदाता केवल अपने प्राधिकरण के कार्यक्षेत्र के तहत प्राधिकृत दूरसंचार नेटवर्क इकाईपित करेगा, और वह दूरसंचार नेटवर्क की कोई अन्य श्रेणी इकाईपित नहीं करेगा या दूरसंचार सेवा की कोई भी श्रेणी प्रदान नहीं करेगा जिसके लिए केंद्रीय सरकार से अलग प्राधिकरण की आवश्यकता हो सकती है।

51. **शुल्क एवं प्रभार**

इस भाग ङ के अंतर्गत प्रदान किए गए सीटीएन प्रदाता प्राधिकरण के संबंध में प्राधिकृत इकाई द्वारा कोई प्राधिकरण शुल्क देय नहीं होगा।

52. **तकनीकी और प्रचालन शर्तें**

प्राधिकृत इकाई अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अंतर्गत प्राधिकृत इकाईओं को, दूरसंचार सेवाओं के प्रावधान हेतु या ऐसी इकाईओं के साथ आपसी करार के अनुसार, दूरसंचार नेटवर्क इकाईपित करने हेतु, निष्पक्ष और गैर-भेदभावपूर्ण आधार पर, सीटीएनएएएस प्रदान कर सकती है।

भाग च: मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी (एमएनपी) प्रदाता प्राधिकरण

53. **मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी (एमएनपी) प्रदाता प्राधिकरण का दायरा**

(1) इस भाग च के प्रावधान मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी (एमएनपी) प्रदाता प्राधिकरण रखने वाली प्राधिकृत इकाईओं पर लागू होंगे।

(2) एमएनपी प्रदाता प्राधिकरण के दायरे में अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के खंड (क) के तहत एक्सेस सेवा प्रदान करने के लिए प्राधिकृत इकाईओं को अपने आंचलिक क्षेत्र में एमएनपी सेवा प्रदान करने के लिए दूरसंचार नेटवर्क इकाईपित करने, प्रचालित करने, रखरखाव करने या विस्तार करने का प्राधिकरण शामिल है।

(3) मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी (एमएनपी) प्रदाता प्राधिकरण रखने वाली प्राधिकृत इकाई केवल अपने प्राधिकरण के दायरे के तहत प्राधिकृत दूरसंचार नेटवर्क स्थापित करेगी, और वह दूरसंचार नेटवर्क की कोई अन्य श्रेणी स्थापित नहीं करेगी जिसके लिए केन्द्रीय सरकार से अलग प्राधिकरण की आवश्यकता हो।

54. **शुल्क और प्रभार**

(1) इस भाग में सकल राजस्व, लागू सकल राजस्व (एपीजीआर) और समायोजित सकल राजस्व (एजीआर) शब्दों के नीचे निर्दिष्ट संबंधित अर्थ होंगे:

(क) किसी प्राधिकृत इकाई के "सकल राजस्व" में सभी प्रचालनों और गतिविधियों के माध्यम से प्राधिकृत इकाई को प्राप्त राजस्व और किसी भी स्रोत से सभी आय शामिल होगी, जिसमें ब्याज, लाभांश, किराया, अचल संपत्तियों की बिक्री पर लाभ और विविध आय शामिल है, जिसमें संबंधित व्यय मदों के लिए कोई कटौती नहीं की जाएगी।

(ख) "लागू सकल राजस्व" या "एपीजीआर", नीचे सूचीबद्ध मदों से घटाकर प्राधिकृत इकाई के सकल राजस्व के बराबर होगा:

(i) दूरसंचार गतिविधियों या प्रचालन के अलावा प्रचालनों से राजस्व;

(ii) सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा जारी प्राधिकरण , अनुमति या पंजीकरण के तहत गतिविधियों से राजस्व, ;

(iii) डिजिटल भारत निधि से प्राप्तियां ; और

(iv) निम्नलिखित मदों के अंतर्गत आने वाला राजस्व:

(क) लाभांश से आय;

(ख) ब्याज से आय;

(ग) अचल संपत्तियों और प्रतिभूतियों की बिक्री पर लाभ के कारण पूंजीगत लाभ;

(घ) विदेशी मुद्रा दरों में उतार-चढ़ाव से लाभ;

(ङ) संपत्ति के किराए से आय;

(च) बीमा दावे;

(छ) खराब ऋणों की वसूली; और

(ज) वापस लिखे गए अतिरिक्त प्रावधान:

बशर्ते कि केन्द्रीय सरकार समय-समय पर इन राजस्व स्रोतों पर लागू विवरण और शर्तों तथा उनकी गणना के तरीके को निर्दिष्ट करेगी।

(ग) "समायोजित सकल राजस्व" या "एजीआर" एपीजीआर के बराबर होगा ।

(2) प्राधिकृत इकाई को प्राधिकरण की प्रभावी तिथि से वार्षिक प्राधिकरण शुल्क के रूप में एजीआर का एक प्रतिशत भुगतान करना होगा :

बशर्ते कि प्राधिकरण की प्रभावी तिथि के दूसरे वर्ष से, और प्रत्येक बाद के वर्ष के लिए, प्राधिकरण शुल्क इनमें से अधिक होगा: (क) उप-नियम (2) के तहत निर्दिष्ट राशि, या (ख) अनुसूची क में निर्दिष्ट लागू प्रवेश शुल्क का तीस प्रतिशत;

बशर्ते कि प्राधिकरण के नवीकरण के मामले में, प्राधिकरण शुल्क नवीकरण की प्रभावी तिथि से प्राधिकरण के प्रवेश शुल्क के न्यूनतम तीस प्रतिशत के अधीन होगा;

बशर्ते कि किसी मौजूदा लाइसेंस को किसी प्रासंगिक प्राधिकरण में स्थानांतरित करने के मामले में, प्राधिकरण शुल्क स्थानांतरण की प्रभावी तिथि से प्राधिकरण के प्रवेश शुल्क के न्यूनतम तीस प्रतिशत के अधीन होगा।

(3) निर्दिष्ट प्राधिकरण शुल्क की मात्रा को प्राधिकरण की अवधि के भीतर किसी भी समय इन नियमों में संशोधन के माध्यम से परिवर्तित किया जा सकता है।

55. **भुगतान की अनुसूची**

(1) इन नियमों के अंतर्गत निर्धारित प्राधिकरण शुल्क, पहली अप्रैल से प्रारंभ होने वाले प्रत्येक वित्तीय वर्ष के दौरान चार त्रैमासिक किस्तों में देय होगा तथा किसी भी तिमाही से कम अवधि के प्राधिकरण के लिए शुल्क की गणना, संबंधित तिमाही में दिनों की वास्तविक संख्या के आधार पर आनुपातिक आधार पर की जाएगी।

(2) प्राधिकृत इकाई को प्राधिकरण शुल्क की त्रैमासिक किस्तों का भुगतान निम्नलिखित तरीके से करना होगा:

(क) वित्तीय वर्ष की प्रथम तीन तिमाहियों में से प्रत्येक के संबंध में तिमाही किस्त का भुगतान संबंधित तिमाही के पूरा होने के पंद्रह दिनों के भीतर किया जाएगा; और

(ख) अंतिम तिमाही के लिए त्रैमासिक किस्त का भुगतान पच्चीस मार्च तक अग्रिम रूप से किया जाएगा, जिसकी गणना उस तिमाही के लिए अपेक्षित राजस्व के आधार पर की जाएगी, जो पिछली तिमाही के लिए भुगतान किए गए प्राधिकरण शुल्क के बराबर न्यूनतम राशि के अधीन होगी:

बशर्ते कि प्राधिकृत इकाई पिछली तिमाही के लिए किए गए अग्रिम भुगतान और ऐसी तिमाही के लिए विधिवत देय वास्तविक राशि के बीच के अंतर को अगले वित्तीय वर्ष की 15 अप्रैल तक समायोजित और भुगतान करेगी।

(3) उप-नियम (2) के अनुसार भुगतान की गणना संबंधित तिमाही के लिए उपार्जन आधार पर राजस्व के आधार पर की जाएगी और पोर्टल पर निर्दिष्ट रूप और तरीके से इसके साथ निम्नलिखित संलग्न किए जाएंगे: (क) एक स्व-प्रमाणपत्र, जो प्राधिकृत इकाई के प्रतिनिधि द्वारा हस्ताक्षरित और इलेक्ट्रॉनिक रूप से सत्यापित होगा, जिसे बोर्ड के प्रस्ताव और सामान्य पावर ऑफ अटॉर्नी द्वारा प्राधिकृत किया गया है, और (ख) प्रत्येक प्राधिकरण के लिए राजस्व का एक विवरण, जो प्राधिकृत इकाई के प्रतिनिधि द्वारा हस्ताक्षरित और इलेक्ट्रॉनिक रूप से सत्यापित होगा।

(4) प्राधिकृत इकाई प्रत्येक वर्ष 30 जून को या उससे पहले:

(क) पिछले वित्तीय वर्ष की सभी तिमाहियों के लिए राजस्व विवरण प्रस्तुत करना, जो कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसार नियुक्त अपने सांविधिक लेखा परीक्षक द्वारा विधिवत् लेखापरीक्षित और हस्ताक्षरित हो, ऐसे प्रारूप और तरीके से जैसा कि इस प्रयोजन के लिए पोर्टल पर निर्दिष्ट किया जा सकता है; और

(ख) नियम 54 के उप-नियम (2) के आधार पर पिछले वित्तीय वर्ष के लिए उप-नियम (5) के अनुसार लागू ब्याज सहित प्राधिकरण शुल्क का अंतिम समायोजन करें।

(5) प्राधिकृत इकाई द्वारा प्राधिकरण शुल्क या किसी अन्य देय राशि के भुगतान में ऐसे भुगतान के लिए निर्दिष्ट अवधि से अधिक विलंब होने की स्थिति में, प्राधिकृत इकाई को भारतीय स्टेट बैंक की एक वर्ष की सीमांत निधि लागत आधारित उधार दर (एमसीएलआर) की दर से परिकलित ब्याज का भुगतान करना होगा, जो प्रासंगिक वित्तीय वर्ष के आरंभ में अर्थात् पहली अप्रैल को विद्यमान थी, साथ ही वार्षिक रूप से संयोजित दो प्रतिशत की दर से भी ब्याज देना होगा:

बशर्ते कि ब्याज की गणना के प्रयोजन के लिए किसी माह के किसी भाग को पूर्ण माह माना जाएगा।

(6) प्राधिकृत इकाई उप-नियम (3) के तहत प्रस्तुत त्रैमासिक विवरणों में दिखाई देने वाले आंकड़ों और वार्षिक लेखों में दिखाई देने वाले आंकड़ों के बीच समाधान विवरण प्रस्तुत करेगी, जो कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसार नियुक्त अपने सांविधिक लेखा परीक्षक द्वारा विधिवत लेखा परीक्षित और हस्ताक्षरित होगा, साथ ही प्रकाशित वार्षिक लेखों और लेखा परीक्षा रिपोर्ट की एक प्रति लेखा परीक्षा रिपोर्ट पर हस्ताक्षर करने की तारीख से सात दिनों के भीतर या वार्षिक वित्तीय विवरण दाखिल करने के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत प्रदान की गई समय-सीमा के भीतर, जो भी पहले हो, प्रस्तुत करेगी:

बशर्ते कि वार्षिक वित्तीय विवरण, राजस्व विवरण और ऊपर उल्लिखित समाधान विवरण केन्द्रीय सरकार द्वारा इस प्रयोजन के लिए निर्दिष्ट मानदंडों का पालन करते हुए तैयार किए जाएंगे।

(7) इन नियमों के अंतर्गत देय सभी धनराशियों का भुगतान प्राधिकृत इकाई द्वारा पोर्टल पर निर्दिष्ट तरीके से किया जाएगा।

56. **प्राधिकरण के लिए गारंटी आवश्यकताएँ**

(1) प्राधिकृत इकाई उप-नियम (2) में निर्दिष्ट उद्देश्य के लिए पोर्टल पर निर्दिष्ट प्रारूप और तरीके से निम्नलिखित में से किसी भी रूप में गारंटी प्रस्तुत करेगी:

(क) किसी भी अनुसूचित बैंक या सार्वजनिक वित्तीय इकाईन से बैंक गारंटी,

(ख) भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा जारी लागू नियमों और दिशानिर्देशों के अनुसार किसी बीमा कंपनी द्वारा जारी किया गया बीमा ज़मानत बांड या

(ग) केन्द्रीय सरकार के पास ब्याज रहित सुरक्षा जमा।

(2) उप-नियम (1) में निर्दिष्ट ऐसी गारंटी का उद्देश्य प्राधिकरण के सभी निबंधनों और शर्तों के उचित अनुपालन के लिए सुरक्षा प्रदान करना है, जिसमें प्राधिकरण शुल्क का भुगतान, प्राधिकरण के किसी भी निबंधन और शर्तों के उल्लंघन या उल्लंघन के लिए लगाया गया जुर्माना या समय-समय पर केंद्रीय सरकार द्वारा जारी अधिसूचनाओं, आदेशों, निर्देशों या दिशानिर्देशों का अनुपालन न करना और प्राधिकरण के तहत देय कोई अन्य बकाया शामिल है, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं है।

(3) उप-नियम (1) के तहत प्रस्तुत गारंटी केंद्रीय सरकार द्वारा आवधिक वार्षिक समीक्षा के अधीन होगी और प्राधिकृत इकाई प्राधिकरण की अवधि के लिए या प्राधिकरण के तहत सभी बकाया राशि का भुगतान होने तक, जो भी बाद में हो, वैध गारंटी बनाए रखेगी:

बशर्ते कि आशय पत्र के अनुसरण में प्रस्तुत प्रारंभिक गारंटी अनुसूची क में ऐसे प्राधिकरण के संबंध में निर्दिष्ट राशि के लिए होगी और प्राधिकरण के बाद के वर्षों के लिए, केंद्रीय सरकार द्वारा निर्धारित राशि के लिए, इनमें से उच्चतर के आधार पर: (क) दस लाख रुपये, या (ख) संयुक्त अनुमानित राशि का बीस प्रतिशत, पोर्टल पर इस उद्देश्य के लिए निर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार गणना की गई, निम्नलिखित में से:

(क) दो तिमाहियों के लिए प्राधिकरण शुल्क; और

(ख) कोई अन्य बकाया जो अन्यथा सुरक्षित न हो।

(4) प्राधिकृत इकाई ऐसी गारंटी की वैधता अवधि को, केन्द्रीय सरकार से किसी मांग या नोटिस के बिना, इसकी समाप्ति की तिथि से कम से कम एक माह पूर्व बढ़ाएगी।

(5) प्राधिकरण की अवधि के दौरान किसी भी समय वैध गारंटी बनाए रखने में विफलता, या प्राधिकरण के तहत सभी बकाया राशि का भुगतान होने तक, जो भी बाद में हो, तो प्राधिकृत इकाई को कोई नोटिस दिए बिना केंद्रीय सरकार को बैंक गारंटी को भुनाने, बीमा ज़मानत बांड का दावा करने या सुरक्षा जमा को विनियोजित करने का, जैसा भी मामला हो, अधिकार होगा,:

बशर्ते कि ऐसी गारंटी के नकदीकरण, दावे या विनियोग पर केन्द्रीय सरकार द्वारा कोई ब्याज या प्रतिकर देय नहीं होगा।

(6) जब गारंटी को पूर्णतः या आंशिक रूप से भुनाया, दावा किया या विनियोजित किया गया हो, तो ऐसे अवसरों पर प्राधिकृत इकाई , जैसा भी मामला हो, ऐसी भुनाई गई, दावा की गई या विनियोजित गारंटी को ऐसे भुनाए जाने, दावे या विनियोजन के पंद्रह दिनों के भीतर पूरी राशि तक पुन: स्थापित कर देगी:

बशर्ते कि केन्द्रीय सरकार उप-नियम (6) में निर्दिष्ट अवधि की समाप्ति से पहले प्राधिकृत इकाई द्वारा किए गए लिखित अनुरोध की प्राप्ति पर, लिखित रूप में कारणों को दर्ज किए जाने के अधीन, ऐसी बहाली के लिए दस दिनों से अनधिक की एक बार की अवधि बढ़ाने की अनुमति दे सकती है।

(7) दूरसंचार (न्यायनिर्णयन और अपील) नियम, 2025 के अंतर्गत अपने अधिकारों या किसी अन्य उपाय पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना केन्द्रीय सरकार निम्नलिखित मामलों में गारंटी को भुना सकती है, दावा कर सकती है या विनियोजित कर सकती है:

(क) प्राधिकरण के तहत देय प्राधिकरण शुल्क या किसी अन्य बकाया राशि का भुगतान न करना;

(ख) केन्द्रीय सरकार द्वारा लगाए गए जुर्माने से उत्पन्न बकाया राशि का भुगतान न करना; या

(ग) प्राधिकरण की किसी अन्य निबंधन या शर्त का उल्लंघन।

(8) प्राधिकरण के निरस्तीकरण, अभ्यर्पण या समाप्ति पर प्रासंगिक गारंटी प्राधिकृत इकाई को केवल सभी बकाया राशि के भुगतान के बाद ही जारी की जाएगी, जिसे प्राधिकृत इकाई केन्द्रीय सरकार को भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है:

बशर्ते कि केन्द्रीय सरकार को देय राशि का भुगतान करने में विफलता की स्थिति में, बकाया राशि की वसूली दावे या गारंटी के विनियोजन के माध्यम से की जाएगी, तथा केन्द्रीय सरकार को देय राशि की वसूली के लिए किसी अन्य कार्रवाई पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा तथा ऐसी प्राधिकृत इकाई को कोई और सूचना नहीं दी जाएगी।

57. **प्राधिकरण शुल्क का आकलन**

(1) केन्द्रीय सरकार इन नियमों के अंतर्गत प्राधिकरण शुल्क तथा केन्द्रीय सरकार को देय किसी अन्य प्रभार का आकलन इस प्रयोजन के लिए निर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार कर सकती है।

स्पष्टीकरण: **इस नियम के प्रयोजनों के लिए, "मूल्यांकन" शब्द में पुनर्मूल्यांकन और पुनर्गणना शामिल होगी।**

(2) प्राधिकृत इकाई को पोर्टल पर निर्दिष्ट प्रारूप और तरीके से देय प्राधिकरण शुल्क की राशि के समर्थन में प्रासंगिक दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे।

(3) जहां कोई प्राधिकृत इकाई किसी अन्य दूरसंचार नेटवर्क के लिए या प्राधिकरण के किसी भिन्न क्षेत्र में समान दूरसंचार नेटवर्क के लिए प्राधिकरण रखती है तो उसे प्रत्येक प्राधिकरण के लिए प्राधिकरण शुल्क की गणना का विवरण तैयार करना होगा और प्रस्तुत करना होगा तथा इस प्रयोजन के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी अधिसूचनाओं, आदेशों, निर्देशों या दिशानिर्देशों के साथ-साथ ट्राई द्वारा जारी किए जाने वाले आदेशों, निर्देशों, दिशानिर्देशों या विनियमों का अनुपालन करना होगा।

(4) प्राधिकृत इकाई इस प्रयोजन के लिए केन्द्रीय सरकार या ट्राई द्वारा निर्दिष्ट लेखा मानदंडों और सिद्धांतों तथा निर्देशों के अनुसार वार्षिक लेखे तैयार करेगी और प्रस्तुत करेगी।

(5) प्रत्येक प्राधिकरण के संबंध में प्राधिकृत इकाई को:

(क) लेखांकन अभिलेखों को संकलित और बनाए रखना, जिनमें पूंजीगत लागत, राजस्व और प्राधिकरण के तहत प्राधिकृत इकाई के व्यवसाय की वित्तीय स्थिति सहित लागतों को उचित रूप से प्रस्तुत करना, जिसमें राजस्व या किसी अन्य उद्देश्य के परिमाणीकरण के लिए प्राधिकृत इकाई के व्यवसाय में नियोजित परिसंपत्तियों और देनदारियों का उचित मूल्यांकन

शामिल है; जो प्राधिकरण की अवधि के दौरान या केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्दिष्ट ऐसी छोटी अवधि के दौरान प्रत्येक पूर्ण तिमाही के संबंध में अपने लेन-देन को दिखाने और स्पष्ट करने के लिए पर्याप्त हैं,

(ख) प्राधिकृत इकाई द्वारा अन्य प्राधिकृत इकाईओं से प्राप्त दूरसंचार नेटवर्क के लिए अलग से शुल्क का भुगतान करना, जो ऐसी इकाईओं के साथ आपसी करारों और ट्राई के विनियमों, जहां लागू हो, द्वारा शासित होगा;

(ग) यह सुनिश्चित करना कि अन्य प्राधिकृत इकाईओं के साथ खातों का द्विपक्षीय निपटान पारदर्शी तरीके से सामान्य बैंकिंग चैनलों के माध्यम से किया जाएगा; और

(घ) अन्य प्राधिकृत इकाईओं के साथ खातों के निपटान के लिए तंत्र का विवरण, नेटवर्क और सुविधाओं के उपयोग के लिए शुल्क, साथ ही वास्तविक निपटान का विवरण केन्द्रीय सरकार को प्रस्तुत करना।

(6) प्राधिकृत इकाई को प्राधिकृत इकाई के विधिवत लेखापरीक्षित और अनुमोदित खातों के एक वित्तीय वर्ष के बिलिंग और अन्य लेखा रिकॉर्ड को प्रकाशन की तारीख से कम से कम छह वर्ष की अवधि के लिए इलेक्ट्रॉनिक और हार्ड कॉपी में बनाए रखना और संरक्षित करना होगा:

बशर्ते कि यदि किसी अवधि के लिए प्राधिकरण शुल्क या कोई अन्य प्रभार विवादाधीन है, तो उक्त अभिलेख विवाद के समाधान होने तक बनाए रखे जाएंगे, भले ही वह अवधि ऊपर निर्दिष्ट छह वर्ष की अवधि से आगे बढ़ जाए।

(7) केन्द्रीय सरकार या ट्राई किसी भी समय किसी प्राधिकृत इकाई को सूचना उपलब्ध कराने या वार्षिक लेखा पुस्तकों तक एक्सेस प्रदान करने का निर्देश दे सकता है जिसे ऐसी प्राधिकृत इकाई अपने प्राधिकरण की शर्तों के तहत दूरसंचार नेटवर्क के संबंध में रखती है और ऐसी प्राधिकृत इकाई को ऐसे निर्देश का तत्काल अनुपालन करना होगा।

(8) किसी प्राधिकृत इकाई के रिकॉर्डों की ऐसी जांच की जाएगी जो केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित की जाएगी ताकि प्राधिकरण शुल्क और अन्य प्रभारों सहित केन्द्रीय सरकार को देय राशियों का स्वतंत्र सत्यापन किया जा सके।

(9) यदि केन्द्रीय सरकार यह मत बनाए कि किसी प्राधिकृत इकाई द्वारा प्रस्तुत राजस्व विवरण अथवा वार्षिक लेखे गलत अथवा भ्रामक हैं तो वह ऐसी इकाई के खातों का लेखा-परीक्षण कराने का आदेश पारित कर सकती है। इसके लिए केन्द्रीय सरकार एक अथवा एक से अधिक लेखा-परीक्षकों की नियुक्ति करेगी जिन्हें कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 के अंतर्गत वैधानिक लेखा-परीक्षकों के समान अधिकार प्राप्त होंगे। ऐसे लेखा-परीक्षकों का पारिश्रमिक, केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित किए गए अनुसार, प्राधिकृत इकाई द्वारा देय होगा।

(10) उप-नियम (9) पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना केन्द्रीय सरकार किसी भी समय ऐसे लेखा-परीक्षक की नियुक्ति कर सकती है जिसे कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 के अंतर्गत वैधानिक लेखा-परीक्षक के समान अधिकार प्राप्त हों ताकि वह किसी प्राधिकृत इकाई के खातों एवं रिकॉर्डों का

विशेष लेखा-परीक्षण कर सके। ऐसे लेखा-परीक्षक का पारिश्रमिक, केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित किए गए अनुसार, प्राधिकृत इकाई द्वारा देय होगा।

(11) यदि कोई प्राधिकृत इकाई प्रासंगिक वित्तीय वर्ष की समाप्ति से नौ महीने के भीतर नियम 56 के उप-नियम (4) और (6) के तहत वार्षिक लेखे, लेखा परीक्षा रिपोर्ट और अन्य आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने में विफल रहती है तो केन्द्रीय सरकार, सभी उपलब्ध दस्तावेजों और सूचनाओं और प्रासंगिक सामग्रियों की समीक्षा करने के बाद सर्वोत्तम निर्णय के आधार पर प्राधिकरण शुल्क का आकलन कर सकती है।

बशर्ते कि, ऐसे मूल्यांकन के साथ आगे बढ़ने से पहले केन्द्रीय सरकार उस प्राधिकृत इकाई को नोटिस जारी करेगी और उसे सुनवाई का अवसर प्रदान करेगी।

(12) इस नियम के तहत किसी भी प्रासंगिक वित्तीय वर्ष के लिए ऐसे वित्तीय वर्ष की समाप्ति से चार वर्ष की अवधि के बाद, सिवाय उप-नियम (13) के तहत प्रदान किए गए प्रावधान को छोड़कर, कोई भी मूल्यांकन नहीं किया जाएगा।

(13) केन्द्रीय सरकार प्रासंगिक वित्तीय वर्ष की समाप्ति से चार वर्ष की अवधि बीत जाने के पश्चात् तथा ऐसे वित्तीय वर्ष की समाप्ति से छह वर्ष की अवधि तक कर निर्धारण कर सकेगी यदि उसकी यह राय हो कि कर निर्धारण से छूटी राशि ऐसे वित्तीय वर्ष के लिए पचास लाख रुपए या उससे अधिक की राशि के समतुल्य होने की संभावना है।

(14) उप-नियम (12) और उप-नियम (13) के तहत विनिर्दिष्ट सीमा की अवधि की गणना के प्रयोजनों के लिए किसी भी न्यायालय के आदेश या निषेधाज्ञा के परिणामस्वरूप आकलन पर लगे स्थगन की अवधि को अपवर्जित किया जाएगा।

(15) उप-नियम (12) एवं उप-नियम (13) में निहित किसी भी प्रावधान के बावजूद किसी सक्षम क्षेत्राधिकार न्यायालय द्वारा पारित आदेश में निहित परिणाम अथवा निर्देशों के अनुपालनार्थ प्राधिकरण शुल्क का आकलन किसी भी समय किया जा सकेगा।

(16) केन्द्रीय सरकार, प्राधिकरण शुल्क और भुगतान किए गए किसी अन्य शुल्क का उचित और सटीक मूल्यांकन, सत्यापन और निपटान सुनिश्चित करने के लिए, सभी या किसी भी दूरसंचार नेटवर्क के संबंध में, प्राधिकृत इकाइयों के खातों और लेखा परीक्षा के संबंध में प्राधिकृत इकाइयों को उचित निर्देश जारी कर सकती है और प्राधिकृत इकाई ऐसे निर्देशों का पालन करेगी।

58. **तकनीकी और परिचालन संबंधी शर्तें**

(1) प्राधिकृत इकाई को अधिनियम अथवा भारतीय तार अधिनियम, 1885 के अंतर्गत एक्सेस सेवा, एनएलडी सेवा तथा आईएलडी सेवा प्रदान करने हेतु प्राधिकृत सभी इकाइयों को स्थान रूटिंग संख्या अपडेट उपलब्ध कराना होगा।

(2) प्राधिकृत इकाई ट्राई द्वारा जारी विनियमों, आदेशों, निर्देशों अथवा दिशा-निर्देशों के साथ एक्सेस सेवा प्रदान करने के लिए प्राधिकृत इकाई से एमएनपी के लिए 'प्रति-पोर्ट लेन-देन शुल्क' प्रभारित करेगी।

अनुसूची क: दूरसंचार नेटवर्क के लिए प्राधिकरण हेतु प्रसंस्करण शुल्क, प्रवेश शुल्क और प्रारंभिक गारंटी

क्र. सं.	नेटवर्क प्राधिकरण की श्रेणी	प्रवेश शुल्क (रु. में)	प्रारंभिक गारंटी (रु. में)	प्रसंस्करण शुल्क (रु. में)	प्राधिकरण शुल्क (रु. में)
1	आई पी प्राधिकरण	शून्य	शून्य	10,000	शून्य
2	डीसीआईपी प्राधिकरण	10 लाख	शून्य	10,000	शून्य
3	IXपी प्रदाता प्राधिकरण	शून्य	शून्य	10,000	शून्य
4	एसईएसजी प्रदाता प्राधिकरण	10 लाख	शून्य	10,000	शून्य
5	सीटीएन प्रदाता प्राधिकरण	10 लाख	शून्य	10,000	शून्य
6	एमएनपी प्रदाता प्राधिकरण	50 लाख	40 लाख	10,000	एजीआर का 1%

अनुसूची ख: दूरसंचार नेटवर्क के लिए प्राधिकरण का प्रारूप

दूरसंचार विभाग

दूरसंचार अधिनियम 2023 की धारा 3 (1) (ख)

1. दूरसंचार अधिनियम, 2023 की धारा 3(1)(ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत के राष्ट्रपति की ओर से कार्य करते हुए मैं, _____(नाम और पदनाम), दूरसंचार विभाग, (पता), दिनांक के आवेदन संख्या पर विचार करते हुए, (आवेदक का नाम), (पता) (जिसे इस दस्तावेज में आगे 'प्राधिकृत इकाई' कहा गया है) को (प्राधिकरण का नाम) प्रदान करता हूँ।

2. यह नेटवर्क प्राधिकरण दूरसंचार अधिनियम, 2023 और भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997, जिसे समय-समय पर संशोधित या प्रतिस्थापित किया गया हो, या किसी अन्य प्रासंगिक अधिनियम; और उसके अधीन बनाए गए नियमों के प्रावधानों द्वारा शासित होगा।

3. इस प्राधिकरण की मुख्य शर्तें निम्नानुसार हैं:

   (क) प्राधिकरण की प्रभावी तिथि: (विनिर्दिष्ट की जाए)

   (ख) प्राधिकरण की वैधता की अवधि: प्रभावी तिथि से __ वर्ष, जब तक कि दूरसंचार अधिनियम 2023 के तहत बनाए गए लागू नियमों के अनुसार विनिर्दिष्ट कारणों से पहले रद्द नहीं किया जाता है।

   (ग) प्राधिकरण का दायरा क्षेत्र: (विनिर्दिष्ट किया जाए)

   (घ) प्राधिकरण का सेवा क्षेत्र: जैसा कि दूरसंचार (दूरसंचार नेटवर्क के लिए प्राधिकरण) नियम, 2025 के अध्याय 6 के भाग "__" में विनिर्दिष्ट है।

(ङ) दूरसंचार अधिनियम 2023 के तहत बनाए गए लागू नियमों के प्रावधानों के अनुसार प्राधिकृत इकाई द्वारा प्राधिकरण शुल्क, और अन्य प्रभार का भुगतान किया जाएगा।

(च) यह प्राधिकरण गैर-अनन्य आधार पर प्रदान किया जा रहा है। भविष्य में समय-समय पर, समान प्राधिकरण क्षेत्र में समान या अन्य प्रकार के दूरसंचार नेटवर्क के लिए, समान या भिन्न प्रवेश शर्तों वाली प्राधिकृत इकाइयों की संख्या पर कोई प्रतिबंध लगाए बिना, अतिरिक्त प्राधिकरण जारी किए जा सकते हैं।

(छ) यह प्राधिकरण स्पेक्ट्रम के आवंटन का कोई अधिकार नहीं देता है। स्पेक्ट्रम के उपयोग के लिए दूरसंचार अधिनियम, 2023 की धारा 4 के अंतर्गत अधिसूचित नियमों के अनुसार, केंद्रीय सरकार से एक अलग विनिर्दिष्ट फ्रीक्वेंसी आवंटन की आवश्यकता होगी।

(ज) प्राधिकरण की वैधता अवधि के दौरान किसी भी स्तर पर किसी प्राधिकृत इकाई द्वारा कोई गलत विवरण या गलत अभ्यावेदन पाए जाने पर प्राधिकरण को रद्द किया जा सकता है या केन्द्रीय सरकार द्वारा उचित पाया गया कोई अन्य जुर्माना लगाया जा सकता है।

तारीख:

केंद्रीय सरकार के प्रतिनिधि का नाम और हस्ताक्षर
(भारत के राष्ट्रपति की ओर से)

सेवा में,

(इकाई का नाम और पता)

अनुसूची ग: आंचलिक क्षेत्र

क्र. सं.	जोन	प्राधिकृत क्षेत्र
1	आंचलिक क्षेत्र 1	गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश (पूर्व), उत्तर प्रदेश (पश्चिम), दिल्ली और मुंबई।
2	आंचलिक क्षेत्र 2	आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, पूर्वोत्तर, उड़ीसा, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और कोलकाता।

[फा.सं. 24-12/2025-यूबीबी]

देवेन्द्र कुमार राय, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF COMMUNICATIONS
(Department of Telecommunications)

NOTIFICATION

New Delhi, the 9th October, 2025

G.S.R. 746(E).——The following draft rules, which the Central Government proposes to make in exercise of the powers conferred by clause (b) of sub section (1) of section 3 read with clause (a) of sub-section (2) of section 56 of the Telecommunications Act, 2023 (44 of 2023) are hereby published for the information of all persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said draft rules shall be taken into consideration after the expiry of a period of thirty days from the date on which copies of this notification as published in the Official Gazette, are made available to the public,

Objections or suggestions, if any, may be addressed to the Joint Secretary (Telecom), Department of Telecommunications, Ministry of Communications, Government of India, Sanchar Bhawan, 20, Ashoka Road, New Delhi- 110001,

The objections or suggestions which may be received from any person with respect to the said draft rules before the expiry of the aforesaid period shall be taken into consideration by the Central Government.

CHAPTER 1: PRELIMINARY

1. Short title and commencement

(1) These rules may be called the Telecommunications (Authorisation for Telecommunication Network) Rules, 2025.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

(3) These rules shall not override the terms and conditions of actions taken under the Indian Telegraph Act, 1885 (13 of 1885) or the Indian Wireless Telegraphy Act, 1933 (17 of 1933), including issuance of licenses, registrations or permissions, by whatever name called, undertaken pursuant to the Indian Telegraph Act, 1885 (13 of 1885) or the Indian Wireless Telegraphy Act, 1933 (17 of 1933), as the case may be, which shall continue in accordance with sub-section (6) of section 3 of the Act.

2. Definitions

(1) In these rules, unless the context otherwise requires,

(a) "access network" means the telecommunication network that connects the core telecommunication network of the authorised entity to the user's devices or its premises;

(b) "access service" means the telecommunication service provided by an authorised entity to users for conveyance of voice or non-voice messages through wireline or wireless telecommunication network and the words "wireline access service" and "wireless access service" shall be construed accordingly;

(c) "access spectrum" means the spectrum assigned to an authorised entity for conveyance of voice or non-voice messages between user terminal (UT) and base station;

(d) "Act" means the Telecommunications Act, 2023 (44 of 2023);

(e) "area of authorisation" means the geographical area for which the authorisation to establish, maintain, operate or expand telecommunication network is granted, which can be of two types:

(i) National Area which refers to the territory of India, territorial waters of India, and the Continental Shelf and Exclusive Economic Zone of India, in accordance with the Section 55 of the Act; and

(ii) Zonal area which refers to authorised areas listed in Schedule C to these rules;

(f) "authorisation fee" means a fee payable by an authorised entity at rates and intervals for the duration of the authorisation as specified in these rules;

(g) "authorised agency" means: (i) for interception of messages, the authorised agency as defined under Telecommunications (Procedures and Safeguards for Lawful Interception of Messages) Rules, 2024; and (ii) for any other purpose, the agency designated by the Central Government;

(h) "base station" means a fixed radio transmitter and receiver station, which provides a link between the user terminal and core telecommunication network;

(i) "call" means a connection established by means of telecommunication that enables voice communication;

(j) "Chief Telecommunication Security Officer" means the Chief Telecommunication Security Officer appointed under rule 6 of the Telecommunications (Telecom Cyber Security) Rules, 2024;

(k) "Companies Act" means the Companies Act, 1956 or the Companies Act, 2013, as the case may be;

(l) "control" includes the right to appoint majority of the directors or to control the management or policy decisions exercisable by a person or persons acting individually or in concert, directly or indirectly, including by virtue of their shareholding or management rights or shareholders agreements or voting agreements or in any other manner:

Provided that a director or officer of an authorised entity shall not be considered to have control over an authorised entity merely by virtue of holding such position;

(m) "core telecommunication network" means a system or series of systems of telecommunication equipment that is responsible for routing and controlling flow of telecommunication traffic among different parts of the telecommunication network and handles a range of essential functions including connectivity, routing, mobility management, authentication, authorisation, user management, policy management, management of exposure of the telecommunication network and servicing of Application Program Interfaces (APIs);

(n) "effective date" means the date as specified in the authorisation as being the effective date of the authorisation;

(o) "entry fee" means non-refundable amount of fee to be paid for grant of authorisation to establish, operate, maintain or expand telecommunication network in an area of authorisation;

(p) "exclusive economic zone" means the area identified under section 7 of the Territorial Waters, Continental Shelf, Exclusive Economic Zone And Other Maritime Zones Act, 1976;

(q) "force majeure event" means any cause or event, other than the unavailability of funds, which causes non-performance or delay in performance by the authorised entity claiming to be affected by such event, which are:

(i) beyond the reasonable control of, and could not have been anticipated or foreseeable by such entity, and not brought about at the instance of such entity, or

(ii) which, if anticipated or foreseeable, could not have been avoided by such entity.

Illustrative list of "force majeure events" includes natural phenomena or calamities or any act of God , earthquakes, typhoons, floods, fires, explosions, wars declared or undeclared, hostilities, invasions, blockades, acts of public enemy, sabotage, riots, strikes, insurrection, civil disturbances, Act of State or direction from Statutory Authority, quarantine restriction, strikes and lockouts (as are not limited to the establishments and facilities of the authorised entity).

(r) "foreign direct investment" or "FDI" means foreign direct investment as defined under paragraph (r) of rule 2 of the Foreign Exchange Management (Non-debt Instrument) Rules, 2019;

(s) "form" means a form specified by the Central Government from time to time;

(t) "In-Building Solution" or "IBS" means a telecommunication network which is used to extend and distribute the wired or wireless connectivity within a specific area, including large buildings, stadiums, airports, or campuses, but does not cross or pass under or over a public road;

(u) "IBS infrastructure" means a telecommunication infrastructure used for IBS and it does not include base station;

(v) "IN-SPACe" means the Indian National Space Promotion and Authorisation Center, which is the autonomous agency within the Department of Space that regulates space sector activities of non-government entities;

(w) "interconnection" means the commercial and technical arrangements under which authorised entities or licensees, as the case may be, connect their telecommunication equipment, telecommunication network and telecommunication services to enable their users to have access to users, telecommunication services and telecommunication networks of other authorised entities or licensees;

(x) "internet" is a global system that:

(a) is logically linked together by a globally unique address, based on Internet Protocol (IP) or its subsequent enhancements or upgradations; and

(b) is able to support communications using the Transmission Control Protocol/Internet Protocol (TCP/IP) suite or its subsequent enhancements/upgradations, and all other IP compatible protocols;

(y) "letter of intent" or "LOI" means the letter issued under sub-rule (2) of rule 9 of these rules;

(z) "license" means a license, registration, or permission, by whatever name called, granted under the Indian Telegraph Act, 1885 for provision of telecommunication services or telecommunication network and the word "licensee" shall be construed accordingly;

(aa) "main telecommunication services" means the telecommunications service that are identified under and grant of authorisation for which is governed by the Telecommunications (Authorisation for Provision of Main Telecommunication Services) Rules, 2025;

(bb) "merger rules" means the Telecommunications (Regulation of Restructuring or Acquisition of Authorised Entities) Rules, 2025;

(cc) "migration rules" means the Telecommunications (Migration) Rules, 2025;

(dd) "pole" shall have the same meaning as provided under the Telecommunications (Right of Way) Rules, 2024;

(ee) "portal" means the portal notified by the Central Government under sub-rule (3) of rule 2 of these rules;

(ff) "prohibited investor" means a person who falls within any of the following categories:

(i) a person debarred from accessing the capital market by SEBI;

(ii) a person as may be determined by the Central Government when it considers it necessary or expedient so to do in the interest of national security;

(iii) a person whose authorisation or license, as the case may be, was cancelled on account of default in compliance with the terms and conditions of its authorisation or license;

(iv) a person who was in control of the person specified under clause (iii) at the time of default or of the cancellation; and

(v) a person or class of persons as may be identified by the Central Government, from time to time that are prohibited from holding any equity shares in, or controlling, directly or indirectly, an authorised entity or licensee, as the case may be;

(gg) "Satellite Earth Station Gateway" or "SESG" means a ground-based telecommunication facility with antennas and associated telecommunication equipment that acts as an interface, connecting a Uncrewed Aircraft Systems (UAS), including High Altitude Platforms (HAPs), or satellites to terrestrial telecommunication networks;

(hh) "satellite system" or "satellite network" means a telecommunication network comprising satellites, system control centers, gateways, together with associated telecommunication networks and terminals that enable direct communication channels between satellites and terminals, as well as connections to terrestrial telecommunication networks through feeder links;

(ii) "TRAI" means Telecom Regulatory Authority of India constituted under the TRAI Act;

(jj) "TRAI Act" means Telecom Regulatory Authority of India Act, 1997 (24 of 1997);

(kk) "user terminal (UT)" or "user equipment (UE)" means a type of telecommunication equipment used by a user to avail telecommunication service provided by an authorised entity;

(ll) "wireless access network" or "radio access network" means a type of access network which uses wireless technologies or a combination of wireline and wireless technologies; and

(mm) "wireline access network" means a type of access network which uses wireline technologies.

(2) Words and expressions used in these rules and not defined herein but defined in the Act, or in the rules for main telecommunication service, shall have the meanings respectively assigned to them in the Act or in such rules.

(3) The Central Government may establish and notify one or more portals for the purpose of implementation of rules under the Act.

3. Applicability

These rules shall apply to any person, intending to establish, operate, maintain or expand telecommunication network specified in rule 4, within the area of authorisation.

CHAPTER 2: AUTHORISATION FOR TELECOMMUNICATION NETWORK

4. Categories of authorisations

The authorisations for telecommunication network shall comprise of the following categories:

(a) Infrastructure Provider (IP) authorisation, which shall comprise the telecommunication network as detailed in Part A (IP authorisation) of Chapter 6 of these rules;

(b) Digital Connectivity Infrastructure Provider (DCIP) authorisation, which shall comprise the telecommunication network as detailed in Part B (DCIP authorisation) of Chapter 6 of these rules;

(c) Internet Exchange Point (IXP) provider authorisation, which shall comprise the telecommunication network as detailed in Part C (IXP provider authorisation) of Chapter 6 of these rules;

(d) Satellite Earth Station Gateway (SESG) provider authorisation, which shall comprise the telecommunication network as detailed in Part D (SESG provider authorisation) of Chapter 6 of these rules;

(e) Cloud-hosted Telecommunication Network (CTN) provider authorisation, which shall comprise the telecommunication network as detailed in Part E (CTN provider authorisation) of Chapter 6 of these rules; and

(f) Mobile Number Portability (MNP) provider authorisation, which shall comprise the telecommunication network as detailed in Part F (MNP provider authorisation) of Chapter 6 of these rules.

5. Area of authorisation

The area of authorisation for each category of authorisation for telecommunication network shall be the national area, except for MNP Provider Authorisation, where the area of authorisation shall be the zonal area.

6. Duration of Authorisation

(1) The initial validity period for each category of authorisation for telecommunication network shall be twenty years from the effective date unless curtailed or revoked earlier for reasons specified in these rules:

Provided that the initial validity period of MNP provider authorisation shall be ten years from the effective date unless curtailed or revoked earlier for reasons specified in these rules.

(2) The duration of an authorisation may be renewed as provided under rule 16.

7. Eligibility criteria for grant of an authorisation

(1) An applicant seeking authorisation under these rules shall be a company incorporated under the Companies Act.

(2) An applicant seeking SESG provider authorisation under these rules shall, in addition to the requirement specified in sub-rule (1), also be either of the following:

(a) a space segment provider, authorised by the Department of Space or IN-SPACe, or any other office so authorised by the Central Government for this purpose;

(b) a subsidiary of a space segment provider as specified in clause (a); or

(c) a person having agreement with a space segment provider as specified in clause (a), for establishing, maintaining, operating, or expanding SESG in respect of the satellite systems of the space segment provider in India.

(3) An applicant seeking MNP provider authorisation under these rules shall, in addition to the requirement specified in sub-rule (1), also comply with the following:

(a) the applicant or its material shareholder, shall not hold any equity, either directly or indirectly, in another authorised entity holding an authorisation to provide unified service or access service or long distance service under the Act or a license to provide access service or national long distance service or international long distance service under the Indian Telegraph Act, 1885.

(b) the applicant or its material shareholder, shall not, either directly or indirectly, have any substantial equity shareholding (SEH) in another authorised entity having MNP provider authorisation:

Provided that the Central Government may, in exceptional circumstances and by recording reasons therefor, relax the condition specified in clause (b).

(4) The foreign direct investment in any applicant shall be in compliance with the laws and policies of India as applicable at the time of making of the application for authorisation under rule 8:

Provided that direct or indirect investors in the applicant shall also be in compliance with the laws and policies of India as applicable.

(5) The applicant shall not have any direct or indirect investment from a prohibited investor or control of a prohibited investor.

(6) In the event the applicant is an entity that had held a license under the Indian Telegraph Act 1885, which had been terminated or surrendered or expired, then such applicant shall have to make payment of all amounts, as may be determined by the Central Government, as being payable under the earlier terminated, surrendered or expired license, including applicable interest calculated based on the rate stipulated for delayed payment, under the relevant license that had been held by such applicant.

(7) In the event the applicant is an entity that had been granted any authorisation under the Act and the following circumstances apply:

(a) it had surrendered such authorisation but has pending dues payable in respect thereof under rule 22;

(b) it had been subject to revocation under rule 18 and is submitting an application for authorisation under these rules after adjudication thereof, but during such period when it could have submitted an application for authorisation, but has pending dues payable thereof; or

(c) its authorisation had expired due to efflux of time, and it has pending dues payable;

then such applicant shall make payment of all amounts, as may be determined by the Central Government, to be eligible to apply for an authorisation under these rules.

(8) An authorised entity or a licensee holding an authorisation or license for telecommunication services in a service area, shall not be eligible to make an application for obtaining an authorisation for a telecommunication network, the scope and area of authorisation of which includes in its entirety, the scope and service area for which it already holds an authorisation or license for telecommunication services, as the case may be.

(9) For the purpose of this rule:

(a) "material shareholder" means a person, other than the Central Government, financial institutions and scheduled banks, holding equity of ten percent or more in the authorised entity; and

(b) "substantial equity shareholding (SEH)" shall mean equity shareholding of ten percent or more.

8. Application for obtaining an authorisation

(1) Any person intending to obtain an authorisation in any of the categories listed in rule 4, except for the category of MNP provider authorisation, shall submit an application on the portal, in the form and manner, and accompanied by such documents as specified on the portal for this purpose.

(2) MNP provider authorisations shall be granted pursuant a bidding process conducted in the form and manner as may be specified by the Central Government, and any person intending to obtain such authorisation, shall submit an application accompanied by relevant documents as specified in the call for applications.

(3) Where an applicant seeking authorisation under these rules is an existing licensee, it shall, along with its application for authorisation:

(a) apply for migration of all its existing licenses to the corresponding authorisation, in accordance with the migration rules, and submit proof of such application; or

(b) submit proof of its application for migration if such application has already been made:

Provided that this sub-rule shall not apply in respect of situations specified under sub-rule (9) of rule 9.

(4) Every application under sub-rule (1) or sub-rule (2), as the case may be, shall be accompanied with a non-refundable processing fee as stipulated in Schedule A to these rules.

(5) An applicant under these rules may simultaneously apply for one or more authorisations in different areas of authorisation.

9. Grant of Authorisation

(1) Upon examination of any application submitted under sub-rule (1) of rule 8, the Central Government may seek clarifications or further documents, as may be required.

(2) In the event an applicant is found to be eligible for grant of an authorisation, a letter of intent shall be issued to the applicant through the portal:

Provided that authorisations for IP or IXP provider, shall be granted to eligible applicants without any prior issuance of a letter of intent, in accordance with sub-rule (6).

(3) An applicant who has been issued a letter of intent pursuant to sub-rule (2), shall comply with the terms and conditions as specified in the letter of intent within the time period specified therein, including, payment of the entry fee as specified for such authorisation in Schedule A, and submit evidence of the same on the portal.

(4) If the requirements stipulated in the letter of intent are not fulfilled within the time period stipulated in the letter of intent, such letter shall be deemed to have lapsed, and the application for authorisation shall stand rejected:

Provided that the Central Government may, based on consideration of a request for extension of time made by an applicant prior to the expiry of the time specified in the letter of intent, in the form and manner as may be specified on the portal, grant a one-time extension not exceeding thirty days from the date specified in the letter of intent.

(5) Upon compliance with the terms and conditions of the letter of intent by an applicant, or in respect of an authorisation as specified in the proviso to sub-rule (2), a unique authorisation number shall be generated on the portal, and an authorisation shall be granted to the applicant in the format specified in Schedule B to these rules.

(6) Applicants bidding for an MNP provider authorisation pursuant to sub-rule (2) of rule 8 shall be required to comply with the terms and conditions specified under the call for applications, and the successful bidder shall, in accordance with the timelines specified under the call for applications:

(a) pay the entry fee as specified under Schedule A; and

(b) submit an initial guarantee of an amount as specified under Schedule A in any of the following forms:

(i) a bank guarantee from any scheduled bank or public financial institution, with a minimum validity period of one year;

(ii) an insurance surety bond, issued by an insurance company, in accordance with the applicable rules and guidelines issued by the Insurance Regulatory and Development Authority of India, with a minimum validity period of one year, or

(iii) non-interest-bearing security deposit with the Central Government;

and submit evidence of the same on the portal.

(7) Pursuant to compliance with the requirements of sub-rule (6), the Central Government shall grant MNP provider authorisation, in the format specified under Schedule B, to one successful bidder only in each zonal area and assign a unique authorisation number:

Provided that, the Central Government may by notification, change the number of zonal areas in the country, amend the composition of authorised areas within each zonal area, and grant additional MNP provider authorisations in each zonal area, through a bidding process.

(8) Any application for authorisation under these rules shall be processed on the basis of the statements, averments, representations and submissions made by the applicant and on the basis of the supporting documents so provided and if at any time, such information is found to be incorrect, the provisions of rule 18 shall apply.

(9) The Central Government shall endeavour, to the extent reasonably practicable, to decide on an application received under rule 8 within a period of sixty days of the applicant providing clarifications or additional documents as may be required under sub-rule (1):

Provided that any decision rejecting the application, other than as a consequence of sub-rule (4), shall be accompanied by reasons to be specified in writing.

(10) An authorised entity shall not be permitted to hold more than one authorisation for a specific telecommunication network in the same area of authorisation:

Provided that in the event an authorised entity or a licensee holding an authorisation or license, as the case may be, in an area of authorisation, makes an application for obtaining an authorisation for a telecommunication network or obtains an authorisation for a telecommunication network in accordance with the merger rules, the scope and area of authorisation of which includes in its entirety, the scope and area of

authorisation, for which it already holds an authorisation or license, then such existing authorisation or license shall be deemed to be subsumed into the new authorisation upon its grant or acquisition or restructuring in accordance with the merger rules, and the authorisation or license so subsumed shall be deemed to be cancelled;

Provided further that, upon the subsumption and cancellation of the prior authorisation or license:

(a) there shall not be any extinguishment or waiver of any dues, penalties, liabilities or obligations incurred under such earlier authorisation or license, as the case may be;

(b) such dues, penalties, liabilities or obligations specified under clause (a) shall stand transferred to and be deemed to be carried forward under the new authorisation, and remain payable by such entity and recoverable by the Central Government; and

(c) any permission or approval held by the licensee or the authorised entity at the time of its application, shall be deemed to be reassigned under the relevant authorisations granted under rule 9 for the relevant area of operation, unless the Central Government determines the need for review of any specific situation or circumstance.

(11) Any applicant who has been issued a letter of intent for grant of a license under the Indian Telegraph Act 1885, prior to notification of these rules, shall be considered for grant of corresponding authorisation under the Act, subject to acceptance by the applicant, and in such cases, the processing fee and entry fee, if already paid, shall be adjusted towards the processing fee and entry fee, as specified, for grant of such authorisation:

Provided that the applicant shall also be required to pay the difference of entry fee, if required, in respect of grant of authorisation under the Act.

10. Non-Exclusive authorisation

Each authorisation granted pursuant to these rules shall be on a non-exclusive basis and additional authorisations with same or different terms and conditions for the same or different telecommunication network may be granted by the Central Government within the same or other areas of authorisation without any restriction on the number of authorised entities:

Provided that the Central Government may, on its own or through any public entity, establish, operate, maintain or expand telecommunication network anywhere in India.

CHAPTER 3: GENERAL CONDITIONS

11. Compliance with the Act

(1) An authorised entity shall comply with the provisions of the Act and the rules prescribed thereunder, including all notifications, orders, directions, or guidelines, issued by the Central Government under the provisions of the Act or rules, which shall be deemed to be incorporated into each authorisation issued under the Act.

(2) An authorised entity shall also comply with notifications, orders, directions, or guidelines, not inconsistent with these rules, issued by the Central Government for the purpose of giving effect to these rules.

12. Compliance with the TRAI Act

An authorised entity shall be bound by the provisions of the TRAI Act, and any non-compliance thereof shall be addressed under the TRAI Act.

13. Continuing Compliance with Eligibility Conditions

(1) An authorised entity as well as its investors shall continue to comply with all applicable laws and policies of India, including laws relating to foreign investment, at all times during the duration of authorisation.

(2) An authorised entity shall ensure that no prohibited investor has any direct or indirect investment, or control in such entity, at all times during the duration of authorisation.

14. Reporting and Disclosure Obligations

(1) An authorised entity shall:

(a) report any change in its shareholding, in the form and manner as may be specified on the portal, within fifteen days from the date of such change in shareholding and shall also ensure compliance with any statutory requirements, including obtaining relevant permissions, under applicable laws;

(b) report any change in the name under which it has been incorporated under the Companies Act, in the form and manner as may be specified on the portal, along with the certified copy of the certificate issued by the Registrar of Companies for the same, within thirty days from the date of issue of such certificate:

(c) submit to the Central Government any change in details relating to ownership, control, address and contact details, or any other such material details, in the form and manner as may be specified on the portal, within fifteen days of such change.

(d) furnish to the Central Government, on demand, such documents, accounts, estimates, returns, reports or other information as directed within specified timelines, in the form and manner as may be specified on the portal.

(2) An authorised entity shall nominate and communicate to the Central Government and the relevant authorised agency, in the form and manner specified for this purpose, the details of a nodal person who shall be responsible for providing any report or information or extending the necessary support, as may be required under these rules.

15. Restrictions on transfer of authorisation

(1) An authorised entity shall not:

(a) assign or transfer its authorisation, whether directly or indirectly, or in any manner whatsoever, without the prior written approval of the Central Government;

(b) enter into any partnership or agreement for sub-leasing or sub-authorisation; and

(c) create any interest in favour of a third party in such authorisation.

(2) An authorisation may be assigned or transferred only pursuant to any restructuring or acquisition of an authorised entity in accordance with the merger rules.

16. Renewal of Authorisation

(1) An authorised entity may submit an application for renewal of authorisation, in the form and manner as may be specified on the portal, at least twelve months prior to the expiry of the authorisation, along with processing fee for such renewal, as specified in Schedule A of these rules:

Provided that an application for renewal may be submitted up to four months prior to the expiry of the authorisation, subject to payment of late fees as may be specified by the Central Government for this purpose.

(2) The Central Government may, upon consideration of an application under sub-rule (1), grant renewal of the authorisation, subject to such terms and conditions as it may specify, including compliance with law and policy applicable at the time of such renewal, for a duration of:

(a) ten years in case of MNP provider authorisation; and

(b) twenty years in case of all other authorisations:

Provided that any decision rejecting the application shall be accompanied by reasons to be specified in writing.

(3) Where an application has been rejected in terms of sub-rule (2), or no application for renewal of authorisation is received within the timelines specified under sub-rule (1), then such authorisation shall expire at the end of the validity period of an existing authorisation.

17. Force Majeure event

(1) If the performance of any obligation under an authorisation by an authorised entity is prevented or delayed, in whole or in part, by reason of a force majeure event, and such entity has complied with its notification obligations under sub-rule (2), the Central Government shall, neither revoke the authorisation, nor claim any damages against such authorised entity, in respect of such non-performance or delay in performance for the duration of such event.

(2) An authorised entity shall notify to the Central Government, in the form and manner as may be specified for this purpose, the occurrence of a force majeure event within twenty-one days from the date of occurrence of such event.

(3) An authorised entity shall not be entitled for extension of the duration of the authorisation, or to claim any compensation for the force majeure event, or any damages against the Central Government for non-performance or delay in performance of the Central Government's obligations by reason of the force majeure event.

18. Default by an authorised entity

(1) The adjudication and appeal of any contravention or breach of the terms and conditions of authorisation shall be governed by the Telecommunications (Adjudication and Appeal) Rules, 2025.

(2) The Central Government may specify the gradation of penalties imposed pursuant to such adjudicatory process as applicable for breach of terms and conditions of authorisation, having regard to the factors listed under sub-section (3) of section 32 of the Act.

(3) Where recommendations regarding suspension, revocation or curtailment of the duration of the authorisation under clause (b) to sub-section (1) of section 32 of the Act have been made, the Central Government shall issue a show cause notice to an authorised entity, specifying a period of up to twenty-one days to reply to the same.

(4) The Central Government may, after due consideration of the reply submitted by an authorised entity, suspend or curtail, in whole or in part, or revoke the authorisation of such entity:

Provided that, in the event an authorised entity does not submit its reply within the time period specified in the show cause notice, the Central Government shall proceed to take a decision on suspension, revocation or curtailment of authorisation based on the material on record.

(5) Any order of suspension or revocation or curtailment of an authorisation shall be published by the Central Government on the portal and be effective from the sixty-first day from the date of such order.

(6) An authorised entity shall make public any order of curtailment, suspension or revocation within forty-eight hours of such order being made available on the portal:

Provided that the suspension of authorisation shall not be a cause or ground for extension of the duration of the authorisation.

(7) An authorised entity shall maintain the quality of telecommunication network and telecommunication service till the effective date specified under sub-rule (5).

(8) An authorised entity shall not be entitled to refund of any fees or charges paid in respect of, or under an authorisation, if such authorisation is suspended, curtailed or revoked:

Provided that no authorisation fee shall be payable for the period for which the authorisation remains suspended in whole.

(9) An authorised entity whose authorisation is revoked, as well as its promoters, shall not be eligible to apply for authorisation for any of the telecommunication service or telecommunication network under the Act for a period, as may be determined by the Central Government, which shall not exceed three years.

19. Reversal of suspension, revocation or curtailment

(1) An authorised entity whose authorisation has been suspended, curtailed or revoked under sub-rule (4) of rule 18, may, within fifteen days from the date of the order for suspension, curtailment or revocation, submit to the Central Government the remedial measures it has undertaken to address the underlying breach of terms and conditions of authorisation, with evidence thereof.

(2) The Central Government may, after due consideration of such submission, and if it is satisfied that the substantial violation has been remedied, within thirty days from the date of the order for suspension, curtailment or revocation, reinstate the authorisation.

20. Set Off

(1) Any sum of money or claim payable by an authorised entity to the Central Government, under the terms of authorisation or assignment, may be deducted or adjusted by the Central Government against any amount or sum of money then due, or which may become due to an authorised entity under the authorisation or assignment at any time thereafter, including any guarantee which can be converted into money.

(2) The Central Government shall, subsequent to any action taken under sub-rule (1), inform an authorised entity of such set-off.

21. Recovery of dues

Without prejudice to other modes of recovery, any amount due to the Central Government by an authorised entity under these rules, if not paid, shall be recovered as an arrear of land revenue.

22. Surrender of authorisation

(1) An authorised entity seeking to surrender an authorisation granted under these rules, shall submit an application, in the form and manner as specified on the portal, at least sixty days prior to the proposed date of surrender, along with an undertaking, and other information as specified by the Central Government on the portal.

(2) The Central Government shall either accept or reject an application under sub-rule (1), within thirty days of receipt of such application, and if accepted, the effective date of surrender shall be the sixty-first day from the date of receipt of such application by the Central Government:

Provided that, any decision rejecting the application, shall be accompanied by reasons to be specified in writing.

(3) If an application under sub-rule (1) is neither accepted nor rejected within thirty days of receipt of the application by the Central Government, such application shall be deemed to be accepted.

(4) The details relating to surrender of an authorisation by an authorised entity shall be made available on the portal by the Central Government and the same shall be made public by an authorised entity, within forty-eight hours of being made available on the portal.

(5) An authorised entity shall maintain the quality of telecommunication network and telecommunication service till the effective date specified under sub-rule (2).

(6) An authorised entity surrendering its authorisation under this rule, shall be responsible for the payment of all dues payable till the effective date of surrender as determined by the Central Government, including in respect of authorisation fees.

23. Suspension or Revocation on grounds of National Security or Public interest

(1) Notwithstanding any other provision of these rules, the Central Government may suspend or revoke the operation of the authorisation, without any notice period, in whole or in part, at any time, if, in the opinion of the Central Government, it is necessary or expedient to do so in public interest, or in the interest of national security, or for the proper conduct of the telecommunication, or in the event of national emergency, or in the event of war or low intensity conflict or other similar situations:

Provided that the Central Government shall not be responsible for any damage or loss caused or arising out of such actions.

(2) An authorised entity shall comply with any measures as specified by the Central Government under such directions for suspension or revocation.

(3) Any suspension of authorisation under this rule shall not be a cause or ground for extension of the duration of the authorisation.

(4) An authorised entity shall not be entitled to any refund of fees or any other charges paid:

Provided however that no authorisation fee shall be payable for the period for which the authorisation remains suspended in whole.

24. Actions pursuant to revocation, surrender or expiry of authorisation

(1) Where the telecommunication network of an authorised entity or a licensee has interconnection or peering with the telecommunication network of any other authorised entity or licensee, whose authorisation or license is subject to revocation or surrender or has expired, or where an authorised entity or licensee has provided telecommunication resources to any other authorised entity or licensee whose authorisation or license is revoked or surrendered or expired, then such authorised entity or licensee shall, upon the effective date of revocation or surrender or expiry of such authorisation or license, disconnect such interconnection or peering, and withdraw such telecommunication resources.

(2) On revocation, surrender, or expiry of the authorisation held by an authorised entity, the spectrum assigned, if any, to such entity, shall stand withdrawn from the effective date of such revocation, surrender or expiry.

(3) On revocation, surrender, or expiry of the authorisation, the relevant authorised entity shall manage its radio equipment in the manner as prescribed under the Telecommunications (Radio Equipment Possession Authorisation) Rules, 2025.

CHAPTER 4: TECHNICAL AND OPERATING CONDITIONS

25. Telecommunication Network

(1) An authorised entity having an authorisation to establish, operate, maintain or expand telecommunication network, may possess radio equipment, conforming to the scope of the authorisation, without requiring any separate authorisation under clause (c) of sub-section (1) of section 3 of the Act:

(2) An authorised entity shall design, engineer, establish, operate, maintain or expand the telecommunication network using any technology pursuant to its authorisation in accordance with the Act, and rules thereunder, and shall ensure that such telecommunication equipment, telecommunication identifier and telecommunication network are in conformity with applicable standards and conformity assessment measures, including those notified under section 19 of the Act and TRAI Act:

Provided that, the Central Government or the relevant authorised agency may carry out performance tests on authorised entity's telecommunication network or systems to ascertain that such telecommunication network or systems meets the specified Quality of Service (QoS) standards.

(3) An authorised entity shall synchronise its telecommunication network's system clock with the national clock as may be specified by the Central Government, and any standards notified by the Central Government in this regard.

(4) Notwithstanding any other provision of these rules, the authorised entity shall design, engineer, establish, operate, maintain or expand the telecommunication network, at any time, in specified geographical area, if, in the opinion of the Central Government, it is necessary or expedient to do so in public interest, or in the interest of national security, or for the proper conduct of the telecommunication, or in the event of national emergency, or in the event of war or low intensity conflict, as may be directed by the Central Government.

(5) An authorised entity shall furnish all technical details of telecommunication network including the details of technology to the Central Government or the relevant authorised agency, in such manner and at such times as may be required pursuant to any direction issued by the Central Government in this regard.

(6) An authorised entity shall supply all tools, test instruments, and other accessories and extend necessary support to the Central Government, or the relevant authorised agency, for conducting tests on the telecommunication network, at any time within the duration of authorisation.

(7) An authorised entity shall make its own arrangements, including in respect of Right of Way (RoW), for establishing telecommunication networks and shall be solely responsible for the establishment, maintenance, operation, expansion and commissioning of necessary infrastructure, telecommunication equipment and systems, and all aspects of its telecommunication network:

Provided that, non-availability of RoW or delays in obtaining RoW permission by an authorised entity, shall not be a cause or ground for non-compliance with other obligations under these rules.

(8) Where an authorised entity requires RoW for establishing its telecommunication network, it shall not either directly or through its facility provider, enter into any agreement for exclusive grant of RoW with the person having the right to grant such RoW.

(9) Any dispute, with regard to the provision of telecommunication network infrastructure shall be a matter only between the aggrieved party and the authorised entity and the Central Government shall not bear any liability or responsibility in the matter.

(10) An authorised entity shall indemnify the Central Government against all claims, cost, charges or damages arising from any claims from the aggrieved party under sub-rule (8) for any reason whatsoever.

(11) An authorised entity shall, for the purposes of disaster management, ensuring public safety, or providing emergency response services, follow the notifications, orders, directions, or guidelines, as may be specified by the Central Government.

(12) The Central Government may issue such notifications, orders, directions, or guidelines, to authorised entities as are necessary to establish disaster resilient telecommunication network and facilitate study on the resilience of the telecommunication network, including information related to the resilience of such telecommunication network.

(13) An authorised entity shall adhere to the applicable notifications, orders, directions, or guidelines, issued by the Central Government in respect of the following:

(a) adoption of Renewable Energy Technologies (RETs) for powering the telecommunication network;

(b) deployment of energy efficient telecommunication equipment;

(c) reduction of carbon footprint;

(d) preferential market access (PMA) for procurement of indigenously manufactured telecommunication equipment;

(e) IPv6 implementation;

(f) strengthening of the telecommunication network security; and

(g) disposal of the radio equipment.

26. Location of Telecommunication Network Elements

(1) An authorised entity shall provide location details of all telecommunication network elements to the Central Government, in the form and manner as may be specified on the portal, along with their mapping on Geographic Information System (GIS).

(2) Any installation of telecommunication equipment or establishment of telecommunication network, in security sensitive areas as may be specified by the Central Government, shall be undertaken only with the prior written approval of the Central Government, obtained by the authorised entity pursuant to an application made in the form and manner as may be specified on the portal.

(3) An authorised entity shall ensure that all systems of its telecommunication network and the data and information associated with the telecommunication network shall be stored within India.

(4) The precise delineation of geographical borders taken by an authorised entity for the purpose of defining area of authorisation along international borders, if any, shall comply with the borders in maps provided by the Survey of India, and any modification thereof shall be subject to specific prior written approval of the Central Government.

27. Right to inspect and undertake assessments

(1) The Central Government, may, for the purposes of monitoring compliance with these rules, after issuing a reasonable notice to an authorised entity in this regard:

(a) access and inspect the sites where telecommunication equipment and telecommunication network are established;

(b) audit processes or systems established by the authorised entity for compliance of these rules:

Provided that, no notice shall be required to be provided to an authorised entity if the Central Government considers that immediate action is necessary or expedient in public interest;

Provided further that the Central Government, may appoint an authorised agency to audit processes or systems established by the authorised entity for compliance of these rules.

(2) An authorised entity shall provide the necessary facilities and support to facilitate the audit and inspection as required under sub-rule (1).

CHAPTER 5: SECURITY CONDITIONS

28. Management of an authorised entity

(1) An authorised entity shall ensure the following:

(a) Majority of directors on the board of such authorised entity shall be Indian citizens;

(b) The chief officer in charge of telecommunication network, officers in charge of core telecommunication network, and system administrators shall be resident Indian citizens;

(c) The Chief Telecommunication Security Officer shall, consistent with the Telecommunications (Telecom Cyber Security) Rules, 2024, be a resident Indian citizen.

(2) An authorised entity shall ensure security vetting by the Ministry of Home Affairs prior to the appointment of any foreign nationals to the positions of the Chairman, Managing Director, Chief Executive Officer (CEO) or

Chief Financial Officer (CFO), and such security vetting shall be continued on an annual basis for the duration of such appointment.

(3) An authorised entity shall ensure security vetting by the Ministry of Home Affairs of the foreign nationals prior to the deployment of such persons for the establishment operation, maintenance or expansion of its telecommunication network.

(4) An authorised entity shall apply in the form and manner as specified on the portal, for the security vetting provided in sub-rule (2) and sub-rule (3), and the decision of the Ministry of Home Affairs shall be binding on such authorised entity.

29. Maintenance of records

(1) An authorised entity shall:

(a) ensure that all documentation, including software details, are obtained from manufacturer, vendor, or supplier of telecommunication equipment and systems in english language and preserve such documentation;

(b) maintain a record of all software updates and changes, and details of major software updates and changes, as determined by the Central Government, shall be provided to the Central Government within fifteen days of completion of such updates and changes, in the manner as may be specified on the portal for this purpose:

Provided that clause (b) is without prejudice to the obligations of an authorised entity in respect of critical telecommunication infrastructure under the Telecommunications (Critical Telecommunication Infrastructure) Rules, 2024.

(c) obtain the details of the supply chain of the telecommunication equipment and systems, from the manufacturer, vendor, or supplier of the telecommunication equipment and systems at the time of procurement and keep a record of the same;

(d) keep a record of operation and maintenance procedure in the form of a manual;

(e) maintain and store records of all operations and command logs, which shall include the details of command given along with the details of executing authority, date, time and place, in a manner so as to enable access to the Central Government or authorised agencies: (i) on real-time basis, for a minimum period of twelve months; and (ii) on a non-real time basis in digital mode for the next twenty four months.

30. Securing information transacted through telecommunication network

(1) An authorised entity shall take adequate and timely measures to ensure that the information and messages communicated through the telecommunication network is secure and protected.

(2) An authorised entity shall ensure privacy of messages communicated through its telecommunication network and that unauthorised interception of messages does not take place.

(3) An authorised entity shall, when so required by the Central Government or the relevant authorised agency, provide information and support as necessary in respect of any investigation for detection of misuse of telecommunication resources or establishment of any illegal telecommunication network.

31. Prevention of use of telecommunication network for unauthorised or unlawful activities

An authorised entity shall ensure that its telecommunication network is used only for bona fide purposes and is not used for undertaking any activities, or commissioning any action, that is an offence under the Act, the Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023 or any other law for the time being in force, including laws prohibiting crimes against the State.

32. Trusted Sources and Trusted Products

(1) For the purpose of this rule, the designated authority shall be the National Cyber Security Coordinator of the Central Government, who shall determine the categories of telecommunication equipment for which the security requirements related to trusted sources and trusted products are applicable, and specify the same on its website for this purpose.

(2) The designated authority shall specify the trusted sources along with the associated trusted products for the categories of telecommunication equipment as specified under sub-rule (1).

(3) The designated authority may specify the procedure for inclusion of telecommunication equipment in the list of trusted sources and trusted products.

(4) The designated authority may also specify a list of persons from whom no procurement of telecommunication equipment or associated products can be undertaken.

(5) An authorised entity shall procure trusted products from trusted sources, as determined by the designated authority under sub-rule (2), and use or connect only such products in its telecommunication network.

(6) An authorised entity shall, prior to rolling out its telecommunication network, register itself on the website specified by the designated authority for this purpose, and provide relevant details relating to the telecommunication network or telecommunication equipment, as may be required by such authority.

(7) An authorised entity shall, prior to deployment in the telecommunication network, comply with conditions for procurement of telecommunication equipment and associated products, or categories thereof as specified by the designated authority.

(8) An authorised entity shall, prior to the procurement of telecommunication equipment and related products, or categories thereof, for its telecommunication network or any upgradation or expansion thereof, adhere to the following process:

(a) If the designated authority has already determined telecommunication equipment and related products as trusted products and their corresponding trusted sources under sub-rule (2), the authorised entity shall ensure compliance with the same and submit to the designated authority and the Central Government, in the form and manner as specified for this purpose: (i) the list of telecommunication equipment and the sources from which it is planning to procure; and (ii) periodic reports of procurement of telecommunication equipment, related products and sources thereof, and the locations of deployment of the same;

(b) In the event clause (a) is not applicable, the authorised entity shall submit to the designated authority, the details of the telecommunication equipment and related products and their sources from which it is intending to procure the same, as per the procedure specified by the designated authority for this purpose under sub-rule (3);

(c) In the event the designated authority approves the telecommunication equipment and related products and their sources as submitted under clause (b) above, the authorised entity shall proceed to procure and install the same; and

(d) An authorised entity shall comply with notifications, orders, directions, or guidelines, including the guidance for enhanced supervision and effective control of telecommunication networks, as may be issued by the designated authority or the Central Government.

(9) An authorised entity shall provide any information relating to the telecommunication equipment deployed or being deployed in its telecommunication network, as and when sought by the Central Government or the designated authority.

(10) An authorised entity shall submit to the Central Government or the relevant authorised agency, compliance reports relating to compliance with this rule on a half-yearly basis, as on 1st January and 1st July of each year, through the portal, in the form and manner as may be specified for this purpose.

(11) These rules shall be without prejudice to any other measure taken by the Central Government, that it may consider necessary or expedient for the purpose of national security under section 21 of the Act, which shall be binding on authorised entities.

(12) In respect of a licensee, this rule shall be without prejudice to and does not override nor negate the obligation under its license relating to procurement of trusted products from trusted sources, which shall continue to apply till such time as the license migrates to an authorisation under the rules under sub-section (6) of section 3 of the Act:

Provided that, such migration to being an authorised entity shall not affect ongoing Annual Maintenance Contracts (AMC) or their updates to telecommunication equipment as may have already been inducted into its telecommunication network prior to 15th June 2021;

Provided further that, the licensee shall, on migration of its license to being an authorised entity, seek permission from the designated authority for upgradation or expansion of telecommunication network deployed prior to 15th June 2021, utilising the telecommunication equipment not specified as a trusted product.

33. Breach of security provisions

(1) Any civil penalty imposed under these rules for breach of security provisions on the authorised entity shall be without prejudice to any other liability and criminal proceedings under applicable law.

(2) The Central Government may blacklist such vendor or supplier who supplied the telecommunication equipment, including hardware or software, that caused the security breach, from doing business in India.

(3) An authorised entity shall include a provision to give effect to sub-rule (2), in the agreement signed with vendors or suppliers.

34. Prohibition of certain activities

An authorised entity shall ensure that its telecommunication network or installation thereof, shall not become a safety or health hazard and is not in contravention of any law and policy.

35. Providing remote access to the telecommunication network

(1) An authorised entity seeking to provide remote access to its telecommunication network from a location outside India, shall seek the permission of the Central Government, in the form and manner specified for this purpose, providing details with regard to:

(a) purpose and duration of such remote access and details of the person who shall access its telecommunication network; and

(b) details of the specific location of the telecommunication network within India to which remote access is sought from the specific location outside India.

(2) The Central Government may, pursuant to an application under sub-rule (1), grant written approval subject to the following conditions:

(a) the remote access shall be provided only to approved locations within India from approved locations outside India, and shall be limited to the purpose as specified under such approval;

(b) the remote access to the telecommunication network shall not enable access to lawful interception system and lawful interception and monitoring facilities, call data records, content of messages, and any other such sensitive data, as may be specified by the Central Government for this purpose.

(c) the authorised entity shall provide suitable technical systems as specified by the Central Government, at the approved location in India, which is connected with the approved location outside India, to enable the Central Government or the relevant authorised agency, to access and monitor the mirror image of the information available at the approved location outside India, in accordance with the directions issued by the Central Government.

(d) the authorised entity shall maintain the complete audit trail of the remote access activities pertaining to the telecommunication network for a period of six months at the approved location in India, and provide such information to the Central Government or the relevant authorised agency, in accordance with the notifications, orders, directions, or guidelines, issued by the Central Government.

(3) This rule shall be without prejudice to the obligations of an authorised entity with regard to critical telecommunication infrastructure as specified under the Telecommunications (Critical Telecommunication Infrastructure) Rules, 2024.

36. General Security Conditions

(1) An authorised entity shall be responsible for security of its telecommunications network and comply with notifications, orders, directions, or guidelines, as may be issued by the Central Government in this regard.

(2) An authorised entity shall, provide facilities as may be required by the Central Government to respond to any situations of espionage, subversive acts, sabotage or any other unlawful activity, and shall comply with notifications, orders, directions, or guidelines, as may be issued by the Central Government in this regard.

(3) The authorised entity shall take all necessary steps to safeguard the privacy and confidentiality of any information about the eligible authorised entities to whom it provides the telecommunication network infrastructure.

(4) An authorised entity shall create facilities for the monitoring of all intrusions, attacks and frauds on its technical facilities within twelve months from the effective date of the authorisation and provide reports on the same in the form and manner as may be specified on the portal.

CHAPTER 6: SPECIFIC CONDITIONS FOR TYPES OF TELECOMMUNICATION NETWORK

37. Applicability of Chapter 6

(1) In addition to the rules mentioned in Chapter 1 to Chapter 5, the rules mentioned in different Parts of this Chapter shall also apply to an authorised entity establishing telecommunication network as per the scope specified in the respective Part of this Chapter.

(2) In the event of any conflict between the provisions of Chapter 1 to Chapter 5 and Chapter 6, the provisions of Chapter 6 shall prevail.

Part A: Infrastructure Provider (IP) authorisation

38. Scope of Infrastructure Provider (IP) authorisation

(1) The provisions of this Part A shall apply to authorised entities holding Infrastructure Provider (IP) authorisations.

(2) An authorised entity having Infrastructure Provider (IP) authorisation may establish, operate, maintain or expand dark fibres, right of way (RoW), duct space, towers, poles and in-building solution (IBS) infrastructure.

(3) An authorised entity holding an Infrastructure Provider (IP) authorisation, shall only establish the telecommunication network as authorised under the scope of its authorisation, and it shall not establish any other category of telecommunication network which may require a separate authorisation from the Central Government.

39. Fee and charges

There shall be no authorisation fee payable by the authorised entity in respect of Infrastructure Provider (IP) authorisation granted under this Part A.

40. Technical and operating conditions

(1) An authorised entity may provide dark fibres, right of way (RoW), duct space, towers, poles and in-building solution (IBS) infrastructure to the entities authorised under sub-section (1) of Section 3 of the Act, in accordance with their mutual agreement, on a fair, and non-discriminatory basis.

(2) An authorised entity may share its passive infrastructure including building, tower, poles, electrical equipment including battery and power plant, dark fiber, duct space, Right of Way with entities authorised under sub-section (1) of section 3 of the Act, in accordance with their mutual agreement, on a fair, and non-discriminatory basis.

(3) An authorised entity may share its IBS infrastructure with entities authorised under sub-section (1) of section 3 of the Act, in accordance with the scope of their authorisation and their mutual agreement, on a fair, and non-discriminatory basis.

(4) The Central Government may allow authorised entity having IP authorisation to share its telecommunication infrastructure with such entities as may be notified by it from time to time.

(5) Any agreement entered into for the purposes specified under sub-rule (1), sub-rule (2) or sub-rule (3), shall adhere to terms and conditions as may be specified by the Central Government or TRAI, as the case may be.

(6) An authorised entity shall not enter into contractual agreements with any other authorised entity conferring Indefeasible Right of Use (IRU) of its telecommunication infrastructure to such authorised entity.

Part B: Digital Connectivity Infrastructure Provider (DCIP) authorisation

41. Scope of Digital Connectivity Infrastructure Provider (DCIP) authorisation

(1) The provisions of this Part B shall apply to authorised entities holding Digital Connectivity Infrastructure Provider (DCIP) authorisation.

(2) For the purpose of Part B of Chapter 6:

(a) "transmission link" means the transmission network required for interconnecting the systems of wireline access network, radio access network (RAN), Wireless Local Area Network (WLAN), or In-Building Solutions (IBS) with the core telecommunication network of the authorised entity to whom it is providing the wireline access network, radio access network (RAN), Wireless Local Area Network (WLAN), or In-Building Solutions (IBS); and

(b) "Wireless Local Area Network" means a wireless telecommunication network whereby a user can connect to a local area network (LAN) through a wireless (radio) connection, as an alternative to a wired local area network.

(3) The scope of DCIP authorisation comprises of the following:

(a) establish, operate, maintain, or expand telecommunication equipment and systems required for establishing wireline access network, radio access network (RAN), Wireless Local Area Network (WLAN), transmission link, or In-Building Solutions (IBS); and

(b) establish, operate, maintain, or expand dark fibers, right of way (RoW), duct space, towers, poles or in-building solution (IBS) infrastructure.

(4) An authorised entity holding a DCIP authorisation, shall only establish the telecommunication network as authorised under the scope of its authorisation, and it shall not establish any other category of telecommunication network which may require a separate authorisation from the Central Government.

42. Fees and charges

There shall be no authorisation fee payable by the authorised entity in respect of the Digital Connectivity Infrastructure Provider (DCIP) authorisation granted under this Part B.

43. Technical and operating conditions

(1) An authorised entity shall not establish, operate, maintain, or expand core telecommunication network.

(2) An authorised entity shall not provide end to end bandwidth or leased circuit to any authorised entity, or any user, or for its captive use.

(3) An authorised entity shall not enter into contractual agreements with any other authorised entity conferring Indefeasible Right of Use (IRU) of its telecommunication network or telecommunication infrastructure to such authorised entity.

(4) An authorised entity holding DCIP authorisation may provide wireline access network, radio access network (RAN), transmission links, Wireless Local Area Network, In-Building Solution (IBS), dark fibers, right of way (RoW), duct space, towers and poles to the entities authorised under sub-section (1) of section 3 of the Act (hereinafter "partnering entities" for the purpose of this rule) in accordance with their mutual agreement, on a fair, and non-discriminatory basis.

(5) The authorised entity holding DCIP authorisation shall not be assigned any spectrum:

Provided that such authorised entity may utilize the spectrum of the partnering entity for the limited purpose of configuration, while the right to use of spectrum shall remain with the partnering entity.

(6) The usage of access spectrum of a partnering entity, on a radio access network established by the authorised entity holding DCIP authorisation, by another partnering entity shall be permitted, subject to the condition that such partnering entities have entered into an access spectrum sharing arrangement.

(7) An authorised entity may share the passive infrastructure, including building, tower, poles, electrical equipment, including battery and power plant, dark fiber, duct space, Right of Way, owned, established, and operated by it under such authorisation with entities having authorisation under sub-section (1) of section 3 of the Act, in accordance with their mutual agreement, on a fair, and non-discriminatory basis.

(8) An authorised entity may share all types of active infrastructure elements owned, established, and operated by it under such authorisation with entities having authorisation under sub-section (1) of section 3 of the Act, in accordance with the scope of their authorisation and their mutual agreement, on a fair, and non-discriminatory basis.

(9) Any agreement entered into for the purposes specified under sub-rule (6), sub-rule (7) or sub-rule (8), shall adhere to terms and conditions as may be specified by the Central Government or TRAI, as the case may be.

(10) An authorised entity holding DCIP authorisation may extend its telecommunication network up to the point of presence (POP) of an authorised entity holding authorisation under sub-section (1) of section 3 of the Act, but shall not provide end-to-end bandwidth or leased circuits to such entity.

(11) The Central Government may allow authorised entity having DCIP authorisation to share its telecommunication infrastructure with such entities as may be notified by it from time to time.

Part C: Internet Exchange Point (IXP) provider authorisation

44. Scope of Internet Exchange Point (IXP) provider authorisation

(1) The provisions of this Part C shall apply to authorised entities holding Internet Exchange Point (IXP) provider authorisation.

(2) The scope of IXP provider authorisation comprises of the following:

(a) establish, operate, maintain, or expand Internet Exchange Points (IXPs) in India;

(b) peering and exchange of internet traffic, originated and destined within India, amongst the entities authorised to provide internet service under sub-section (1) of section 3 of the Act or licensees providing internet service under the Indian Telegraph Act 1885, and Content Delivery Networks (CDNs) located in India; and

(c) interconnect its IXP with the IXPs established, operated or maintained by other authorised entities or licensees under the Indian Telegraph Act, 1885.

(3) An authorised entity holding an IXP provider authorisation, shall only establish the telecommunication network as authorised under the scope of its authorisation, and it shall not establish any other category of telecommunication network which may require a separate authorisation from the Central Government.

45. Fee and Charges

There shall be no authorisation fee payable by the authorised entity in respect of the IXP provider authorisation under this Part C.

46. Technical and operating conditions

(1) An authorised entity holding IXP provider authorisation may interconnect, peer and exchange traffic, originated and destined within India, with the entities authorised to provide internet service or CDNs in accordance with the mutual agreement with such entities, on a fair and non-discriminatory basis:

Provided that any agreement entered into for the purpose specified in sub-rule (1) shall adhere to the terms and conditions as may be specified by the Central Government or TRAI, as the case may be.

(2) An authorised entity shall use Internet Protocol (IP) and shall meet the interface requirements as specified by the Central Government to connect with other authorised entity's telecommunication network.

Part D: Satellite Earth Station Gateway (SESG) provider authorisation

47. Scope of Satellite Earth Station Gateway (SESG) provider authorisation

(1) The provisions of this Part D shall apply to authorised entities holding Satellite Earth Station Gateway (SESG) provider authorisation.

(2) The scope of SESG provider authorisation comprises of establishing, operating, maintaining, or expanding SESG for such satellite systems which are authorised by the Department of Space or IN-SPACe, or any other office so authorised by the Central Government for this purpose.

(3) An authorised entity holding SESG provider authorisation may establish, operate, maintain, or expand the baseband systems, along with SESG, for such satellite systems as specified in sub-rule (2).

(4) An authorised entity holding a Satellite Earth Station Gateway (SESG) provider authorisation, shall only establish the telecommunication network as authorised under the scope of its authorisation, and it shall not establish any other category of telecommunication network which may require a separate authorisation from the Central Government.

48. Fee and charges

There shall be no authorisation fee payable by the authorised entity in respect of the SESG provider authorisation under this Part D.

49. Technical and Operating Conditions

(1) The authorised entity shall, prior to establishing any SESG, submit to the Central Government the details, including technical details of such SESG, in the form and manner as may be specified on the portal.

(2) The Central Government or a relevant authorised agency may, upon examination of the details provided under sub-rule (1), direct the authorised entity to take any specific actions, if any with regard to the establishment of such SESG.

(3) The authorised entity may provide its SESG infrastructure to entities authorised under sub-section (1) of section 3 of the Act (hereinafter "partnering entities" for the purpose of this rule), to enable the use of satellite systems for the purposes of the authorisation of such partnering entity, in accordance with the mutual agreement with such entities on a fair and non-discriminatory basis.

(4) The authorised entity holding the SESG provider authorisation may utilize the spectrum of the partnering entity for the limited purpose of configuration, while the right to use of spectrum shall remain with the partnering entity.

(5) The authorised entity holding the SESG provider authorisation establishing, operating, maintaining, or expanding the baseband systems under sub-rule (3) of rule 47 shall extend control, visibility, resource allocation and management of the telecommunication services, being provisioned using satellite system to users, to the partnering entity on mutually agreed terms and conditions.

(6) The authorised entity holding SESG provider authorisation may share its passive infrastructure including building, electrical equipment, including battery and power plant, dark fiber, duct space, Right of Way, owned, established and operated by it under such authorisation, with the entities having authorisation under sub-section (1) of section 3 of the Act, in accordance with their mutual agreement, on a fair, and non-discriminatory basis.

(7) An agreement entered into by the authorised entity under sub-rule (3) and sub-rule (6) shall adhere to terms and conditions as may be specified by the Central Government or TRAI.

Part E: Cloud-hosted Telecommunication Network (CTN) provider authorisation

50. Scope of Cloud-hosted Telecommunication Network (CTN) provider authorisation

(1) The provisions of this Part E shall apply to authorised entities holding Cloud-hosted Telecommunication Network (CTN) provider authorisation.

(2) For the purpose of Part E of Chapter 6, the following terms shall have the meaning as set out below:

(a) "cloud-hosted telecommunication network" or "CTN" means telecommunication network comprising of virtual network components, topologies, and configurations that run on the CTN provider's physical networking infrastructure;

(b) "CTN provider" means a person holding an authorisation to provide CTN;

(c) 'CTNaaS' shall cover the following:

(i) provision of physical infrastructure to any other entity authorised under sub-section (1) of section 3 of the Act for housing its telecommunication equipment;

(ii) provision of dedicated telecommunication equipment to any other entity authorised under sub-section (1) of section 3 of the Act for use in its telecommunication network;

(iii) provision of virtual machine(s) to any other entity authorised under sub-section (1) of section 3 of the Act for use in its telecommunication network; or

(iv) provision of telecommunication network functionality to any entity authorised under sub-section (1) of section 3 of the Act for providing telecommunication services.

(3) The scope of CTN provider authorisation comprises of following:

(a) establishing, operating, maintaining, or expanding CTN,

(b) provide CTN as a Service (CTNaaS) to the entities authorised to use such telecommunication network for provisioning of telecommunication services or establishing telecommunication network.

(4) A CTN provider shall only establish the telecommunication network as authorised under the scope of its authorisation, and it shall not establish any other category of telecommunication network or provide any category of telecommunication service which may require a separate authorisation from the Central Government.

51. Fee and charges

There shall be no authorisation fee payable by the authorised entity in respect of CTN provider authorisation granted under this Part E.

52. Technical and Operating Conditions

The authorised entity may provide CTNaaS to the entities authorised under sub-section (1) of section 3 of the Act to use CTNaaS for provisioning of telecommunication services or to establish telecommunication network as per the mutual agreement with such entities, on a fair, and non-discriminatory basis.

Part F: Mobile Number Portability (MNP) provider authorisation

53. Scope of Mobile Number Portability (MNP) provider authorisation

(1) The provisions of this Part F shall apply to authorised entities holding Mobile Number Portability (MNP) provider authorisation.

(2) The scope of MNP provider authorisation comprises of the authorisation to establish, operate, maintain, or expand a telecommunication network for providing MNP as a service in its zonal area to the entities authorised to provide access service under clause (a) of sub-section (1) of section 3 of the Act.

(3) An authorised entity holding a Mobile Number Portability (MNP) provider authorisation, shall only establish the telecommunication network as authorised under the scope of its authorisation, and it shall not establish any other category of telecommunication network which may require a separate authorisation from the Central Government.

54. Fee and charges

(1) In this part, the terms Gross Revenue, Applicable Gross Revenue (ApGR), and Adjusted Gross Revenue (AGR) shall have the respective meanings specified below:

(a) "Gross Revenue" of an authorised entity shall include revenues accrued to an authorised entity by way of all operations and activities and all income from any source including on account of interest, dividend, rent, profit on sale of fixed assets and miscellaneous income, without any set-off for related items of expenses.

(b) "Applicable Gross Revenue" or "ApGR" for the purposes of calculating Adjusted Gross Revenue (AGR), shall be equal to Gross Revenue of an authorised entity as reduced by the items listed below:

(i) revenue from operations other than telecom activities or operations;

(ii) revenue from activities under an authorisation, permission or registration issued by Ministry of Information and Broadcasting;

(iii) receipts from the Digital Bharat Nidhi; and

(iv) revenue falling under the following items:

(a) income from dividend;

(b) income from interest;

(c) capital gains on account of profit on sale of fixed assets and securities;

(d) gains from foreign exchange rates fluctuations;

(e) income from property rent;

(f) insurance claims;

(g) bad debts recovered; and

(h) excess provisions written back:

Provided that the Central Government shall from time to time specify the description and conditions applicable to these revenue sources and the manner of their computation.

(c) "Adjusted Gross Revenue" or "AGR" shall be equivalent to ApGR.

(2) An authorised entity shall pay one percent of the AGR as an annual authorisation fee from the effective date of the authorisation:

Provided that from the second year of the effective date of the authorisation, and for each subsequent year, the authorisation fee shall be the higher of: (a) the amount specified under sub-rule (2), or (b) thirty percent of the applicable entry fee as specified in Schedule A;

Provided further that in case of renewal of an authorisation, the authorisation fee shall be subject to a minimum of thirty percent of the entry fee of the authorisation from the effective date of renewal;

Provided also that in case of migration of an existing license to a relevant authorisation, the authorisation fee shall be subject to a minimum of thirty percent of the entry fee of the authorisation from the effective date of migration.

(3) The quantum of authorisation fee as specified may be varied through amendment of these rules at any time within the duration of the authorisation.

55. Schedule of Payment

(1) The authorisation fee determined under these rules shall be payable in four quarterly instalments during each financial year commencing first of April, and fee for any duration of authorisation that is less than a quarter shall be calculated on a pro-rata basis based on actual number of days in the relevant quarter.

(2) An authorised entity shall make payment of the quarterly instalments of the authorisation fee in the following manner:

(a) the quarterly instalment in respect of each of the first three quarters of a financial year shall be paid within fifteen days of completion of the relevant quarter; and

(b) the quarterly instalment for the last quarter shall be paid in advance by the twenty-fifth of March, calculated on the basis of expected revenue for that quarter, subject to a minimum amount equal to the authorisation fee paid for the previous quarter:

Provided that an authorised entity shall adjust and pay the difference between the advance payment made for the last quarter and the actual amount duly payable for such quarter by the fifteenth of April of the next financial year.

(3) Payments pursuant to sub-rule (2) shall be calculated on the basis of revenue on accrual basis for the relevant quarter, and shall be accompanied, in the form and manner as may be specified on the portal, by: (a) a self-certificate, signed and electronically verified by a representative of the authorised entity, who is authorised by a board resolution and general power of attorney, and (b) a statement of revenue for each authorisation signed and electronically verified by a representative of an authorised entity.

(4) An authorised entity shall, on or before the thirtieth of June of each year:

(a) submit statement of revenue for all quarters of previous financial year, duly audited and signed by its statutory auditor appointed in accordance with Companies Act, 2013, in such form and manner as may be specified on the portal for this purpose; and

(b) make the final adjustment of the authorisation fee, including applicable interest as per sub-rule (5), for the previous financial year, based on sub-rule (2) of rule 54.

(5) In the event of any delay in payment of authorisation fee or any other dues payable by an authorised entity beyond the period specified for such payment, the authorised entity shall also be liable to pay interest calculated at the rate of one-year marginal cost of funds based lending rate (MCLR) of State Bank of India as existing at the beginning of the relevant financial year, namely first of April, plus two per cent compounded annually:

Provided that any part of a month shall be construed as a full month for the purpose of calculation of interest.

(6) An authorised entity shall submit a reconciliation statement between the figures appearing in the submitted quarterly statements under sub-rule (3) with those appearing in annual accounts, duly audited and signed by its statutory auditor appointed in accordance with Companies Act, 2013, along with a copy of the published annual accounts and audit report within seven days of the date of signing of the audit report or within the timeline provided under Companies Act, 2013 for filing of annual financial statements, whichever is earlier:

Provided that the annual financial statements, the statement of revenue, and the reconciliation statement as mentioned above shall be prepared following the norms as specified for this purpose by the Central Government.

(7) All sums of money becoming due and payable under these rules shall be paid by an authorised entity, in the manner as may be specified, on the portal.

56. Guarantee requirements for authorisation

(1) An authorised entity shall, for the purpose specified in sub-rule (2), submit a guarantee in the form and manner, as may be specified on the portal, in any of the following form:

(a) a bank guarantee from any scheduled bank or public financial institution,

(b) an insurance surety bond, issued by an insurance company, in accordance with the applicable rules and guidelines issued by the Insurance Regulatory and Development Authority of India, or

(c) non-interest-bearing security deposit with the Central Government.

(2) The purpose of such guarantee as specified in sub-rule (1) is to provide security for due compliance of all the terms and conditions of the authorisation including but not limited to payment of authorisation fee, penalty imposed for contravention or breach of any of the terms and conditions of the authorisation or non-compliance of notifications, orders, directions, or guidelines, issued by the Central Government from time to time, and any other dues payable under the authorisation.

(3) The guarantee submitted under sub-rule (1) shall be subject to periodic annual review by the Central Government and an authorised entity shall maintain a valid guarantee for the duration of authorisation, or until all dues under the authorisation are cleared, whichever is later:

Provided that the initial guarantee submitted pursuant to the letter of intent shall be for the amount as specified in respect of such authorisation in Schedule A, and for the subsequent years of authorisation, for an amount determined by the Central Government, based on the higher of: (a) rupees ten lakhs, or (b) twenty per cent of combined estimated sum, calculated in accordance with the procedure specified for this purpose on the portal, of the following:

(a) authorisation fee for two quarters; and

(b) any other dues that are not otherwise secured.

(4) An authorised entity shall extend the validity period of such guarantee at least one month prior to the date of its expiry, without any demand or notice from the Central Government.

(5) Any failure to maintain a valid guarantee at any time during the duration of the authorisation, or until all dues under the authorisation are cleared, whichever is later, shall entitle the Central Government to encash the bank guarantee, claim the insurance surety bond, or appropriate the security deposit, as the case may be, without any notice to the authorised entity:

Provided that no interest or compensation shall be payable by the Central Government on encashment, claim or appropriation of such guarantee.

(6) When the guarantee has been encashed, claimed or appropriated, fully or partially, an authorised entity on such occasions shall restore such encashed, claimed or appropriated guarantee, as the case may be, to the full amount within fifteen days of such encashment, claim or appropriation:

Provided that, the Central Government may, upon receipt of a written request made by the authorised entity before the expiry of the period specified in sub-rule (6), allow a one-time extension not exceeding ten days, for such restoration, subject to reasons being recorded in writing.

(7) Without prejudice to its rights or any other remedy, including those under the Telecommunications (Adjudication and Appeal) Rules, 2025, the Central Government may encash, claim or appropriate the guarantee in the following cases:

(a) non-payment of authorisation fee, or any other dues payable under the authorisation;

(b) non-payment of dues arising out of penalties imposed by the Central Government; or

(c) breach of any other term or condition of authorisation.

(8) On revocation, surrender, or expiry of the authorisation, the relevant guarantee shall be released to an authorised entity only after ensuring clearance of all dues, which an authorised entity is liable to pay to the Central Government:

Provided that in case of failure to pay the amounts due to the Central Government, the outstanding amounts shall be realized through encashment, claim or appropriation of the guarantee without prejudice to any other

actions for recovery of the amounts due to the Central Government, without any further communication to such authorised entity.

57. Assessment of authorisation fee

(1) The Central Government may carry out the assessment of authorisation fees, and any other charges due to the Central Government under these rules, in accordance with the procedure specified for this purpose.

Explanation: For the purposes of this rule, the term "assessment" shall include reassessment and recomputation.

(2) An authorised entity shall submit relevant documents in support of the amount of authorisation fee payable in the form and manner, as specified on the portal.

(3) Where an authorised entity holds an authorisation for any other telecommunication network, or for the same telecommunication network in a different area of authorisation, it shall maintain and furnish statement of computation of authorisation fee for each authorisation and comply with notifications, orders, directions or guidelines, issued by the Central Government, as well as orders, directions, guidelines, or regulations, as may be issued by the TRAI, for this purpose.

(4) An authorised entity shall also prepare and furnish the annual accounts in accordance with the accounting norms and principles notified, and directions as may be specified by the Central Government or TRAI for this purpose.

(5) An authorised entity, in respect of each authorisation, shall:

(a) compile and maintain accounting records, that are sufficient to show and explain its transactions in respect of each completed quarter during the duration of the authorisation or of such lesser periods as the Central Government may specify, fairly presenting the costs, including capital costs, revenue, and financial position of an authorised entity's business under the authorisation including a reasonable evaluation of the assets employed in and the liabilities attributable to an authorised entity's business for the quantification of revenue or any other purpose;

(b) separately pay charges for telecommunication network obtained by an authorised entity from other authorised entities, which shall be governed by mutual agreements with such entities and regulations of TRAI, where applicable;

(c) ensure that bilateral settlement of accounts with other authorised entities shall be conducted through normal banking channels in a transparent manner; and

(d) furnish to the Central Government details of the mechanism for the settlement of accounts with other authorised entities, and charges for usage of network and facilities, as well as details of the actual settlements.

(6) An authorised entity shall maintain and preserve billing and other accounting records of a financial year, in electronic as well as hard copy, for a period of at least six years from the date of publishing of duly audited and approved accounts of an authorised entity:

Provided that, if the authorisation fee or any other charges for any period are under dispute, the said records shall be retained until the dispute is resolved, even if the period extends beyond the six-year period specified above.

(7) The Central Government or the TRAI may, at any time, direct an authorised entity to supply information or provide access to the books of annual accounts that such authorised entity maintains in respect of the telecommunication network under the terms of its authorisation, and such authorised entity shall forthwith comply with such direction.

(8) The records of an authorised entity shall be subject to such scrutiny as may be determined by the Central Government, with a view to facilitating independent verification of the amounts due to the Central Government, including authorisation fees, and any other charges.

(9) The Central Government may, on forming an opinion that the statements of revenue or annual accounts submitted by an authorised entity are inaccurate or misleading, order audit of the accounts of an authorised entity by appointing one or more auditors, who shall have the same powers which the statutory auditors of the company have under section 143 of the Companies Act, 2013, and the remuneration of such auditors, as determined by the Central Government, shall be payable by an authorised entity.

(10) Without prejudice to sub-rule (9), the Central Government may, at any time, appoint an auditor having the same powers which the statutory auditors of the company have under section 143 of the Companies Act, 2013, to undertake special audit of an authorised entity's accounts and records, and the remuneration of such auditors, as determined by the Central Government, shall be payable by such authorised entity.

(11) If an authorised entity fails to submit the annual accounts, audit report and other required documents under sub-rule (4) and (6) of rule 56 within nine months from the end of relevant financial year, the Central Government, after reviewing all available documents and information and relevant materials, may carry out the assessment of authorisation fee, on best judgement basis:

Provided that, before proceeding with such an assessment, the Central Government shall issue a notice to an authorised entity providing it an opportunity of being heard.

(12) No assessment under this rule shall be carried out for a relevant financial year after a period of four years from the end of such financial year except as provided under sub-rule (13).

(13) The Central Government may carry out an assessment after the lapse of four years from the end of the relevant financial year, and up to six years from the end of such financial year, if it is of the opinion that the amount that has escaped assessment is likely to be equivalent to an amount of fifty lakh rupees or more for such financial year.

(14) For the purposes of computing the period of limitation as specified under sub-rule (12) and sub-rule (13), any stay on such assessment pursuant to an order or injunction of any court, shall be excluded.

(15) Notwithstanding anything contained in sub-rule (12) and sub-rule (13), assessment of authorisation fee may be carried out at any time pursuant to any finding or direction contained in an order passed by a court of competent jurisdiction.

(16) The Central Government may, in order to ensure proper and accurate assessment, verification and settlement of authorisation fee and any other charges paid, issue appropriate directions to authorised entities, in respect of all or any telecommunication networks, in relation to accounts and audit of authorised entities, and an authorised entity shall comply with such directions.

58. Technical and Operating Conditions

(1) The authorised entity shall provide location routing number (LRN) update to all entities authorised to provide access service, NLD service and ILD service under the Act or Indian Telegraph Act 1885.

(2) The authorised entity shall charge 'per port transaction fee' for MNP from the entities authorised to provide access service in accordance with the regulations, orders, directions, or guidelines, issued by TRAI.

SCHEDULE A: PROCESSING FEE, ENTRY FEE, AND INITIAL GUARANTEE FOR AUTHORISATIONS FOR TELECOMMUNICATION NETWORKS

S. No.	Category of Network Authorisation	Entry Fee (in Rs.)	Initial Guarantee (in Rs.)	Processing Fee (in Rs.)	Authorisation Fee (in Rs.)
1	IP Authorisation	NIL	NIL	10,000	NIL
2	DCIP Authorisation	10 Lakh	NIL	10,000	NIL
3	IXP Provider Authorisation	NIL	NIL	10,000	NIL
4	SESG Provider Authorisation	10 Lakh	NIL	10,000	NIL
5	CTN Provider Authorisation	10 Lakh	NIL	10,000	NIL
6	MNP Provider Authorisation	50 Lakh	40 Lakh	10,000	1% of AGR

SCHEDULE B: FORMAT OF AUTHORISATION FOR TELECOMMUNICATION NETWORK

Department of Telecommunications

Section 3 (1) (b) of the Telecommunications Act 2023

1. In exercise of the powers conferred by Section 3(1)(b) of the Telecommunications Act, 2023, I,_____(name and Designation), Department of Telecommunications, (address) acting on behalf of the President of India, on considering the Application No _____ Dated grant a(n) (name of the Authorisation) to (name of applicant), (address) (hereinafter in this document referred to as the 'Authorised Entity').

2. This network authorisation shall be governed by the provisions of the Telecommunications Act, 2023 and the Telecom Regulatory Authority of India Act, 1997, as modified or replaced from time to time, or any other relevant Act; and the rules made thereunder.

3. The salient terms of this authorisation are given below:

   (a) Effective Date of the authorisation: (to be specified)

   (b) Period of Validity of the authorisation: __ years from the effective date unless revoked earlier for reasons specified as per the applicable Rules made under the Telecommunication Act 2023.

   (c) Area of the authorisation: (to be specified)

   (d) Scope of the authorisation: as specified in Part "__" of Chapter 6 of the Telecommunications (Authorisation for Telecommunication Network) Rules, 2025

   (e) Authorised entity shall pay to the Central Government authorisation fee and any other charges in accordance with the provisions of the applicable rules made under the Telecommunication Act 2023.

   (f) This authorisation is being granted on non-exclusive basis. Additional authorisations may be issued, for same or other types of telecommunication network, in the same Area of Authorisation from time to time in future without any restriction on number of authorised entities with same or different entry conditions.

   (g) This authorisation does not confer any right to assignment of spectrum. For use of spectrum a separate specific frequency assignment shall be required from the Central Government as per the Rules notified under Section 4 of the Telecommunications Act, 2023.

   (h) Any misstatement or misrepresentation by an authorised entity found at any stage during the period of validity of the authorisation may lead to cancellation of the authorisation or imposition of any other penalty as found appropriate by the Central Government.

Date:
Name & signature of the representative of the Central Government
(On behalf of the President of India)

To,

(Name and Address of the entity)

SCHEDULE C: ZONAL AREAS

S. No.	Zone	Authorised Areas
1	Zonal Area 1	Gujarat, Haryana, Himachal Pradesh, Jammu & Kashmir, Maharashtra, Punjab, Rajasthan, Uttar Pradesh (E), Uttar Pradesh (W), Delhi and Mumbai.
2	Zonal Area 2	Andhra Pradesh, Assam, Bihar, Karnataka, Kerala, Madhya Pradesh, North East, Orissa, Tamil Nadu, West Bengal and Kolkata.

[F. No. 24-12/2025-UBB]
DEVENDRA KUMAR RAI, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
SARVESH KUMAR SRIVASTAVA